[2020] 10 एस. सी. आर. 27

सोमसुंदरम @सोमू

वी.

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस विभाग के आयुक्त द्वारा

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 403)

3 जून, 2020

[आर. एफ. नरीमन, के. एम. जोसेफ और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

उकसाना, षड्यंत्र या किसी भी कार्य या अवैध चूक द्वारा जानबूझकर सहायता करना, काम करना–कानून उकसाने वाले को उकसाने के लिए सजा से बचने की अनुमति नहीं देता है, भले ही वास्तविक खिलाड़ीअपराध करने वाला उस वास्तविक कार्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अपराध होता है।

दंड संहिता, 1860: एसएस। 364 , 201 365/109 , 302 – अपहरण और हत्या–अभियोजन का मामला यह था कि अभियुक्त ने अपहरण कर लिया था

पीड़ित–मृतक (विधायक) और उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया और बड़ी राशि की मांग की और जब उसने मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया,

गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और ए 12 को बरी करते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए काल्पनिक निचली अदालत के तहत उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया।नाम

–

और ए 18 परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सहयोगी साक्ष्य (पीडब्लू10 और पीडब्लू11) और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के आधार पर उच्च न्यायालय ने ए 10 को भी बरी कर दिया–अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः ए 3 एक राजनीतिक दल से संबंधित था–ए 12 को छोड़कर अन्य आरोपी सभी ए 3 के अनुचर थे–योजना अनिवार्य रूप से ए 1 और ए 2 ए 3 की ब्रेन चाइल्ड थी।

सब कुछ व्यवस्थित किया जो एक उपयुक्त घर की खोज के साथ शुरू हुआ जहाँ पीड़ित को अपहरण के बाद कैद किया जा सकता था–अपराध को अंजाम देने में ए 3 की भूमिका उसके आदमियों के साथ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपहृत व्यक्ति के काल्पनिक नाम के तहत अंतिम संस्कार में समाप्त होना स्पष्ट है–न केवल पीडब्लू 10 और पीडब्लू 11 के सबूत थे

लेकिन अन्य साक्ष्य जिनमें पी. डब्ल्यू. 32, पी. डब्ल्यू. 33, पी. डब्ल्यू. 36 और पी. डब्ल्यू. 8 शामिल थे–अन्य खिलाड़ियों को उनके कृत्यों के आधार पर शामिल किया गया था जो ए 1 और ए 2 द्वारा रची गई साजिश के अनुरूप था–साक्ष्य से पता चला कि यह मृतक का शव था जिसका अंतिम संस्कार किया गया था और एक काल्पनिक नाम का उपयोग किया गया था और ए 3 के कहने पर एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था कि कौन सी परिस्थिति इसे स्थापित करने में सफल हो रही थी।

अभियोजन मामला–ए 16 के कहने पर नायलॉन की रस्सी और जंजीर की बरामदगी ने अभियोजन मामले को मजबूत किया–पीडब्लू33 का सबूत यह था कि ए 3 ने ए 13 को नियुक्त किया था, और ए 3 के कहने पर, पीडब्लू32 द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति उत्तीर्ण हुआ है।

दुर्भाग्यपूर्ण दिन दूर–पीडब्लू11 ने कहा कि 30.12.2001 पर, उन्होंने कारखाने में टाटा सुमो के नेतृत्व में तीन कारों को देखा (ए 9 के कहने पर बरामद) जबकि ए 4, ए 11, ए 15, ए 16 और ए 17 एस के तहत दोषी थे। 364 जो पहले से ही नीचे की अदालतों द्वारा पाया गया था, अन्य अपीलार्थी एस के तहत दोषी होंगे। 364 एस के साथ पढ़ें। 109 इस आधार पर कि उन्होंने अपहरण में सक्रिय रूप से सहायता की–साथ ही जहाँ तक A5, A6, A7, A8, सभी और A14 का संबंध था, PW10 के सबूत थे कि उन्होंने अपहरण को देखा था।

गलत कारावास की स्पष्ट स्थिति में मृत, जैसा कि वह पाया गया था

कारखाने की पहली मंजिल पर बंधा हुआ जहां ए 5, ए 6, ए 7, ए 8, ऑल और ए 14 मौजूद थे–उन्हें भी एस. एस. के तहत दोषी ठहराया गया था। 347 और 387

पीडब्लू 11 के साक्ष्य में ए 4, ए 11, ए 16 और ए 17 को मृतक के साथ कार से बाहर निकलने के रूप में संदर्भित किया गया था–पीडब्लू3 गवाह

लापता हो गए–साथी विश्वसनीय गवाह थे और अपराध और अभियुक्त के संबंध में, उनकी गवाही ने सच्चाई को सामने लाया–उन्हें गलत तरीके से फंसाने का कोई उद्देश्य नहीं था–यदि ऐसा है, तो हत्या से संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में भी, अपीलकर्ताओं द्वारा की गई हत्या की धारणा लागू होगी–तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यहयह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अपीलार्थियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था।

दंड संहिता, 1860: s.109–एस के तहत शुल्क के लिए। 109 , कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है–एस की सहायता से आरोपित अभियुक्तों की संख्या कितनी भी हो सकती है। 109 ताकि वहाँ

प्रोत्साहन, यह भी अपरिहार्य है कि एक व्यक्ति है जो दूसरे को उकसाता है–एक प्रमुख खिलाड़ी और सहायक है–प्रमुख खिलाड़ी उन कृत्यों या चूक के लिए दोषी होगा जो कानून के तहत अपराधों के बराबर हैं।

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस विभाग के आयुक्त द्वारा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.164–का महत्व

अभिलिखित कथन का साक्ष्य यू / s.164 और क्या यह पर्याप्त साक्ष्य का गठन करता है–एस के तहत दर्ज एक गवाह का बयान। 164 इसका उपयोग ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग केवल उसका खंडन या पुष्टि करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

भारत का संविधानः कला. 136 – सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र

कला के तहत विशेष अनुमति द्वारा उत्पन्न एक अपील में। 136 में से

भारत का संविधान–चर्चा की गई।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: s.133–अकंप्लाइस–की गवाही,

साक्ष्य मूल्य–आयोजितः s.133 घोषणा करता है कि एक साथी एक सक्षम गवाह है–पुष्टि के संबंध में होना चाहिए

एक साथी की गवाही का भौतिक विवरण–सहायक अपराध की सामान्य रूपरेखा से परिचित है, वह वही है जिसने इसमें भाग लिया था और इसलिए, वास्तव में, सामान्य शब्दों में मामले से परिचित रहें–एक विशेष आरोपी और अपराध के बीच जुड़ाव लिंक, जहां अपराध की गवाही की पुष्टि होती है।

एक साथी महत्वपूर्ण महत्व ग्रहण करेगा।

आपराधिक कानूनः दलबीर कौर में निर्धारित सिद्धांत

चर्चा की।

आपराधिक कानूनः दाह–संस्कार द्वारा शव को नष्ट करना –

जिस मामले में शव का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां हत्या से संबंधित चिकित्सा साक्ष्य नहीं हो सकते हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.306–के लिए प्रक्रिया

किसी व्यक्ति को अनुमोदक बनाना–आयोजितः एक व्यक्ति को अनुमोदक बनाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 306 – व्यायामसक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है–उसका साक्ष्य दर्ज किया जाता है–उसे वचन के बदले में माफी मिलती है

कि वह उन घटनाओं का एक अप्रकाशित संस्करण देगा जिसमें वह अपराध में भागीदार है–वह एस के तहत कार्यवाही के लिए खुद को उजागर करेगा। 308 जिसमें यह विचार किया गया है कि यदि ऐसे व्यक्ति ने उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर माफी की निविदा या तो जानबूझकर कुछ भी आवश्यक छिपाकर या गलत सबूत देकर दी गई थी, तो उस पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके संबंध में माफी दी गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए वह प्रतीत होता है

समान मामलों के संबंध में एक दोषी।

आवश्यक सामग्री

दंड संहिता, 1860: एसएस। 364 और 365

और विशिष्ट विशेषताएं–अपहरण का सार जबरन [2020] 10 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आंदोलन, अन्य बातों के साथ–साथ, किसी भी स्थान से–अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो किसी भी या सभी बिंदुओं पर इस तरह के अपहरण को प्रभावित करता है।

मार्ग–किसी दिए गए मामले में, एक अपहरण दोनों एस. एस. को आकर्षित कर सकता है। 364 और

365 – दो प्रकार के अपहरण के बीच की विशिष्टता, उस इरादे में अंतर है जिसके साथ अपहरण, अन्य बातों के साथ–साथ (जैसा कि ss.364 और 365 भी अपहरण से संबंधित है), किया जाता है–लेकिन जहां तक इरादा किसी दिए गए मामले में दोनों प्रावधानों को आकर्षित करता है,

दोनों धाराओं के तहत दोषसिद्धि की अनुमति नहीं है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. कानून के तहत उकसाने के लिए प्रमुख और अपरिहार्य तत्व हैं उकसाना, साजिश या

किसी भी कार्य या अवैध चूक द्वारा जानबूझकर सहायता करना, काम करना। कानून उकसाने वाले को उकसाने के लिए सजा से बचने की अनुमति नहीं देता है, भले ही अपराध करने वाला वास्तविक खिलाड़ी वास्तविक कार्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी न हो, जिसके परिणामस्वरूप एक अपराध का कमीशन। समान रूप से, बैठक की आवश्यकता नहीं है

साजिश में शामिल सभी व्यक्तियों के बीच विचार और यह पर्याप्त है यदि कोई व्यक्ति उस साजिश में शामिल है जिसके बाद अपराध किया गया है। [पैरा 54] [74–जी; 75–ए–बी]

2.1 साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 घोषणा करती है कि एक साथी एक सक्षम गवाह है और आगे यह कि एक दोषसिद्धि

एक साथी की अपुष्ट गवाही के आधार पर केवल ऐसा होने के कारण अवैध नहीं है। संयुक्त परिणाम

साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (बी) के साथ पठित धारा 133 यह है कि न्यायालयों ने विवेक के नियम के रूप में यह आवश्यकता विकसित की है कि किसी सहयोगी की अपुष्ट गवाही के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराना असुरक्षित होगा। पुष्टि सामग्री विवरणों के संबंध में होनी चाहिएएक साथी की गवाही। यह स्पष्ट है कि एक साथी अपराध की सामान्य रूपरेखा से परिचित होगा क्योंकि वह वही होगा जिसने इसमें भाग

लिया है और इसलिए, वास्तव में, सामान्य शब्दों में मामले से परिचित होगा। [पारस 59,65] [80–ई; 85–ए–बी]

के. हाशिम बनाम। तमिलनाडु राज्य (2005) 1 एस. सी. सी. 237: [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 1; हारूम हाजी अब्दुल्ला बनाम। महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 832: [1968] 2 एस. सी. आर. 641; शेषन्ना भूमन्ना यादव बनाम। महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1970 एससी 1330: [1971] 1 एस. सी. आर. 617–पर निर्भर।

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस विभाग के आयुक्त द्वारा

सीआरपीसी से। यह अभ्यास सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। उसके साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं। उसे इस वचन के बदले में माफी मिलती है कि वह उन घटनाओं का एक अप्रकाशित संस्करण देगा जिसमें वह अपराध में भागीदार है। वह सीआरपीसी की धारा 308 के तहत कार्यवाही के लिए खुद को उजागर करेगा। धारा 308 में विचार किया गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति नहीं हैउस शर्त का अनुपालन करते हुए जिस पर माफी की निविदा या तो जानबूझकर कुछ भी आवश्यक छिपाकर या गलत सबूत देकर दी गई थी, उसे उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके संबंध में माफी दी गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए जिसके संबंध में वह दोषी प्रतीत होता है।

विषय हैं। यह झूठी गवाही के अपराध के लिए कार्रवाई किए जाने वाले दायित्व के अलावा है। धारा 308 की उप–धारा (2) घोषणा करती है कि कोई भी बयान जो क्षमा की निविदा स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाता है और धारा 164 और धारा 376 के तहत दर्ज किया जाता है, उसका उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 (1) के तहत मुकदमे में सबूत के रूप में किया जा सकता है। [पैरा 67] [85–जी–एच; 86–ए–सी]

जॉर्ज और अन्य बनाम। केरल राज्य और एक अन्य आकाशवाणी

1998 एससी 1376: [1998] 2 एस. सी. आर. 303; आर. शाजी बनाम केरल राज्य एआईआर 2013 एससी 651: [2013] 3 एससीआर 1172 –

पर भरोसा किया।

3. आई. पी. सी. की धारा 364, आई. पी. सी. की धारा 365 से अधिक गंभीर, तब होती है जब अपहरण, अन्य बातों के साथ, अपहरण के साथ किया जाता है।हत्या करने का इरादा या कि उसे इस तरह से निपटाया गया है ताकि अपहृत व्यक्ति की हत्या होने का खतरा हो। आई. पी. सी. की धारा 365 तब आकर्षित होती है जब अपहृत व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के लिए अपहरण किया जाता है। यह सच है कि किसी मामले में, किसी व्यक्ति का अपहरण गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने और हत्या करने के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह

एक स्थिति आई. पी. सी. की धारा 364 और 365 दोनों को आकर्षित कर सकती है। किसी भी अन्य अपराध की तरह, वास्तविक अपराधी हो सकता है, जो अपहरण कर लेता है। आई. पी. सी. की धारा 120ए या आई.

पी. सी. की धारा 109 (उकसाना) की सहायता से किसी अन्य व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व का सिद्धांत या आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आरोप, यदि साबित हो जाता है, तो आपराधिक दायित्व के साथ दूसरे को मिल सकता है। [पारस 80,81,82] [91–सी–ई] [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जगजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2018) 10 एससीसी 593: [2018] 13 एससीआर 405; * दलबीर कौर बनाम। पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 158: [1977] 1 एस. सी. आर. 280–पर निर्भर।

वास्तव में पीडब्लू 13 द्वारा देखा गया जो सुबह की सैर के लिए भी जाता था। पीडब्लू3 ने वास्तव में देखा कि एक व्यक्ति को तीन व्यक्तियों द्वारा मारुति ओम्नी वैन में धकेल दिया गया और वैन मोटरसाइकिल के पीछे चली गई। इन तथ्यों को स्थापित किया गया था। पीडब्लू10 ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा है कि ए 1 और ए 2 ए 9 के घर पर 30.12.2001 पर थे। उन दोनों ने ए 3 को बताया कि वे विधायक (मृतक) को लेकर आए हैं और उनसे केवल पैसे लेने हैं। पीडब्लू11 ने कहा है कि 30.12.2001 पर, उन्होंने कारखाने में एक टाटा सूमो (A9 के कहने पर बरामद), एक फोर्ड एस्कॉर्ट कार (A4 के कहने पर बरामद) के नेतृत्व में तीन कारों को देखा और अंत में ज़ेन कार (A3 के कहने पर बरामद) आई। ए 4, ए 11, ए 16 और ए 17 के रूप में पहचाने गए चार व्यक्तियों ने मृतक को फोर्ड कार से बाहर निकाला। यह उसी दिन अपहरण के कुछ घंटों के भीतर हुआ। पीडब्लू11 ने ज़ेन कार से तीन लोगों के बाहर आने की भी बात की। पीडब्लू10

यह भी कहा कि 31.12.2001 पर, उन्होंने पाया कि मृतक को जंजीर से बांधा गया था और उसकी आंखें कपड़े से ढकी हुई थीं। उन्होंने काली पैंट और सैंडल रंग की टी–शर्ट पहनी हुई थी। उन्होंने पदच्युत किया कि ए 5, ए 6, ए 7, ए 8, ए 10, ए 11 और ए 14 मौजूद थे। इसके अलावा, उसने कहा कि ए 3 ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस मामले में कुछ भी खुलासा किया तो वह उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मार देगा। उन्होंने आगे कहा कि "हमने पूर्व विधायक बालन का ही अपहरण कर लिया था, आप।

मेरे लिए कुछ भी नहीं है। निचली अदालत ने पाया कि उसी दिन किसी और का अपहरण नहीं किया गया था। [पारस 87,88] [94–बी–जी]

सरकारी सामान्य अस्पताल और पंद्रह साल तक उनसे परिचित रहे। वर्षों से, उनके पास आया और बताया कि एक व्यक्ति उन्हें जानता था, अर्थात। , ' आर. सी. '61 वर्षीय और गरीब था, दिल का दौरा पड़ने के कारण 01.01.2002 पर 06.00 पी. एम. पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई शव नहीं था और उसे ही उसके लिए सारा काम करना था। वह मृत्यु प्रमाण पत्र चाहता था। फिर, पीडब्लू32 ने पीडब्लू33 को बताया कि वह उसे (जाहिरा तौर पर, मृतक) देखने जाएगा। पीडब्लू33 ने उन्हें बताया, वह सोमसुंदरम @सोमू वी के लिए पीडब्लू32 को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस विभाग के आयुक्त द्वारा

पिछले पंद्रह वर्षों में, क्या वह उससे झूठ बोलता और उसके साथ (मृत) कोई और नहीं था और पीडब्लू 33 को सब कुछ करना पड़ता और उसके पास समय नहीं था। उन्होंने जो कहा उसे सच मानते हुए, पीडब्लू32 ने कहा कि उन्होंने शव को देखे बिना पी27–मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। पीडब्लू33 का प्रमाण यह था कि ए 3 ने ए 13 को शामिल किया, और

A3 के कहने पर, PW32 द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो प्रमाणित करता है कि

01.01.2002 पर एक 'RC' का निधन हो गया था। पीडब्लू38 ने कहा कि प्रमाणपत्र में दिखाए गए अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। फिर, पी. डब्ल्यू. 36–कार्यालय सहायक प्रभारी ने भी अभियोजन संस्करण का समर्थन किया। इस प्रकार, न केवल दाह संस्कार और वह भी एक झूठे नाम के तहत आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध को आकर्षित करेगा, जो अपराध करने के साक्ष्य को नष्ट करने से संबंधित है, बल्कि यह उन परिस्थितियों की सूची में एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो हत्या के अपराध में ए 3 और अन्य की भूमिका की ओर भी इशारा करती है। परिस्थिति एक महत्वपूर्ण पुष्टिकारक कड़ी है जो न केवल हत्या के मामले को स्थापित करती है बल्कि अपहरण से भी संबंधित है। यह तर्क कि

शरीर को पेश न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है जिसे स्वीकार नहीं किया जाता है। शुरू से ही ए 3 का हाथ, यानी कारखाने के चयन, वाहनों की व्यवस्था, कारावास और दाह संस्कार से, स्पष्ट है और हत्या में उसकी भूमिका है

स्थापित किया गया। पीडब्लू34 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से ए 3 की भूमिका की पुष्टि करते हैं और पर्याप्त रूप से पीडब्लू10 और पीडब्लू11 की पुष्टि करते हैं। [पारस 89,90,91,105,106] [95–ए–सी; 96–बी–सी; 110–बी–जी]6.1 ए 4 के संबंध में, उन्होंने पीडब्लू39 द्वारा एक इकबालिया बयान दिया। इससे फोर्ड एस्कॉर्ट व्हाइट की पुनर्प्राप्ति हुई।

कार (एम 06)। उक्त कार के उपयोग का उल्लेख पीडब्लू10 द्वारा किया गया है जिसके बाद यह बयान दिया गया है कि 05.12.2001 पर ए 3 बाहर चला गया। गाड़ी कहा जो उसने किराए पर दी थी। उन्होंने ए 4 को उन तीन व्यक्तियों में से एक के रूप में भी पहचाना जो उस दिन उनका पीछा कर रहे थे।

पीडब्लू11 ने 30.12.2001 पर फोर्ड एस्कॉर्ट कार को उस कार के रूप में नोट किया जिसमें से चार व्यक्ति नीचे उतरे और वे व्यक्ति मृतक की आंखें और मुंह और हाथ बांधकर उसे पहली मंजिल पर ले आए। ए 4 द्वारा दिए गए बयान के आधार पर एमओ 6 बरामद किया गया था। यह अनिवार्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है। मृतक की स्थिति, अर्थात। , उसकी आँखें और मुँह बंद होना और हाथों को बांधकर पहली मंजिल पर ले जाया जाना, ए 4 को उस ख़ौफ़नाक घटना से जोड़ने के लिए क्षण की बात है जिसकी उत्पत्ति [2020] 10 एस. सी. आर. के अपहरण में हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और दाह संस्कार। [पैरा 107,108] [110–जी–एच; 111–डी–जी]6.2 A5 के संबंध में, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब हत्या हुई थी, PW10 ने A5 का नाम मोटरसाइकिल पर ले जाने के लिए रखा था।

कंपनी। वह अंदर गया और रोशनी में खड़ा था। बाइक में कपड़े का थैला था। मृतक के शव को चार लोग ऊपर से लाए थे। पीडब्लू10 ने तब अपदस्थ किया कि ए 5 द्वारा लाए गए थैले से एक कपड़ा लिया गया था और मृतक के शरीर के चारों ओर बांध दिया गया था जैसे कि मृत शरीर के लिए किया गया था। ए 5 को पीडब्लू10 ने अपनी मोटरसाइकिल में जाने के रूप में उद्धृत किया था। के आधार पर तथ्यों की खोज की गई ए 5 का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए, न केवल उसकी संलिप्तता का खुलासा करने में बल्कि पूरे अभियोजन मामले को उजागर करने में सबसे अधिक प्रासंगिक है। साक्ष्य की धारा 27 के तहत एक बयान

अधिनियम केवल उस वस्तु के बारे में नहीं है जो कथन के परिणामस्वरूप पता चलता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार ज्ञान है जो मामले के बारे में बयान देता है।

बयान के आधार पर पता चला। पीडब्लू44 का साक्ष्य जो एक राजस्व निरीक्षक था और ए 5 के बयान और ए 5 द्वारा पहचान का गवाह था, उसकी स्पष्ट कड़ी स्थापित करने में मदद करता है और

पर्याप्त रूप से PW10 और PW11 की पुष्टि करता है। अंत में, पीडब्लू34 ने 30.12.2001 पर ए 5 की उपस्थिति के बारे में बात की और उसकी पहचान की। [पारस 109,110] [112–जी–एच; 113–ए–बी]

6.3 पीडब्लू10 ने व्यक्तियों के रूप में ए 6, ए 7, ए 8 और ए 11 की पहचान की

जिसने मृतक के शव को 01.01.2002 पर ले जाया था। पीडब्लू10 और पीडब्लू11 ने शरीर को सुनहरे रंग की मारुति वैन में लादे जाने के बारे में बताया। इसकी पुष्टि पीडब्लू 35 (पुलिस कांस्टेबल) के साक्ष्य से हुई थी। साक्ष्य स्पष्ट रूप से ए 6, ए 7, ए 8 और ए 11 को ए 3 के कहने पर शामिल होने और दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक के शव को वैन में ले जाने और उस स्थान के पास उनकी उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं जहां मृतक का अंतिम संस्कार किया गया था। [पैरा 115] [114–एफ–एच]

6.4 ए 14 के संबंध में, मामले में उसकी भागीदारी उन व्यक्तियों में से एक के रूप में सामने आती है जो ऊपर की मंजिल पर खड़े थे।

मृतक के साथ इमारत जब मृतक अवैध कारावास की स्थिति में था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पीडब्लू10 की गवाही पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक ए 14 का संबंध है, कोई रिकवरी नहीं हुई है। यह सच है कि कोई सीधा सबूत नहीं है कि आरोपी

पीड़ित का अपहरण या हत्या कर दी।

मामला सोमसुंदरम @ सोमू बनाम पर टिका हुआ है। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस विभाग के आयुक्त द्वारा

6.5 ए15 ने बताया कि उसे पी. डब्ल्यू. 48 से मोटरसाइकिल मिली थी। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि उनके पास एक फैशन मोटर बाइक हीरो होंडा थी। ओ आगू कहैत छथि जे पीडब्लू10 हुनका नीक जकाँ जानल जाइत छल। वह अक्सर अपनी गाड़ी ले जाता था। पिछले वर्ष के दौराननवंबर, 2001 में पी. डब्ल्यू. 10 ने जाहिरा तौर पर उनका वाहन ले लिया था और उसे वापस नहीं किया था। यह वह मोटरसाइकिल है जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया था।

पीडब्लू3 द्वारा और मृतक के अपहरण के समय उपयोग किया जाता है। वाहन ए15 के इशारे पर बरामद किया गया था। बयान के आधार पर बरामद किए गए जूते को भी नजरअंदाज करते हुए,

साक्ष्य ए15 को पर्याप्त रूप से निहित करता है। [पैरा 125] [117–सी–डी, एच; 118–ए] 6.6 ए16 के संबंध में, उसे हिरासत में ले लिया गया, और पीडब्लू47 और एक अन्य गवाह की उपस्थिति में पूछताछ करने पर, वह

एक इकबालिया बयान दिया। उसने कहा कि अगर उसे ले जाया जाता है, तो वह विल्लीवक्कम में घर से काला थैला, सेल फोन और चाकू लाएगा। विल्लीवक्कम में उस स्थान पर ले जाने पर, उन्होंने एक पैनासोनिक सेल फोन, चार्जर के साथ सिम कार्ड, एक काले रंग का कैरी बैग, नौ फीट लंबी पीले रंग की नायलॉन की रस्सी और दो जंजीरों की पहचान की। यह चाकू और तीन ताले के अलावा है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ए16 की भूमिका के लिए कोई पुष्टि नहीं थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ए16 उन अभियुक्तों में से था जो मृतक को लाए थे। अपहरण में उनकी भूमिका स्पष्ट हो गई। मृतक न केवल जीवित था बल्कि निस्संदेह हत्या के माध्यम से नष्ट कर दिया गया था। मृतक का अपहरण करके, भूमिका

ए16 का, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा आगे स्वीकार किया गया, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। ए17 फिर से एक अन्य आरोपी था जो पीडब्लू11 द्वारा पहचाने गए चार व्यक्तियों में से एक था जो मृतक को 30.12.2001 पर कारखाने में लाया था। [पारस 126,127] [118–बी–एफ]

7. आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत आरोप के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कितने भी आरोपी हो सकते हैं [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 109 की सहायता से आरोपित। उकसाने के लिए, यह भी अपरिहार्य है कि एक व्यक्ति है जो दूसरे को उकसाता है। एक प्रमुख खिलाड़ी और सहायक होता है। प्रमुख खिलाड़ी उन कृत्यों या चूक के लिए दोषी होगा जो कानून के तहत अपराध के बराबर हैं। हालांकि उत्प्रेरक बंदूक को ट्रिगर नहीं करता है, "इसके पीछे चलने वाली शक्ति है और इस तरह से उत्तरदायी हो जाता है"। इस मामले में, निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं (ए5 को छोड़कर) को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत पांचवें आरोप का दोषी पाया है, जबकि ए1 और ए2 को आई. पी. सी. की धारा 120बी के तहत साजिश के आरोप का दोषी पाया गया है। अन्य में

शब्दों में, अपराध करने का विचार ए1 और ए2 के दिमाग में आया। अन्य खिलाड़ियों को शामिल किया गया था

उनके कृत्यों का आधार जो ए 1 और ए 2 द्वारा रची गई साजिश के अनुरूप था। ए 12, जिस पर आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत आरोप लगाया गया था और आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 419, 420 और 387 के तहत अपराधों के लिए भी बरी किया गया था, अन्य अभियुक्तों द्वारा किए गए कार्यों की आपराधिकता को कम नहीं करेगा और इस मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में कोई अवैधता शामिल नहीं है।

आई. पी. सी. की धारा 303। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि योजना थीअनिवार्य रूप से ए 1 और ए 2 के मस्तिष्क की उपज। [पारस 136, 137] [123–डीएच; 124–ए]

8. ए 12 का बरी होना ए 1 और ए 2 के बीच साजिश के तथ्य से विचलित नहीं होगा। इसी तरह, इस संबंध में ए 3 को बरी कर दिया गया। अल और ए 2 को धारा 109 के साथ धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। अभियुक्त 1 और 2 को धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया है। इसका मतलब है कि चूंकि आरोपी 1 और 2 को मृतक की हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया जाता है, इसलिए उन्हें इस तरह से दंडित किया जाना चाहिए जैसे कि उन्होंने उक्त अपराध को उकसाया हो। ट्रायल कोर्ट का फैसला होना है

उक्त नस में समझा। यह सच है कि साजिश द्वारा उकसाया जाना

यह केवल उकसाने का एक रूप है। वैकल्पिक शुल्क हो सकते हैं। उकसाने और जानबूझकर कार्य करने से उकसाया जा सकता है, तब भी जब कोई साजिश न हो और इसलिए, साजिश द्वारा उकसाया न जाए। ए 1, ए 2, ए 5, ए 9, ए 12 और ए 13 के खिलाफ पांचवां आरोप एक वैकल्पिक आरोप के रूप में होगा। यह ए 5 के रूप में है

(अपीलार्थी) पर आरोप लगाया जाता है और धारा के तहत हत्या का दोषी पाया जाता है 302 आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पढ़ा गया। ए 5 की भूमिका, विशेष रूप से, सोमसुंदरम @सोमू v की धारा 27 के तहत बयान को ध्यान में रखते हुए।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस विभाग के आयुक्त द्वारा

अन्य प्रावधान। [पैरा 138, 139] [124–ई–एफ; 125–बी–ई]9. पीडब्लू10 और पीडब्लू11 के साक्ष्य विश्वसनीय थे और ए 6 की उपस्थिति और भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

05.12.2001, 30.12.2001 पर सहयोगियों द्वारा ए 6 की उपस्थिति और विशेष रूप से 01.01.2002 पर, जिस दिन वैन में शव ले जाने का अंतिम दिन था, जिसे बाद में पुलिस अधिकारी द्वारा श्मशान घाट के पास एक स्थान पर पहचाना जाता है, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अवैध कारावास में ए 6 की भूमिका स्थापित होती प्रतीत होती है। [पैरा 140] [126–ए–सी]

हालाँकि, यह भी उतना ही सच है कि ए 16 के कहने पर की गई बरामदगी के आधार पर, एक नायलॉन की रस्सी और चेन बरामद की गई थी जो निस्संदेह अभियोजन मामले को मजबूत करती है। जिस मामले में शव का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां हत्या से संबंधित चिकित्सा साक्ष्य नहीं हो सकते हैं। खिलाड़ियों ने दाह संस्कार द्वारा

शव को नष्ट करके सावधानीपूर्वक सोचा। अपहरणउचित मामलों में हत्या के बाद अदालत यह अनुमान लगाने में सक्षम हो सकती है कि अपहरणकर्ता हत्यारा है। सिद्धांत यह है कि अपहरण के बाद, अपहरणकर्ता यह समझाने की स्थिति में होगा कि उसके पीड़ित के साथ क्या हुआ और यदि वह ऐसा करने में विफल रहा, तो यह स्वाभाविक है कि एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने असहाय पीड़ित को समाप्त कर दिया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए आएगी। [पैरा 141,

142] [126 – ई–एच]

राज्य डब्ल्यू. बी. वी. मीर मोहम्मद उमर (2000) 8 एससीसी 382:

[2000] 2 पूरक। एससीआर 712–संदर्भित

11. धारा 387 जबरन वसूली का उच्चतम रूप है जिसमें पीड़ित को मृत्यु या गंभीर चोट के डर में रखा जाता है। धारा 347 में इस उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करना शामिल है –

जबरन वसूली करना। अपीलार्थियों को [2020] 10 एस. सी. आर. के तहत दोषी ठहराया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है तो साथी विश्वसनीय गवाह होते हैं। उनके साक्ष्य चरित्र में बेदाग नहीं हो सकते हैं। लेकिन परीक्षण यह है कि क्या ऐसे गवाहों पर विश्वास करने वाले आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित है। जहाँ तक अपराध और अभियुक्त के संबंध में, उनकी गवाही सच्चाई को घर लाती है, जहाँ तक अभियुक्तों के संबंध में जो अपीलार्थी हैं। पीडब्लू10 और पीडब्लू11 का कोई मकसद नहीं है। गलत तरीके से फंसाना। हत्या का अनुमान सही निकला था। [पारस 143,144] [128–एफ–जी; 129–जी–एच; 130–ए–बी]

12. ए15 की भूमिका स्पष्ट है जिसे न केवल सहयोगी साक्ष्य में संदर्भित किया गया था, बल्कि उसके लिंक की पुष्टि करता है

उसके कहने पर मोटरसाइकिल की बरामदगी के साथ अपहरण। इसने उन्हें आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया। अवैध कारावास स्थल पर 30.12.2001 पर फोर्ड एस्कॉर्ट के अलावा दो कारें थीं। मारुति ज़ेन से तीन व्यक्ति पी. डब्ल्यू. 11 के गवाह के रूप में सामने आए। यह सच है कि पीडब्लू11

उनकी पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा एक टाटा सूमो भी था, पी. डब्ल्यू. 11 ने निस्संदेह ए15 के अलावा ए5 और ए7 की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जो कारखाने से निकलने के बाद टिफिन के साथ आई. डी. 1 पर वापस आए थे। निचली अदालत ने ए4, ए11, ए15, ए16 और ए17 को धारा 365 के तहत दोषी ठहराया जो इन अभियुक्तों के संबंध में अनुपलब्ध है। अदालत में यह अनुमान लगाने में कोई त्रुटि नहीं है कि वे भी मृतक की हत्या के दोषी हैं। पीडब्लू3 ने 30.12.2001 पर तीन लोगों द्वारा दूसरे को वैन में धकेलने की बात

की। वैन आगे बढ़ी और उसके पीछे एक मोटरसाइकिल आई। ए 15 ने एक बयान दिया जिससे एक मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई। साक्ष्य पर दोनों अदालतों द्वारा भरोसा किया जाता है और अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है। [पारस 145,146,147] [130–सी–ई]

13. जहाँ तक ए 3, ए 5, ए 6 और ए 8 का संबंध है, उन्हें धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत दोषी ठहराया गया था। प्रोत्साहन है

सोमसुंदरम @ सोमू बनाम साजिश पर उनके कार्य के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस विभाग के आयुक्त द्वारा

जो ए 1 और ए 2 के खिलाफ साबित हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उकसाना तब भी होता है जब उकसाना या जानबूझकर सहायता करना होता है। ए 3 की भूमिका बहुत बड़ी है। यह स्पष्ट है कि उसने पूरी बात को व्यवस्थित किया और यह एक उपयुक्त घर की खोज के साथ शुरू हुआ जहां अपहरण के बाद पीड़ित को कैद किया जा सकता था। अपहृत व्यक्ति के काल्पनिक नाम के तहत अंतिम संस्कार में अपराध को अंजाम देने में अपने आदमियों के साथ उसकी भूमिका स्पष्ट है।

[पैरा 148] [130–एफ–एच]

14. जहां तक ए 7 और ए 14 का संबंध है, उन्हें धारा 365 और धारा 364 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। द.

ए 7 की भागीदारी स्पष्ट है। वह अपनी पहली उपस्थिति बनाता है

05.12.2001 पर जितनी जल्दी हो सके सहयोगी साक्ष्य। पीडब्लू10 ने उसे मृतक के बगल में कुछ अन्य अभियुक्तों के साथ खड़े देखा, जो उस समय स्पष्ट रूप से अवैध कारावास की स्थिति में था। उन्होंने आगे लाकर अपनी भागीदारी को स्थापित कियामृतक के शव को तीन अन्य लोगों के साथ 01.01.2002 पर नीचे उतार दें। ए 7 और ए 14 को आईपीसी की धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए था। ए 3, ए 5, ए 6 और ए 8 को धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत दोषी ठहराया गया। हालांकि

ए 7 और ए 14 के खिलाफ आरोप धारा 365 के तहत था। ए 14 के खिलाफ आरोप आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत भी है। सभी अपीलार्थियों को आईपीसी की धारा 364 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। इस मामले में साक्ष्य में कोई संदेह नहीं है

पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 के मुख जिन्होंने अकेले देखा है कि वास्तव में क्या हुआ है, यह स्थापित करेगा कि 31.12.2001 पर, पी. डब्ल्यू. 10 ने ए 5, ए 6, ए 7, ए 8, ए 11 और ए 14 को देखा जब उसने मृतक को देखा जो उस समय पहली मंजिल पर बंधा हुआ था। इस प्रकार ए 5, ए 6, ए 7, ए 8, ए 11 और ए 14 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस मामले में दोषी ठहराया जा सकता है और जिन्हें दोषी भी ठहराया गया है।

मृतक के अवैध कारावास से संबंध। [पारस 149,150,152] [131–ए–डी, एफ, जी] 15. ए4, ए7, ए11, ए14, ए15, ए16 और ए17 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आईपीसी की धारा 365 के तहत दोषी पाया गया था। ए3, ए5, ए6 और

ए8 को आई. पी. सी. की धारा 109 की सहायता से आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत दोषी ठहराया गया। इन सभी को आईपीसी की धारा 364 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। इस संबंध में एक द्विभाजन शामिल है। कानून किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या चूक को आपराधिकता से जोड़ता है।एक अन्य व्यक्ति एक सहायक के रूप में उत्तरदायी हो सकता है, एक व्यक्ति जिसने साजिश रची है और इस प्रकार धारा 120 बी के तहत उत्तरदायी है, एक व्यक्ति जो [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के तहत या धारा 149 के साथ पठित धारा 364 के तहत या धारा 109 के साथ पठित धारा 364 के तहत या यदि वह धारा 120 बी के तहत दोषी पाया जाता है, तो वह उत्तरदायी होगा। इस मामले में, धारा 120 बी या 149 के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हालाँकि, जैसे उन्हें धारा 365 के तहत दोषी पाया गया है, वैसे ही वे धारा 364 के तहत उसी तरह से दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि धारा 364 के अर्थ के भीतर अपहरण। आरोप है कि अपहरण 30.12.2001 पर किया गया था। अपहरण का सार किसी भी स्थान से जबरन आवाजाही है। अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो मार्ग के किसी भी या सभी बिंदुओं पर इस तरह के अपहरण को प्रभावित करता है। किसी दिए गए मामले में, अपहरण धारा 364 और 365 दोनों को आकर्षित कर सकता है। द.

दो प्रकार के अपहरण के बीच अंतर करने वाली विशेषता, उस इरादे में अंतर है जिसके साथ अपहरण, अन्य बातों के साथ–साथ किया जाता है (जैसा कि धारा 364 और 365 भी अपहरण से संबंधित है)। लेकिन जहां तक किसी मामले में इरादा दोनों प्रावधानों को आकर्षित करता है, दोनों धाराओं के तहत दोषसिद्धि की अनुमति नहीं है।हालांकि, जब कुछ अपीलकर्ताओं को धारा 365 सरलीकरण के तहत दोषी ठहराया जाता है और अन्य को धारा 365 के तहत दोषी ठहराया जाता है।

धारा 109 के साथ, धारा 364 के तहत दोषसिद्धि के संबंध में उन अभियुक्तों/अपीलार्थियों की स्थिति भी समान होनी चाहिए। हालाँकि, धारा 364 के तहत दोषसिद्धि के मामले में यह अंतर, अपीलार्थियों के मामले को अपहरण के रूप में आगे नहीं बढ़ा सकता है, चाहे वह धारा 109 की सहायता से हो या जो धारा 364 सरलीकरण के तहत हो, न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अर्थ के भीतर दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में हत्या की धारणा को उठाने में सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में, जबकि ए4, ए11, ए15, ए16 और ए17 धारा 364 के तहत दोषी हैं, जो पहले से ही नीचे की अदालतों द्वारा पाया गया है, अन्य अपीलार्थी इस आधार पर आईपीसी की धारा 109 के साथ पठित धारा 364 के तहत दोषी होंगे कि उन्हें अपहरण में सक्रिय रूप से सहायता दी गई है। इसके अलावा जहां तक ए5, ए6, ए7, ए8, ए11 और ए14 का संबंध है, पीडब्लू10 के

सबूत हैं कि जब उसने मृतक को स्पष्ट रूप से गलत कारावास की स्थिति में देखा, क्योंकि वह कारखाने की पहली मंजिल पर बंधा हुआ पाया गया था, सोमसुंदरम @सोमू बनाम।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस विभाग के आयुक्त द्वारा

ए5, ए6, ए7, ए8, ए11 और ए14 उपस्थित थे। उन्हें आईपीसी की धारा 347 और 387 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, वास्तव में, 30.12.2001 पर, पीडब्लू11 ने लगभग तीन कारों को अपदस्थ कर दिया है, जिनमें से मृतक उनमें से एक से निकला है। , फोर्ड एस्कॉर्ट। पीडब्लू 11 के साक्ष्य में ए4, ए11, ए16 और ए17 को मृतक के साथ कार से बाहर निकलने के रूप में संदर्भित किया गया था, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ए4, ए11, ए16 और ए17 से अधिक व्यक्ति थे जो अपहरण में शामिल थे। इस संबंध में, पीडब्लू3 ने देखा कि तीन लोगों ने एक दूसरे को मारुति वैन में धक्का दिया।

सुबह 30.12.2001 पर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोटरसाइकिल पर एक आदमी भी है। घंटों के भीतर जब उसे कारखाने की इमारत में लाया जाता है, तो वह एक फोर्ड एस्कॉर्ट से बाहर आता है। उसके साथ दो और कारें थीं। आईपीसी की धारा 362 के तहत,

अपहरण को परिभाषित किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ, एक व्यक्ति को मजबूर करने के रूप में

कहीं भी जाएँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि छल के माध्यम से हासिल की गई ऐसी आवाजाही भी शामिल है। साजिश से अपहरण, अवैध कारावास, मृतक की मृत्यु और उसके बाद उसके दाह संस्कार, अपहरण में सहायता करने में ए3, ए5, ए6, ए7, ए8 और ए14 की भूमिका का पता चलता है। यह भी स्पष्ट है कि ए5, ए6, ए7, ए8, ए11 और ए14 मृतक को गलत तरीके से बंधक बनाने में शामिल थे। जहां तक ए14 का संबंध है, कोई वसूली नहीं हुई है।इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उससे प्रभावित और अनिवार्य रूप से पीडब्लू 10 का साक्ष्य है। ए17 के बारे में भी यही स्थिति है, जिसकी भागीदारी का उल्लेख दूसरे सहयोगी पीडब्लू11 द्वारा किया गया है। हालाँकि, दो अदालतों द्वारा जिन सहयोगी गवाहों पर भरोसा किया गया था, उन्हें विश्वसनीय गवाहों के रूप में माना जाना चाहिए और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में भी, उस दोषसिद्धि को बाधित करने का कोई कारण नहीं है। यदि ऐसा है, तो हत्या से संबंधित किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में भी, अपीलार्थियों द्वारा की गई हत्या का अनुमान लागू होगा। वास्तव में, निचली अदालतों ने हत्या किए जाने के बारे में अनुमान लगाया। यह एक ऐसी धारणा है जिसे बिना किसी आधार के तैयार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 153] [131-जी-एच; 132-ए-एच; 133-डी-जी]

सोमसुंदरम उर्फ सोमू बनाम। राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

पुलिस उपायुक्त (2016) 16 एस. सी. सी. 355: [2016] 7 एस. सी. आर. 263; सिरी राम बत्रा और अन्य बनाम। वित्तीय आयुक्त, दिल्ली और अन्य (2004) 12 [2020] 10 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. सी. 52 [2004] 4 पूरक। एससीआर 470; बलदेव सिंह बनाम।

पंजाब राज्य (1990) 4 एस. सी. सी. 692; जियाउद्दीन

बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम। बृजमोहन रामदास मेहरा

और अन्य (1976) 2 एस. सी. सी. 17: [1975] पूरक। एससीआर 281;

विजयन बनाम। केरल राज्य (1999) 3 एससीसी 54: [1999] 1 एससीआर 659; मोहनलाल शामजी सोनी बनाम। भारत संघ

और एक और (1991) पूरक। 1 एससीसी 271: [1991] 1 एससीआर

712 ; नानक चंद बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1955 एससी

274 : [1955] 1 एस. सी. आर. 1201; प्रमथ नाथ तालुका बनाम।सरोज रंजन सरकार एआईआर 1962 एससी 876 [1962] 2

पूरक। एस. सी. आर. 297; अर्जुन सिंह बनाम हिमाचल राज्य

प्रदेश आकाशवाणी 2009 एस. सी. 1568: [2009] 1 एससीआर 983; नूर

मोहम्मद मोहम्मद। यूसुफ मोमीन बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(1970) 1 एससीसी 696: [1971] 1 एससीआर 119; आर. वी. बास्करविले

1916 (2) के. बी. 658; मो. हुसैन उमर कोचरा आदि।

के. एस. दलीपसिंहजी और एक अन्य आदि (1969) 3 एस. सी. सी. 429

: [1969] 3 एससीआर 130; चोनामपारा चेल्लापन आदि।

केरल राज्य आदि (1979) 4 एस. सी. सी. 312: [1969] 3 एससीआर

130 ; केहर सिंह और अन्य बनाम। राज्य (दिल्ली)

प्रशासन (1988) 3 एससीसी 609: [1988] 2 पूरक। एससीआर

24 ; रंगनायकी बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य (2004)

12 एससीसी 521: [2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 452; सरवन सिंह

रतन सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर 1957 एस. सी 637:

[1957] एस. सी. आर. 953; चंद्रन और अन्य बनाम की स्थिति

केरल (2011) 5 एससीसी 161: [2011] 8 एससीआर 273; सुचासिंह बनाम। पंजाब राज्य AIR 2001 SC 1436: [2001] 2

एस. सी. आर. 644–संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 7 एससीआर 263

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[2004] 4 पूरक। एससीआर 470

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

(1990) 4 एस. सी. सी. 692

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[1975] पूरक। एससीआर 281

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1999] 1 एससीआर 659

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1991] 1 एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1955] 1 एससीआर 1201

संदर्भित किया गया है

पैरा 33 सोमसुंदरम @सोमू बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस विभाग के आयुक्त द्वारा

[1962] 2 पूरक। एससीआर 297

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[2009] 1 एससीआर 983

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

[1971] 1 एससीआर 119

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

[1969] 3 एससीआर 130

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

[1988] 2 पूरक। एससीआर 24

पैरा 56

संदर्भित किया गया है

[2004] 5 पूरक। एससीआर 452

संदर्भित किया गया है

पैरा 58

[1957] एससीआर 953

पैरा 61

संदर्भित किया गया है

[1968] 2 एससीआर 641

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

[1971] 1 एससीआर 617

उस पर भरोसा करें

पैरा 63

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 64

[2011] 8 एससीआर 273

संदर्भित किया गया है

पैरा 67

[1998] 2 एससीआर 303

उस पर भरोसा करें

पैरा 69

[2013] 3 एससीआर 1172

उस पर भरोसा करें

पैरा 70

[2018] 13 एससीआर 405

उस पर भरोसा करें

पैरा 72

[1977] 1 एससीआर 280

उस पर भरोसा करें

पैरा 72

[2000] 2 पूरक। एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

पैरा 142

[2001] 2 एससीआर 644

संदर्भित किया गया है

पैरा 142

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

403 2010 से।

उच्च न्यायालय के 06.10.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2004 की आपराधिक अपील सं. 698 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 827 , 828 2013, 1504, 2006–2007 और 2008

2009 2017 से।

पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय, वाई. लोकेश,

सुश्री वी. सुशीथा, बाबुल कुमार, पी. अबनीश कार्तिक, अरुण सिंह, सुश्री वी. कीर्तना, बी. करुणाकरन, एम. ताबिश जिया, अनिरुद्ध जे., एस. गौतम, आदित्य के. चौधरी, अमन सिंह, गुरमेहर वान सिंह, वैभव प्रसाद देव, राजेश सिंह चौहान, एम. योगेश कन्ना, सुश्री मेहा अग्रवाल, एस. राजा राजेश्वरन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था के. एम. जोसेफ, जे.

1. अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक सामान्य निर्णय से छह अपीलें उत्पन्न होती हैं –

ट्रायल कोर्ट। उपरोक्त अपीलों में से सबसे पहली, यानी आपराधिक अपील

2010 का सं. 403, चौथे अभियुक्त द्वारा दायर किया गया है। 2013 की आपराधिक अपील सं. 827 और 2013 की आपराधिक अपील सं. 828 क्रमशः तीसरे और पंद्रहवें अभियुक्त द्वारा दायर की गई हैं।

यह तीन-जज बेंच क्यों?

2. तीसरे, चौथे और पंद्रहवें अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई। वहाँ एक था

विद्वान न्यायाधीशों के बीच राय का विभाजन। एक विद्वान न्यायाधीश (न्याय)

वी. गोपाल गौड़ा) ने अपने फैसले से आरोपी को बरी कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने अपीलों को खारिज कर दिया। दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख सोमसुंदरम उर्फ सोमु v में किया गया है। पुलिस उपायुक्त द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व 1. इसके बाद

निर्णय दिया गया था, यह है कि अन्य अपीलें अन्य अभियुक्तों द्वारा दायर की गईं। वे इस प्रकार हैं:

ए। ए 5 और ए 8 ने आपराधिक अपील संख्या दायर की है। 2008 2017 का;

बी। ए 6 ने 2017 की आपराधिक अपील संख्या 1504 दायर की है;

सी। ए 7, ए 11, ए 14, ए 16 और ए 17 ने मिलकर आपराधिक अपील दायर की है।

2017 का सं. 2006;

डी। हालाँकि 2017 की आपराधिक अपील और 2017 की आपराधिक अपील संख्या 2009 भी दायर की गई थी, सुनवाई के बाद, उपरोक्त दो अपीलों को वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए गए हैं और उन्हें वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया जा सकता है।

भविष्यवाणी का मामला

3. एम. के. बालन (इसके बाद संक्षेप में 'मृतक' के रूप में संदर्भित), जो एक पूर्व थे। एम. एल. ए., के लापता होने की सूचना उनके बेटे ने दी थी

पीडब्लू1 के बाद वह 30.12.2001 पर सुबह की सैर के लिए गए। शिकायत के आधार पर कानून बनाया गया। पीडब्लू67-पुलिस निरीक्षक ने पीडब्लू66 से 12.01.2002 पर जाँच का जिम्मा संभाला। वास्तव में, यह पीडब्लू66 था, जिसने शुरू में जाँच की थी। पीडब्लू66 ने फरार व्यक्ति की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष को दिए जाने की बात कही है और

1 (2016) 16 एस. सी. सी. 355 सोमसुंदरम @सोमू बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

कि 13.01.2002 से, अधिकारी ने कई गवाहों से पूछताछ की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सफलता के आधार पर आया थाजानकारी, जिसके अनुसार, ए5 (पाँचवाँ आरोपी) को 18.03.2002 पर गिरफ्तार किया गया। अगले ही दिन ए6 को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी, चौबीस घंटे के अंतराल के भीतर, अर्थात। , 20.03.2002 पर A7 को गिरफ्तार किया गया। ए8 को 22.03.2003 पर गिरफ्तार किया गया था। अल को 23.03.2002 पर गिरफ्तार किया गया था। ए3 को 25.03.2002 पर गिरफ्तार किया गया था। ए4 को 09.04.2002 पर गिरफ्तार किया गया। ए15 को 25.04.2002 पर गिरफ्तार किया गया था। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अभियुक्त ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 (इसके बाद संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अर्थ के भीतर इकबालिया बयान दिए, जिससे जानकारी मिलती है जिससे बरामदगी होती है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि मृतक का अपहरण (हालांकि इसे अपहरण के रूप में दिखाया गया है) 30.01.2002 पर किया गया था, ले जाया गया था और एक कारखाने परिसर में रखा गया था जो PW34–कृष्णा पांडी का था, जिसके साथ PW10 था

और पीडब्लू11 भागीदार बन गए थे। कई करोड़ की एक बड़ी राशि ने आरोपी को मृतक के अपहरण की साजिश रचने के लिए प्रेरित किया। अभियोजन पक्ष का यह अगला मामला था कि आरोपी ने मृतक की मांग को नहीं मानने की स्थिति में उसे हटाने का फैसला किया। जैसे ही यह पता चला कि मृतक ने हार नहीं मानी, उसकी हत्या कर दी गई, जबकि उसे वर्मीसेली कारखाने की पहली मंजिल में बंदी बना कर रखा गया था, जिसे पी. डब्ल्यू. 34 द्वारा संचालित किया जा रहा था। ए3 को ए. डी. एम. के. के नेता के रूप में जाना जाता था। ए12, यह आरोप लगाया गया था, जिसकी शादी ए2 से हुई थी, उसे ए3 से ए. आई. ए. डी. एम. के. नेता शशिकल की आवाज़ में बोलने के लिए कहा गया था। इसमें ए1 और ए2 ने एक भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए12 द्वारा दिए गए आदेश से इतना प्रेरित होने पर, स्पष्ट रूप से ए. आई. ए. डी. एम. के. नेता की आवाज़ की नकल करते हुए, ए3 कृत्य करता है। ए9 ने पीडब्लू10 और पीडब्लू11 से संपर्क किया। आरोप है कि पीडब्लू10 और पीडब्लू11 को घरों की तलाशी लेने के लिए राजी किया गया था। ए3 और ए9 को दिखाए गए कई घरों से संतुष्ट नहीं होने के कारण, उन्हें अंततः कारखाना परिसर का समर्थन मिला जो मुदिचुर में स्थित है। अभियोजन पक्ष का यह और मामला है कि उसकी हत्या के बाद, मृतक के शव का निगम के श्मशान घाट पर 01.01.2002 पर अंतिम संस्कार किया गया और इसे पूरा करने के लिए, सरकारी अस्पताल में काम करने वाले एक कर्मचारी, PW33 को ए3 द्वारा एक झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया था। तदनुसार, पीडब्लू33, यह आरोप लगाया गया था, [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. डब्ल्यू. 32 से संपर्क किया–एक चिकित्सा व्यवसायी। चिकित्सा व्यवसायी एक मृत्यु प्रमाण पत्र देता है जिसमें एक व्यक्ति का नाम प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है, और कथित रूप से एक पते पर रहता है, जिसे पुलिस ने जांच में पाया कि वह व्यक्ति का निवास स्थान नहीं था। दूसरे शब्दों में, एक गैर–विद्यमान और एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम का उपयोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए किया जाता था और उसी की आड़ में मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता था।

4. आरोप-पत्र के आधार पर और औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, निचली अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए। द.

विभिन्न अभियुक्तों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप बनाए गए हैं जो विचारण न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट हैं:

" इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए गए थेः कि नवंबर 2001 के महीने के दौरान, पहले, दूसरे और तीसरे आरोपी ने एक साथ साजिश रची और मामले पर चर्चा की

कैसे Ex.M.L.A. एम. के. बालन का अपहरण किया जा सकता है और

अगर वह कोई राशि देने से इनकार करता है और इस तरह की साजिश के परिणामस्वरूप सुबह एम. आर. सी. नगर के पास उसका अपहरण कर लिया गया और उसे अवैध रूप से मुडिचुर में टी. के. पी. वर्मीसेली कारखाने में रखा गया और उसकी हत्या करने के कारण उसकी हत्या करने का फैसला किया गया। 00 पी. एम., जिससे धारा 120 के तहत एक शुल्क। बी. इस मामले में आरोपी 1 से 18 के खिलाफ आई. पी. सी. तैयार की गई है।दूसरा इस तरह की साजिश के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जबकि उक्त एम. के. बालन सुबह एम. आर. सी. नगर के पास आई. डी. 1 पर चल रहे थे, चाकू की नोक पर उन्हें सुबह लगभग 5:30 बजे अय्यपन मंदिर के पास अपहरण कर लिया गया।

रेगन वाली मारुति वैन में आरोपी 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 और 17। नहीं। : टीएन-ए-7484 और उस समय 15 वां आरोपी उन्हें रास्ता दिखाने के लिए हीरो होंडा में उस वैन के सामने गया और अंत में

उक्त एम. के. बालन को वर्मीसेली कारखाने में अवैध रूप से रखा गया था।

मुडिचुर रोड पर एक कृष्णपांडी से संबंधित, इस प्रकार कहा गया

अभियुक्तों पर आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत आरोप लगाए गए हैं और

उक्त अपराध के लिए अभियुक्त 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 और 13 से 18 अभियुक्तों को रेगन वाली कार में जाने के लिए उकसाना। नहीं। : टी. एन.-10-एफ-5555 पर आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत आरोप लगाया गया है।

तीसरा, इस तरह के षड्यंत्र के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उक्त स्थान पर उक्त तिथि पर उक्त एम. के. बालन (Ex.M.L.A) लोहे की जंजीर और रस्सी से एक खाट में बांध दिया गया और उसे ओमसुंदरम @सोमू वी को धमकी दी गई।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

रुपये के साथ भाग लें। 16 अपने पक्ष में अपनी संपत्तियों के संबंध में दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए, जिससे आरोपी 1 से 11 और 14 से 18 पर आई. पी. सी. की धारा 387 के तहत आरोप लगाया गया है।चौथा, इस तरह की साजिश को पूरा करने के लिए और उसी के अनुसरण में आरोपी 1 और 2 के इशारे और उकसावे पर, 12 वें आरोपी ने फोन पर तीसरे आरोपी से बात की और अपनी आवाज श्रीमती के रूप में बदल दी। "यदि

संभव हो तो राशि प्राप्त करें अन्यथा उसे बंद कर दें और सेंथिल के साथ आएं और मुझसे मिलें और सेंथिल आपको बाद में सब कुछ बताएगा, जिससे उक्त अभियुक्तों को धारा 419,420 के तहत आरोप तय किए गए हैं।

उसकी संपत्तियों के संबंध में कोई भी दस्तावेज, गर्दन में रस्सी बांधकर और कड़ा करके, जिससे उपरोक्त सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दंडनीय अपराध किया था। इसी तरह आरोपी 1,2,5,9,12 और 13 पर अपराध करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था।

हत्या करने के कार्य के लिए उकसाना।

छठा, उसी दिन उक्त घटना में उसी के परिणामस्वरूप, संपत्ति को निकालने के उद्देश्य के साथ

मृतक एम. के. बालन का अपहरण कर लिया गया था, जिससे आरोपी 3 से 11 और 13 से 18 को आई. पी. सी. की धारा 347 और 364 के तहत आरोप तय किए गए थे और उक्त अपराध के लिए उकसाने के लिए आरोपी 1,2 और 12 को धारा 347 के साथ 109 के तहत आरोप तय किए गए हैं।

और 364 आई. पी. सी. 109 के साथ पढ़ा जाता है।

सातवाँ, मृतक की हत्या करने के बाद

एम. के. बालन, शव को श्मशान घाट ले जाया गया और

पेराम्बुर श्मशान घाट में झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करके अंतिम संस्कार किया गया जैसे कि किसी राजमणि चेट्टियार की हृदय रोग के कारण मृत्यु हो गई हो और इसलिए अपराध की जांच के लिए वास्तविक तथ्यों को दबाकर, आरोपी 8,10,11 और 13 से 18 को आरोप में फंसाया गया है

आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत।

5. अभियोजन पक्ष ने इसकी जांच करके अपने बोझ का निर्वहन करने की मांग की है। इसने बड़ी संख्या में [2020] 10 एस. सी. आर. का निर्माण और प्रदर्शन भी किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(पी1 से पी86) और भौतिक वस्तुएँ (एम. ओ. 1 से एम. ओ. 39)। अभियुक्त द्वारा पाँच पहलुओं की जाँच की गई। डी1 से डी8 पर साबित हुए थे

की ओर से। निचली अदालत ने साक्ष्य की सराहना करने पर पाया कि

अभियोजन पक्ष के मामले में, ए 12 के संबंध में छोड़कर और

परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को निम्नलिखित रूप में दोषी ठहरायाः

((i)

ए 1 और ए 2 को धाराओं के तहत अपराधों का दोषी पाया गया।

120 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा बी (इसके बाद संक्षेप में 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित), आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 365, आई. पी. सी. की धारा 387, आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 302, आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 347 और आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 364 के तहत।

((ख)

ए 3 को अल की साजिश पर कार्रवाई करते हुए पाया गया है और

ए 2। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 365, आई. पी. सी. की धारा 387, आई. पी. सी. की धारा 302, आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराधों का दोषी पाया गया।

364 आई. पी. सी. और आई. पी. सी. की धारा 201। उन्हें आईपीसी की धारा 120 बी के तहत बरी कर दिया गया था। (अनुच्छेद 194 देखें।

विचारण न्यायालय का निर्णय);

(111) ए 4 को आई. पी. सी. की धारा 365, आई. पी. सी. की धारा 387, आई. पी. सी. की धारा 302, आई. पी. सी. की धारा 347, आई. पी. सी. की धारा 364 और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराधों का दोषी पाया गया। उन्हें धारा 120 बी के तहत बरी कर दिया गया था।

आई. पी. सी;

((iv)

ए 5 को धारा 365 के तहत दोषी पाया गया।

109 आई. पी. सी. की धारा 387, आई. पी. सी. की धारा 109, आई. पी. सी. की धारा 347, आई. पी. सी. की धारा 364 और आई. पी. सी. की धारा 201। वह था,

हालाँकि, आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत बरी कर दिया गया।

ए 6 को धारा 365 के तहत दोषी पाया गया।

(v)

109 आई. पी. सी. की धारा 387, आई. पी. सी. की धारा 302, आई. पी. सी. की धारा 347, आई. पी. सी. की धारा 364 और आई. पी. सी. की धारा 201। वह धारा के तहत बरी हो गया।

120 आई. पी. सी. का बी;

(vi)

ए 7 को आईपीसी की धारा 365 के तहत दोषी पाया गया।

387 आई. पी. सी. की धारा, आई. पी. सी. की धारा 302, ओमसुंदरम की धारा 347 @एस. ओ. एम. यू. बनाम।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

आई. पी. सी. की धारा 364 और आई. पी. सी. की धारा 201। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत बरी कर दिया गया।

(vii) ए 8 को आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 365, आई. पी. सी. की धारा 387, आई. पी. सी. की धारा 109, आई. पी. सी. की धारा 347, आई. पी. सी. की धारा 364 और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दोषी पाया गया और वह आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत बरी हो गया। (viii) सभी, जो हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं में से एक हैं, को आई. पी. सी. की धारा 365, आई. पी. सी. की धारा 387, आई. पी. सी. की धारा 302, आई. पी. सी. की धारा 347, आई. पी. सी. की धारा 364 और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया और बरी कर दिया गया।

आई. पी. सी. की धारा 120 बी;

(ix)

ए 12 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

ए 14, ए 15, ए 16 और ए 17 को धारा 365 के तहत दोषी ठहराया गया था।

(x)

आई. पी. सी. की धारा 387, आई. पी. सी. की धारा 302, आई. पी. सी. की धारा 347, आई. पी. सी. की धारा 364 और आई. पी. सी. की धारा 201 और आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत आरोप उनके खिलाफ साबित नहीं हुए और वे बरी हो गए।

6. प्रत्येक अभियुक्त (अपीलार्थी) के खिलाफ निष्कर्षों के विवरण पर ध्यान देना आवश्यक हैः

" 211. आरोपी 3,6 और 8 को अपराध के लिए उकसाने का आरोप है।

अभियुक्त 1 और 2 की साजिश का, 30.12.01 पर लगभग

5: 30 पूर्व एम. एल. ए. एम. के. बालन का अपहरण कर लिया गया था और

मुडिचुर रोड पर वर्मीसेली कारखाने में एक गुप्त स्थान पर रखा गया, ताम्बरम ने धारा 365 के तहत अपराध किया।

109 आई. पी. सी. और धन निकालने का प्रयास करने के लिए या

पूर्व विधायक, उक्त एम. के. बालन की संपत्ति

उसे गुप्त स्थान पर रखने के लिए उसकी हत्या करना गैरकानूनी और अवैध रूप से, धारा 347 के तहत अपराध किया

आई. पी. सी. और हत्या के उद्देश्य से उसका अपहरण करने के लिए

उसने आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध किया और उसके बाद

उक्त एम. के. बालन, पूर्व एम. एल. ए. की हत्या, शव था

एरुक्कनचेरी, पेराम्बुर और [2020] 10 एस. सी. आर. के श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निशानों की जांच करने और गलत जानकारी देने के उद्देश्य से, आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध किया और तदनुसार उन्हें उपरोक्त अपराधों का दोषी पाया जाता है।

212. आई. डी. 1 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुबह लगभग 5:30 बजे पूर्व एम. एल. ए. एम. के. बालन का अपहरण कर लिया गया और

मुडिचुर रोड, तांबरम में वर्मीसेली कारखाने में एक गुप्त स्थान पर रखे जाने पर, 109 आई. पी. सी. के साथ धारा 365 के तहत अपराध किया और उक्त एम. के. बालन, पूर्व विधायक से धन या संपत्ति निकालने का प्रयास करने के लिए, आई. पी. सी. की धारा 387 के तहत अपराध किया और जब वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था, तो उक्त एम. के. बालन की हत्या करके, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध किया और उसकी हत्या करने से पहले, उसे गैरकानूनी और अवैध रूप से एक गुप्त स्थान पर रखने के लिए, आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध किया और हत्या के उद्देश्य से उसका अपहरण किया।

अभियुक्त 1 और 2 की आई. पी. सी. की धारा 364 की साजिश के तहत अपराध करने वाले चौथे अभियुक्त पर उपरोक्त अपराधों का आरोप लगाया गया है।

213. पाँचवाँ अभियुक्त लगभग पाँच बजे 30.12.01 पर अभियुक्त 1 और 2 की साजिश को पूरा करने के लिए अपराधों का दोषी पाया जाता हैः 30 पूर्व एम. एल. ए. एम. के. बालन का अपहरण कर लिया गया था

और मुडिचुर रोड, तांबरम में वर्मीसेली कारखाने में एक गुप्त स्थान पर रखा गया, 109 आई. पी. सी. के साथ पठित धारा 365 के तहत अपराध किया और उक्त एम. के. बालन, पूर्व विधायक से धन या संपत्ति निकालने का प्रयास करने के लिए अपराध किया।

आई. पी. सी. की धारा 387 के तहत अपराध और जब वह इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, तो उक्त एम. के. बालन की हत्या करके, आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत और उससे पहले अपराध किया। उसकी हत्या करने के लिए, उसे गैरकानूनी और अवैध रूप से एक गुप्त स्थान पर रखने के लिए, आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध किया और उसकी हत्या के उद्देश्य से उसका अपहरण करने के लिए, आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध किया और उक्त एम. के. बालन, पूर्व विधायक की हत्या के बाद, शव का पेराम्बुर के एरुकांचेरी में श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया और निशानों की जांच करने और गलत जानकारी देने के उद्देश्य से, आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध किया और तदनुसार उसने

उपरोक्त अपराधों का दोषी पाया जाता है।

ओमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

214. 7 वें, 10 वें, 11 वें और 14 वें अभियुक्तों पर आरोप लगाए गए थे

अभियुक्त 1 और 2 के साथ मिलीभगत करने के लिए अपराध

यह कहते हुए अपनी साजिश को पूरा करते हुए कि 30.12.01 को लगभग 5:30 बजे पूर्व एम. एल. ए. एम. के. बालन का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें एक घर में रखा गया था।

मुडिचुर रोड, तांबरम में वर्मीसेली कारखाने में गुप्त स्थान,

आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत अपराध किया और

धन या संपत्ति निकालने का प्रयास करने के लिए

उक्त एम. के. बालन, पूर्व विधायक ने निम्नलिखित अपराध को अंजाम दिया

आई. पी. सी. की धारा 387 और जब वह इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी,

उक्त एम. के. बालन की हत्या को अंजाम दिया

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत और हत्या करने से पहले का अपराधउसे गैरकानूनी और अवैध रूप से एक गुप्त स्थान पर रखने के लिए,

आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध किया और उसकी हत्या करने के इरादे से उसका अपहरण कर लिया,

आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध और उक्त व्यक्ति की हत्या के बाद

पूर्व एम. एल. ए. एम. के. बालन के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया।

एरुक्कनचेरी, पेराम्बुर में श्मशान और एक दृष्टिकोण के साथनिशानों की जांच करें और गलत जानकारी दें, प्रतिबद्ध

उपरोक्त अपराधों का दोषी, जैसा कि इस मामले में तय किया गया है। 215. अभियुक्त 9 और 13 के विरुद्ध यह कहा गया है कि 30.12 पर अभियुक्त 1 और 2 की साजिश के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। 1

सुबह लगभग 5:30 बजे पूर्व एम. एल. ए. एम. के. बालन का अपहरण कर लिया गया था।

और मुडिचुर रोड पर वर्मीसेली कारखाने में एक गुप्त स्थान पर रखा गया,

ताम्बरम ने धारा 365 के तहत अपराध किया।

109 आई. पी. सी. और धन निकालने का प्रयास करने के लिए या

पूर्व एम. एल. ए., उक्त एम. के. बालन की संपत्तिआई. पी. सी. की धारा 387 के तहत अपराध और जब वह सक्षम नहीं था

गैरकानूनी और अवैध रूप से, आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध किया और हत्या के उद्देश्य से उसका अपहरण किया उसने आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध किया और तदनुसार

उन्हें उपरोक्त अपराधों का दोषी पाया गया।

ई सजा इस प्रकार हैः

" 220. इसके अलावा आरोपी 3,6 और 8 को दोषी ठहराया गया है।

109 आई. पी. सी. के साथ पठित धारा 365 के तहत अपराध और [2020] 10 एस. सी. आर. की सजा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 साल के आर. आई. से गुजरना होगा और रुपये का जुर्माना देना होगा। 5000 / – प्रत्येक चूककर्ता को एक–एक वर्ष का आर. आई. भुगतना होगा; उन्हें आई. पी. सी. की धारा 387 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और उन्हें 7 वर्ष का आर. आई. भुगतने और 5 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाएगी। 5000 / – प्रत्येक को एक वर्ष के आर. आई. से गुजरने में चूक और धारा 302 के तहत अपराध के लिए उन्हें समझाने के लिए आई. पी. सी. और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 50000 / – प्रत्येक को आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें तीन साल के आर. आई. से गुजरने और रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है। 5000 / – चूक करने पर प्रत्येक को छह महीने के आर. आई. से गुजरना होगा; उन्हें आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया जाएगा और उन्हें 10 साल के आर. आई. से गुजरने और रुपये का जुर्माना देने की सजा

सुनाई जाएगी। 5000 / – चूक करने पर प्रत्येक को दो साल के आर. आई. से गुजरना होगा; उन्हें आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और उन्हें 7 साल के आर. आई. से गुजरने और जुर्माना देने की सजा दी जाएगी।

रु. 10000 / – चूक करने पर प्रत्येक को एक वर्ष का आर. आई. देना होगा और उन पर लगाए गए कुल जुर्माने की राशि प्रत्येक रु. 80000 / – (केवल अस्सी हजार रुपये) और यह आदेश दिया जाता है कि इन अभियुक्तों पर लगाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।221. चौथे आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई है और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 5000 / – और डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्ष के आर. आई. से गुजरना होगा और

आई. पी. सी. की धारा 387 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराना और

7 साल के आर. आई. से गुजरने और एक साल के आर. आई. से गुजरने के लिए Rs.5000/– के जुर्माने का भुगतान करने की सजा; जो उसे आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराता है और उसे आजीवन कारावास की सजा देता है। कारावास और रुपये का जुर्माना देना। 50,000 / – उन्हें आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 5000 / – चूक में छह महीने के आर. आई. से गुजरना; उसे 10 साल के आर. आई. से गुजरने और रुपये का जुर्माना देने के लिए दोषी ठहराया। 5000 / – चूक में 2 साल आर. आई. से गुजरना होगा और यह आदेश दिया जाता है कि इस आरोपी पर लगाई गई सभी सजाएं चलेंगी।

साथ ही (उस पर लगाया गया कुल जुर्माना रु। 70, 000/रुपये केवल सत्तर हजार)।222. 5 वें अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 365 के साथ 109 आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 7 साल के आर. आई. से गुजरने और एक साल के आर. आई. से गुजरने के लिए Rs.5000/– का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है; आई. पी. सी. की धारा 387 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया जाता है और

उसे 7 साल के आर. आई. से गुजरने और ओमसुंदरम @एस. ओ. एम. यू. वी. का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

Rs.5000/– चूक में एक वर्ष आर. आई. से गुजरना; आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराना और

उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया और उसे 3 साल के आर. आई. से गुजरने और 50,000 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। 5000 / – चूक करने पर छह महीने के आर. आई. से गुजरना होगा और उसे आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और उसे 10 साल के आर. आई. से गुजरने और 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। 5000 / – चूक में दो साल आर. आई. से गुजरना; धारा 201 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराना।

आई. पी. सी. और उसे 7 साल के आर. आई. से गुजरने और 5 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई। 10,000 / – एक वर्ष के आर. आई. से गुजरने की चूक में और इस आरोपी पर लगाया गया कुल जुर्माना रु। 80,000 / – (केवल अस्सी हजार रुपये) और यह कि इस अभियुक्त पर लगाए गए सभी दंड एक साथ चलेंगे; 223. 9 वें आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 365 के साथ 109 आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे 7 साल के आर. आई. और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 5000 / – उसे आई. पी. सी. की धारा 387 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए एक साल के आर. आई. से गुजरना होगा और

उसे 7 साल आर. आई. से गुजरने और जुर्माना देने की सजा सुनाई गई।

Rs.5000/– चूक में एक वर्ष आर. आई. से गुजरना होगा; उसे आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पढ़ने वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी और रुपये का जुर्माना देना होगा। 50,000 / और उसे आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 3 साल के आर. आई. से गुजरने और 5 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई। 5000 / – चूक करने पर छह महीने के आर. आई. से गुजरना होगा; और आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराना और उसे 10 साल के आर. आई. से गुजरने और 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। 5000 / – डिफ़ॉल्ट रूप से 2 साल के आर. आई. से गुजरना होगा जैसा कि तय किया गया है। यह आदेश दिया जाता है कि सभी

इस मामले में उस पर लगाई गई सजाएं साथ–साथ चलेंगी (कुल जुर्माना राशि रु। केवल सत्तर हजार)।

224. इसके अलावा 13 वें आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 7 से गुजरने की सजा सुनाई जाती है।

आर. आई. वर्ष और रु. का जुर्माना देना। 5000 / – चूक करने पर एक वर्ष आर. आई. से गुजरना होगा; आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी।

कारावास और रुपये का जुर्माना देना। 50000 / – और उसे आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 3 साल के आर. आई. से गुजरने और 5 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई। 5000 / – डिफ़ॉल्ट रूप से [2020] 10 एस. सी. आर.

छह महीने के आर. आई. से गुजरना; आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया और उसे 10 साल के आर. आई. से गुजरने और रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई। 5000 / – दो साल के आर. आई. से गुजरने के लिए डिफ़ॉल्ट में;

आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराना और

उसे 7 साल आर. आई. से गुजरने और जुर्माना देने की सजा सुनाई गई।

इस आरोपी पर लगाई गई राशि रु। केवल पचहत्तर)। आगे यह आदेश दिया जाता है कि इस 13 वें आरोपी को सजा सुनाई जाएगी।एस. सी. सं. 206/03 में मामले के संबंध में उस पर लगाए गए दंड के साथ-साथ इस मामले में उस पर लगाए गए दंड।

225. इसके अलावा आरोपी 7,10,11,14,15,16 और 17 को आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और सात साल के आर. आई. से गुजरने और Rs.5000/- के जुर्माने का भुगतान करने के लिए प्रत्येक को एक साल के आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई जाती है; उन्हें आई. पी. सी. की धारा 387 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई जाती है।

आर. आई. और रुपये का जुर्माना देना। 5000 / - प्रत्येक को एक वर्ष के आर. आई. से गुजरना होगा; उन्हें आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 50000 / - प्रत्येक को आई. पी. सी. की धारा 347 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई जाती है और

रुपये का जुर्माना देना। 5000 / - चूक करने पर प्रत्येक को छह महीने के आर. आई. से गुजरना होगा; उन्हें आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और

उन्हें 10 साल के आर. आई. से गुजरने और जुर्माना देने की सजा

रु. 5000 / - चूक में प्रत्येक को दो साल से गुजरना होगा; उन्हें आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और उन्हें दोषी ठहराया जाएगा।

7 साल के आर. आई. से गुजरना होगा और रुपये का जुर्माना देना होगा। 10,000 / - डिफ़ॉल्ट रूप से प्रत्येक को एक वर्ष के आर. आई. से गुजरना होगा जैसा कि तय किया गया है। (जुर्माने की कुल राशि

रु. हो जाता है। 80,000 / - प्रत्येक) इन पर लगाए गए सभी वाक्य

अभियुक्त आदेश के अनुसार साथ-साथ भाग लेगा।

8. उच्च न्यायालय ने ए 10 के संबंध में निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की जिसे बरी कर दिया गया था।

9. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील को सुना।

10. हमने विद्वान वकील को भी उनकी ओर से पेश होते सुना है

एन. डी. एन. टी.-सभी अपीलों में बताएँ। 11. ए 3 के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि सजा का मामला साजिश के सिद्धांत पर आधारित था।

तदनुसार सोमसुंदरम @ सोमू बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

ए 3 सहित अभियुक्तों के खिलाफ धारा 120 बी के तहत आरोप तय किया गया था। इस संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला था, ए 12, जिसकी शादी ए 2 से हुई थी, ने ए 3 को फोन किया। ए 3 को कथित तौर पर शशिकल की आवाज़ में ए 12 द्वारा फोन पर बताया गया था कि ए 1 और ए 2 ए 3 से मिलेंगे और उन्हें वह करने के लिए कहा गया था जो वे उसे करने के लिए कहेंगे। और भी कॉल आए। वास्तव में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, साजिश ए 1 और ए 2 के दिमाग में रची गई थी। अल ने एम. के. स्टालिन (एक राजनीतिक नेता) के साथ अपनी निकटता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि वह अपनी बेटी से शादी करने वाले थे। ए 2 गंभीर वित्तीय संकट में था। उन्होंने ए 12 के साथ अंतर-धार्मिक विवाह किया था। उन्होंने मृतक का अपहरण करने और उसे बड़ी राशि (Rs.16 करोड़) देने के लिए मजबूर करने और अगर वह इनकार करता है, तो उसे खत्म करने का विचार किया। यह इंगित किया गया है कि निचली अदालत ने आपराधिक साजिश से संबंधित अभियोजन पक्ष के मामले में अविश्वास किया है जो

अदालत ने ए 12 को उसके खिलाफ आरोप से बरी कर दिया। अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत भी बरी हो गया। पूरा मामला अभियोजन पक्ष के मामले की इमारत कथित आपराधिक साजिश पर बनाई गई थी जिसमें ए 12 शामिल था। एक बार जब ए 12 के बरी होने से इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया, तो अभियोजन पक्ष द्वारा बनाई जाने वाली अधिरचना को अनिवार्य रूप से जमीन पर गिरना चाहिए।

प्रस्तुत किया कि धारा 109 को केवल साजिश के अलावा लागू करने के लिए, तथाकथित साजिश के अनुसरण में कुछ कार्य या अवैध चूक अपरिहार्य है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वी. के. शशिकल से पीडब्लू 67-अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई थी, लेकिन उनसे गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई है। उसकी आवाज़ के बारे में कोई सबूत नहीं है। जब तक ए 12 को शशिकल की आवाज़ के बारे में पता नहीं होता, तब तक यह विश्वास करना लगभग असंभव होगा कि ए 12 ए 3 को अपनी आवाज़ में बोल सकती है, जो अंततः अभियोजन पक्ष का मामला है। शशिकलाक सार्वजनिक भाषण देबाक कोनो प्रमाण नहि अछि। हालांकि ए 3 मईपार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उनकी आवाज से परिचित होना, यह शायद ही [2020] 10 एस. सी. आर. के रूप में पर्याप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ए 12 उनकी आवाज़ से परिचित थी जिसके बिना यह अविश्वसनीय है कि वह शशिकल की नकल कर सकती थी।

13. वह आगे तर्क देंगे कि इस मामले में एक बार आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत साजिश से संबंधित अभियोजन मामला विफल हो जाने के बाद, निर्भरता

आई. पी. सी. की धारा 109 पर रखा गया है, जो एक साजिश पर विचार करता है और कुछ और पर खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं होगा। साजिश पर आधारित किसी भी अवैध कार्य या चूक को छोड़ दें, कोई भी साजिश खुद साबित नहीं होती है। इसलिए आई. पी. सी. की धारा 109 का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। ए 3 के कहने पर

मारुति ज़ेन कार की बरामदगी के संबंध में, यह बताया गया है कि ए 3 कार का मालिक नहीं है। पीडब्लू10 और पीडब्लू11 सक्रिय प्रतिभागी थे। संहिता की धारा 303 के तहत उन्हें माफी नहीं दी गई थी।

यह साबित करने के लिए कि ए 3 मृतक को कारखाने में लाया था। पीडब्लू34, जिसकी गवाही पर अभियोजन पक्ष ने काफी निर्भरता रखी है, भी एक है सहयोगी। उन्होंने पैराग्राफ 115 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के फैसले 2 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार हैः

ए–12 द्वारा पढ़ा गया और ए–3 द्वारा सुना गया और तदनुसार कार्य किया गया। साहुल हमीद, पीडब्लू 47 के साक्ष्य भी चेन की बरामदगी को साबित करते हैंजिनसे एम. के. बालन और अन्य वस्तुओं को बांधा गया था। यह स्पष्ट है कि एम. के. बालन का अपहरण किया गया था। जब संभव नहीं हुआ तो पैसे निकालने का प्रयास किया गया, फैक्ट्री परिसर में उनकी हत्या कर दी गई। अपीलार्थियों पर उसकी गर्दन में नायलॉन की रस्सी लगाकर और उसे कसकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। हालाँकि इसके संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन यह उन परिस्थितियों में अनुमान लगाया जा सकता है जो उन्होंने किए थे

हत्या का अपराध भी। एक बार जब उन्होंने एम. के. बालन का अपहरण कर लिया था तो उन्हें यह समझाना था कि उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। एम. के. बालन का शव नहीं मिल सका क्योंकि इसका अंतिम संस्कार एक काल्पनिक व्यक्ति–राजामणि चेट्टियार के नाम पर किया गया था। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया जा सका लेकिन साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि एम. के. बालन का शव वर्मीसेली कारखाने से लिया गया था। यह एक अनुमान देता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़ित की हत्या की थी। यह आवश्यक नहीं है कि एक दोषसिद्धि दर्ज की जाए कि कॉर्पस डिलिक्टि पाया जाए। इसके लिए पर्याप्त सबूत हैंअपरिहार्य निष्कर्ष कि एम. के. बालन की मृत्यु अपीलार्थियों द्वारा की गई थी। गवाहों ने उसका शव देखा था।

14. वह शिकायत करता है कि इस दृष्टिकोण में अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को आरोपी को हस्तांतरित करना शामिल है। अपहरण के बाद से

स्वयं साबित नहीं हुआ है, ताकि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि हासिल करने के मामले में सफल हो, अभियोजन पक्ष को अपने द्वारा निर्धारित मामले को साबित करना चाहिए था। मृतक की हत्या करने के लिए कथित तौर पर एक चेन का इस्तेमाल किया गया था। ए 14 और ए 16 जेल में थे। उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर चेन और नायलॉन की रस्सी बरामद की गई। वह यह इंगित करेंगे कि हालांकि उक्त बरामदगी का उपयोग अन्य अभियुक्तों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। वह अदालत को उस पृष्ठभूमि की याद दिलाता है जिसमें एक हाई–प्रोफाइल व्यक्ति के लापता होने के बाद जांच आगे बढ़ी, क्योंकि मृतक एक पूर्व विधायक था। ए.

मद्रास उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। बहुत दबाव था। इस मामले ने मीडिया का भी ध्यान खींचा।

इसने जांच अधिकारियों को आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए वास्तव में संस्करण का निर्माण करने के लिए मजबूर किया। पीडब्लू 21 और पीडब्लू 35 पुलिस अधिकारी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ अभियुक्तों की पहचान 01.01.2002 पर आधी रात के बाद एक सार्वजनिक सड़क पर घूमते हुए की है।हत्या सहित अपराधों के कथित अपराध के तुरंत बाद। लेकिन इसके परिणामस्वरूप ए 3 को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। पी. डब्ल्यू. 12 और पी. डब्ल्यू. 19

आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को पेश किया गया। , अपराध के बाद मृतक के शव को नष्ट करने के लिए, पीडब्लू 12 और पीडब्लू 19 ने श्मशान घाट पर काम किया। यह है।

उन्होंने बताया कि जहां तक पीडब्लू 12 का संबंध है, वह शत्रुतापूर्ण हो गए हैं। इस संबंध में यह बताया गया है कि राख बरामद नहीं की गई थी। मृतक व्यक्ति की हड्डियाँ बरामद नहीं की गईं या उन्हें वैज्ञानिक जांच के लिए नहीं भेजा गया

जांच पड़ताल की। 15. वह प्रस्तुत करेगा कि मृतक का शव स्वयं नहीं मिला है या पेश नहीं किया गया है, और इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला [2020] 10 एस. सी. आर. नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वीकार किया जाए। यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए दाह संस्कार करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह दोनों अदालतों और इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है कि ए 3 एक झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में शामिल था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए 3 के कहने पर पीडब्लू33 ने पीडब्लू32–डॉक्टर से संपर्क किया था। डॉक्टर को बताया गया कि एक और व्यक्ति का निधन हो गया है

दूर। पी. डब्ल्यू. 33, पी. डब्ल्यू. 32 पर विश्वास करते हुए–डॉक्टर ने बयान दिया है कि उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है। पीडब्लू19 के अनुसार, शव का अंतिम संस्कार किया गया था

16. ए 3 के विद्वान वकील ने बताया कि ए 3 को उस मामले से जोड़ा जाना चाहिए जैसा कि दोनों अदालतों द्वारा किया जाना चाहिए, जो मामला नहीं था। 17. ए 3 से हुई वसूली के बारे में, यह बताया गया है कि एम. ओ. 12 मारुति ज़ेन कार है। वह इंगित करेंगे कि पुनर्प्राप्ति की प्रासंगिकता (पुनर्प्राप्ति के साथ जुड़ी दुर्बलता के अलावा) स्थापित नहीं है। एम. ओ. 28 ऑडियो कैसेट हैं। उसी के बारे में, यह है

यह दर्शाता है कि उक्त कार के मालिक ने नवंबर, 2001 में ए 3 को एम. ओ. 12 दिया था और ए 3 ने फरवरी, 2002 में कार वापस कर दी थी। ऐसी कोई विशेष भूमिका नहीं है जिसका श्रेय मारुति ज़ेन कार को दिया जाए।

18. ऑडियो साक्ष्य के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। एम. ओ. 33 थोड़ा सा है

अभियोजन पक्ष ने कहा कि ए 12 ने शशिकल की आवाज की नकल करते हुए पार्टी के एक पदाधिकारी ए 3 को ए 1 और ए 2 को बाध्य करने का आदेश दिया था और यह कार्रवाई शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला मृतक की वीभत्स हत्या में समाप्त होती है]।

यह सोमसुंदरम @ सोमू बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

कि मृतक की आवाज़, पीडब्लू1 के माध्यम से साबित नहीं होती है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि यदि धारा 27 के तहत बयान दिया जाता है और इसे बनाने वाला व्यक्ति बरी हो जाता है, तो इस तरह के बयान का उपयोग उनके खिलाफ नहीं किया जा सकता है।अन्य अभियुक्त। विद्वान वकील तर्क देंगे कि आई. पी. सी. की धारा 109 को लागू करने वाले दोषसिद्धि के मामले में, प्रमुख अपराधी की पहचान की जानी चाहिए। रिपोर्ट किए गए फैसले के संबंध में उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया

सिरी राम बत्रा और अन्य बनाम। वित्तीय आयुक्त, दिल्ली और अन्य 3. उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने इस आधार पर कार्यवाही की है।

कि सी. आर. पी. सी. की धारा 164 के तहत एक स्वीकारोक्ति सबूत का एक ठोस टुकड़ा है, जो कि नहीं है। इस संबंध में हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णयों की ओर आकर्षित किया जाता है। जॉर्ज और अन्य में वी। केरल राज्य और

दूसरा, यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 36. अब हम पी. डब्ल्यू. 50 के विस्तृत साक्ष्य की ओर रुख कर सकते हैं।

इससे पहले। निचली अदालत के फैसले से हम देखते हैं कि इसकी टिप्पणियों के महत्वपूर्ण हिस्से, (पहले उद्धृत) इस पर आधारित हैं –

उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया न कि उसका

अदालत में सबूत। उक्त कथन को मौलिक माना गया

साक्ष्य; जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट होगा, अन्य के बीच विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँः

" यदि Ext. पी–42 (धारा 164 के तहत दर्ज किया गया बयान)

अभियुक्त को जोड़ने के लिए सबूत का महत्वपूर्ण टुकड़ाअपराध "।

उपरोक्त और इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए निचली अदालत

फिर से आपराधिक न्यायशास्त्र के एक मौलिक नियम को नजरअंदाज कर दिया कि

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज गवाह का बयान नहीं हो सकता है।मूल साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है और केवल इसके लिए उपयोग किया जा सकता है

उसका विरोध या पुष्टि करने का उद्देश्य।

(जोर दिया गया)

3 (2004) 12 एससीसी 52 4 (1998) 4 एससीसी 605 [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. ए 3 के लिए विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया।

बलदेव सिंह बनाम। पंजाब राज्य 3, इस अदालत ने नोट किया कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाह के बयान के साथ-साथ एक मामले में आरोपी की पहचान के संबंध में प्राथमिकी पर भरोसा करने में गलती की थी, जहां अदालत में अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने गवाही दी थी कि वह अंधेरे के कारण दोषियों की पहचान नहीं कर सका था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयान का उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में दिए गए तरीके से गवाह का खंडन करने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर है, यह निर्णय पी. डब्ल्यू. 19 के साक्ष्य के आधार पर अदालत के खिलाफ लागू किया गया है।

20. जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम। बृजमोहन रामदास

मेहरा और अन्य 6, पर यह इंगित करने के लिए भरोसा किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत दस्तावेजों के रूप में भाषणों का रिकॉर्ड लेते समय,

स्वीकार्यता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगीः

" (क) कथित रूप से बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ को रिकॉर्ड बनाने वाले या अन्य लोगों द्वारा विधिवत पहचाना जाना चाहिए जो

इसे जानते हैं।

(ख) वास्तव में जो दर्ज किया गया था उसकी सटीकता होनी चाहिए थी

अभिलेख निर्माता द्वारा सिद्ध और संतोषजनक साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य, होना चाहिए ताकि अभिलेख के साथ छेड़छाड़ की संभावनाओं को खारिज किया जा सके।

(ग) अभिलिखित विषय-वस्तु को दिखाया जाना था

साक्ष्य में पाए गए प्रासंगिकता के नियमों के अनुसार प्रासंगिक

अधिनियम "।

21. उन्होंने यह भी बताया कि यदि अभियुक्त की तस्वीर गवाहों और गवाहों को दिखाई जाती है तो अभियुक्त की पहचान करने के बारे में गवाही दी जाती है, यह पहचान को किसी भी मूल्य से वंचित कर देगा जो अन्यथा होता। उन्होंने विजयन बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। केरल राज्य ':

" 8. मृतक के घर से कुछ गज की दूरी पर रहने वाली एक युवा लड़की, पीडब्लू 4 के साक्ष्य के माध्यम से एक और परिस्थिति स्थापित करने की कोशिश की गई। उसके अनुसार, उसने किसी के भागने की आवाज सुनी और जब वह मुड़ी तो उसने आरोपी विजयन को पानी का चैनल पार करके भागते देखा।

$ (1990) 4 एस. सी. सी. 692

6 (1976) 2 एससीसी 17

7 (1999) 3 एस. सी. सी. 54 ओमसुंदरम @एस. ओ. एम. यू. वी. राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

और नीली पैंट और नीली शर्ट पहनी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह

परीक्षण पहचान परेड में आरोपी विजयन की पहचान की गई लेकिन

साक्ष्य पर चर्चा करते समय पहले से ही कारण सामने आ गए हैंपीडब्लू 3 और 9, परीक्षण में अभियुक्त की पहचान

पहचान परेड पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने

दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि पहचान परीक्षण पहचान परेड में पीडब्लू 4 द्वारा अभियुक्त का होना चाहिए

पर भरोसा किया। हम इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं।विशेष रूप से जब अभियोजन सामग्री से यह स्पष्ट हो कि

परीक्षण पहचान परेड के आयोजन से बहुत पहले,

अभियुक्त विजयन की तस्वीर में प्रकाशित किया गया था

बहुत प्रचार था और इसके लिए पर्याप्त अवसर था गवाहों को अभियुक्त व्यक्ति को दिखाया जा रहा है। इस दृष्टि से

मामला, हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने गलती से

इस संबंध में और यह माना गया कि विजयन की पहचान पीडब्लू 4 पर भरोसा किया जा सकता है। हमने सबूतों की जांच की है

उक्त पीडब्लू 4 बहुत विस्तार से और हम सदस्यता लेने में असमर्थ हैंउच्च न्यायालय ने उपरोक्त के साक्ष्य पर विचार किया है

गवाह। हम वास्तव में यह भी समझने में विफल रहते हैं कि एक गवाह कैसे देख रहा है

एक अज्ञात आदमी भाग रहा है उसे पहचानने में सक्षम हो सकता है

समय के बाद। द्वारा कोई विशेष विशेषता भी इंगित नहीं की गई थी

गवाह। हमारे विचार में, पीडब्लू 4 का साक्ष्य पूरी तरह से अयोग्य है

क्रेडिट और, इस तरह, घर लाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है शुल्क "।

(जोर दिया गया)

यह एक ऐसा मामला था जहां टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से ठीक पहले,

एक ने उसे परेड में सबसे लंबे आदमी की पहचान करने के लिए कहा।

22. विद्वान वकील इंगित करेंगे कि अभियुक्त हकदार हैं

अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए न्यायालय से अनुरोध करें

सबसे अच्छा सबूत पेश नहीं किया गया है [मोहनलाल शामजी को देखें]

वी. भारत संघ और दूसरा। स्पष्ट रूप से, अभियुक्त का अधिकार था

संदेह का लाभ।

पूरक (1) एससीसी 271 [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील सं। 2006 2017 का

23. ए 3 के विद्वान वकील ने 2017 की आपराधिक अपील संख्या 2006 में भी दलीलें स्वीकार कीं, जहां वह पीडब्लू10 और पीडब्लू11 और अन्य प्रस्तुतियों के बारे में ए 7, ए 11, ए 14, ए 16 और ए 17 के लिए पेश हुए।

आपराधिक अपील सं। 403 2010 का

प्राप्त संख्या 4 (ए 4) द्वारा आवेदन

24. विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि ए4 के रूप में आयोजित परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है।चिंतित हैं। वे बताते हैं कि पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 टी. आई. पी. से पहले कई मौकों पर उन्हें देखकर ए4 से परिचित साबित हुए हैं। यह किसी भी मूल्य की कथित पहचान से वंचित कर देगा। एमओ6 फोर्ड एस्कॉर्ट कार है, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए बयान के आधार पर ए4 से बरामद किया जाता है। वसूली पर विद्वान वकील द्वारा इस आधार पर हमला किया जाता है कि

यह सबूत लगाया गया है। उन्होंने हमें वसूली को रोकने के लिए पीडब्लू 25 के बयान के माध्यम से ले जाया। पीडब्लू67 के अनुसार, वह बताते हैं कि कार बाहर खड़ी थी। वह शिकायत करेगा कि अदालतों ने पीडब्लू 10 और पीडब्लू 11 पर भरोसा किया है जैसे कि वे विश्वसनीय गवाह थे, जो वे नहीं थे। वह इस बात पर भी जोर देंगे कि सहयोगी होने के नाते, उन्हें न केवल विश्वसनीय होना चाहिए, बल्कि उनके साक्ष्य को पुष्टि की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। वे बताते हैं कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि उक्त गवाहों ने अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जान के डर से पुलिस से संपर्क नहीं किया था, लेकिन वह इंगित करेंगे कि उनके साक्ष्यों को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे शुरू से ही इस मामले में शामिल थे और कुछ भी उन्हें कानून प्रवर्तन अधिकारियों से संपर्क करने से नहीं रोक रहा था। इसलिए उनके साक्ष्य से अदालत का विश्वास नहीं बढ़ना चाहिए। वह बताएगा कि पीडब्लू10 और पीडब्लू11 लगभग दो महीने से अधिक समय से पुलिस हिरासत में थे। उन्होंने पुलिस के साथ मोल–भाव किया होगा और उनकी गवाही संदिग्ध है।

45 दिनों के बाद 24.05.2002 पर टी. आई. पी. आयोजित किया गया था। वह पीडब्लू10 और पीडब्लू11 की गवाही के बीच विरोधाभास की ओर इशारा करेंगे। दूसरे शब्दों में, वह यह इंगित करेंगे कि अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से पुष्टि की तो बात ही छोड़िए, पीडब्लू11 के साक्ष्य से भी पीडब्लू10 के साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं है क्योंकि उनके बयान विरोधाभासों को प्रकट करते हैं। विद्वान वकील अन्यथा ए3 के तर्कों को अपनाता है। 25. काफी हद तक, ए5 के संबंध में ए3 के संबंध में समान तर्कों को संबोधित किया जाता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि पीडब्लू67 को इसके बारे में पता था

सभी की भागीदारी और पीडब्लू10 और पीडब्लू11 के साक्ष्य अविश्वसनीय थे।

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

आपराधिक अपील सं। 1504 2017 का

26. इसमें अपीलार्थी ए6 है। अपीलार्थी का विद्वान वकील निम्नलिखित प्रस्तुतियों को संबोधित करेगा। वह प्रस्तुत करेगा।

कि ए6 के खिलाफ चार परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा सबसे पहले यह तर्क देने की मांग की गई है कि ए6 को 05.12.2001 पर देखा गया था। इसके बाद, कारखाने में 31.12.2001 पर उसकी उपस्थिति का उपयोग उसके खिलाफ किया जाता है, जहां मृतक की कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 10 का बयान कि उसने उसे 01.01.2002 पर देखा था और उसने पी. डब्ल्यू. 10 को धमकी दी थी, उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वह इस संबंध में पीडब्लू10 और पीडब्लू11 के बीच विरोधाभास की ओर भी इशारा करेंगे। एम. ओ. 8 सफेद रंग की मारुति वैन है जिसे ए6 के कहने पर बरामद

किया गया था। उक्त वाहन पर नंबर था–टी. एन.–22–बी. ओ./343। वह इंगित करेंगे कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उक्त वाहन का उपयोग अपहरण या परिवहन के लिए किया गया था। दूसरे शब्दों में, वह अपने मुवक्किल को दोषी ठहराने के लिए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाएगा। वह आगे बताते हैं कि पीडब्लू24–पुलिस अधिकारी ने वास्तव में ए8 की पहचान ए6 के रूप में की है। इस संबंध में, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 147 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आगे कहा कि PW12–श्मशान में कर्मचारी ने A6 की पहचान नहीं की, हालांकि PW19 ने A6 की पहचान की। पीडब्लू19 द्वारा पहचान अविश्वसनीय है क्योंकि उन्होंने ए6 की भौतिक विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया है। वह शिकायत करेगा कि पीडब्लू19 ने मीडिया में तस्वीरें देखी होंगी, एक शिकायत जो अन्य अभियुक्तों की ओर से भी प्रतिध्वनित की जा रही है। इसके बाद, ए6 के खिलाफ उपयोग की जाने वाली परिस्थिति क्रमशः पीडब्लू21 और पीडब्लू35, पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की गवाही है। वह करेगा,

वास्तव में, प्रस्तुत करें कि उनके बयान को स्वीकार करने से भी, यह इस तथ्य से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगा कि ए6 01.01.2002 की आधी रात को सार्वजनिक सड़क पर था। यह ए6 को अपराध से नहीं जोड़ेगा। वह आगे इंगित करेंगे कि पीडब्लू35 के बयान से पता चलता है कि बीट नोट में सामान्य प्रथा के विपरीत, ए6 के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि उन्होंने अपदस्थ किया है कि तीन अन्य लोगों के साथ, ए6 की उपस्थिति का उल्लेख किया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा ए6 की पहचान विश्वसनीय नहीं है। यह बताया गया है कि पुलिस अधिकारी ने जेल का दौरा किया होगा और अदालत परिसर में भी रहा होगा जहां उसने ए6 देखा होगा। इसलिए, पुलिस अधिकारियों द्वारा ए6 की पहचान सभी अर्थ खो देती है।27. उन्होंने पीडब्लू1 के बयान पर भी भरोसा किया कि रीबॉक जूते उनके पिता–मृतक के नहीं थे। 30.01.2001 और 31.01.2001 पर A6 की उपस्थिति से संबंधित साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं है। 01.01.2002 पर A6 की उपस्थिति स्थापित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

28. यह अपीलार्थी–ए15 का भी मामला है कि जूता की बरामदगी पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती थी जब मृतक का बेटा पीडब्लू1, उसने स्वयं पदच्युत किया है कि जो जूता बरामद किया गया है वह वह नहीं था जो उसके पिता ने पहना था। यह भी तर्क है कि पीडब्लू31 उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाया है जो कथित रूप से कारखाने से जूता ले गया था।

29. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह प्रस्तुत करके शुरू करेंगे कि पीडब्लू 10 और पीडब्लू 11 नहीं थे

सहयोगी। इसलिए, उनके साक्ष्य को पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस दलील को यह बताते हुए सुधारने की कोशिश की कि आई. पी. सी., पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 की धाराओं के तहत अपराध में कोई संलिप्तता नहीं थी और केवल इस तथ्य से कि वे हत्या और अभियुक्तों के अन्य कृत्यों के घटनाक्रम से परिचित थे, उन्हें सहयोगी के रूप में नहीं माना जा सकता था। वह वास्तव में इंगित करेगा कि आरोपी संख्या। 1

और 2 को आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ–साथ आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें पीडब्लू34 के बयान से काफी समर्थन मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि ए 1 और ए 2 प्रमुख साजिशकर्ता थे। आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत दोषी ठहराए गए अन्य अभियुक्तों ने आई. पी. सी. की धारा 109 के अर्थ में ए 1 और ए 2 के साथ सहयोग और मिलीभगत की है। वह प्रस्तुत करेगा कि ए 12 के बरी होने से अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे यह इंगित करेंगे कि इस न्यायालय को, इस प्रकार के मामले में, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, सभी परिस्थितियों के संचयी प्रभाव पर विचार करना चाहिए। प्रभारी के किसी भी दोष के संबंध में, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 460 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि इस मामले में कोई लाइलाज अवैधता शामिल नहीं है। उन्होंने पी. डब्ल्यू. 60 के बयान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने हमें उन बरामदों के बारे में बताया जिनके कारण दो न्यायालयों द्वारा प्रासंगिक साक्ष्य पर विश्वास किया गया है, और इसके अलावा, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश। वह आगे पीडब्लू19 के बयान की ओर इशारा करेंगे। वह बताते हैं कि पीडब्लू 12 और पीडब्लू 19 दोनों ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिए थे। सी. आर. पी. सी. की धारा 164 के तहत बयान का उपयोग पुष्टि के उद्देश्य से किया जा सकता है, हालांकि इसका उपयोग सोमसुंदरम @एस. ओ. एम. यू. वी. के रूप में नहीं किया जा सकता है।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपने आप में ठोस सबूत। उन्होंने पी. डब्ल्यू. 33 के साथ पठित पी. डब्ल्यू. 32 के बयान से भी काफी समर्थन प्राप्त किया। की हत्या में A6 का हाथ

एक सार्वजनिक व्यक्ति स्पष्ट रूप से बनाया जाता है, तर्क चलाता है। वह एम. ओ. 28 और 33 के संबंध में ए 6 के विवाद पर निष्पक्ष रूप से विवाद नहीं करते हैं। वह न्यायालय को आश्वासन देता है कि न्यायालय साक्ष्य की उक्त वस्तुओं को छोड़ सकता है, लेकिन वह प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि करने के लिए न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री है। ए 3 के लिए विद्वान वकील, जवाब में, इंगित करेंगे कि वास्तव में, ए 1 और ए 2 को भी आई. पी. सी. की धारा 109 की सहायता से दोषी ठहराया गया है। दूसरे शब्दों में, यह उनका मामला है कि ए 1 और ए 2 भी प्रमुख अभिनेता नहीं हैं ताकि अन्य अभियुक्तों को उन्हें उकसाने के लिए दोषी ठहराया जा सके। वे स्वयं थे।

इस आधार पर दोषी ठहराया गया कि उन्होंने विचाराधीन अपराधों को बढ़ावा दिया। उन्होंने आगे बताया कि पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 को उच्च न्यायालय द्वारा सहयोगी के रूप में माना गया है, जो राज्य के विद्वान वकील द्वारा समर्थित किए जाने की मांग के विपरीत है।

आई. पी. सी. की धारा 120 ए, 107, 108, 109, 141 और 149

30. आई. पी. सी. की धारा 120 ए "आपराधिक साजिश" को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार हैः

" 120 ए. आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। – जब दो या दो से अधिक

प्रति–पुत्र करने के लिए सहमत हैं, या करने का कारण बनते हैं,

(1) एक अवैध कार्य, या

(2) एक ऐसा कार्य जो अवैध तरीकों से अवैध नहीं है, ऐसा समझौता

एक आपराधिक साजिश नामित किया गया हैः

बशर्ते कि अपराध करने के समझौते के अलावा कोई भी समझौता आपराधिक साजिश के बराबर नहीं होगा जब तक कि कोई कार्य न हो।

इसके अलावा समझौता एक या अधिक पक्षों द्वारा किया जाता है

उसके अनुसरण में समझौता।

स्पष्टीकरण। यह मायने नहीं रखता कि क्या अवैध कार्य इस तरह के समझौते का अंतिम उद्देश्य है, या केवल उस उद्देश्य के लिए आकस्मिक है।

31. आई. पी. सी. की धारा 141 अध्याय VIII के अंतर्गत आती है। , अपराध

सार्वजनिक शांति के खिलाफ। धारा 141 गैरकानूनी सभा को पाँच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने के रूप में परिभाषित करती है, व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य इसके तहत उल्लिखित पाँच में से कोई एक होना है। इसमें किसी भी शरारत या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध को करने का सामान्य उद्देश्य शामिल है। आई. पी. सी. की धारा 142 घोषित करती है कि यदि कोई व्यक्ति तथ्यों से अवगत है [2020] तो एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो किसी सभा को गैरकानूनी सभा बनाता है, या तो शुरू में उसमें शामिल हो जाता है या उसमें बना रहता है, वह ऐसी गैरकानूनी सभा का सदस्य होता है।

32. आई. पी. सी. की धारा 149 विकेरियस के सिद्धांत की घोषणा करती है।

आपराधिक दायित्व। गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में अपराध किए जाने पर, प्रत्येक व्यक्ति,

जो अपराध किए जाने के समय इस प्रकार का सदस्य है

सभा इस तरह के अपराध का दोषी है। समान रूप से, धारा 149 के दूसरे भाग में, कानून दाता ने प्रावधान किया है कि गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए अपराध पर, जो ऐसा था कि उस सभा के सदस्य, अर्थात्। , गैरकानूनी सभा, जिसे उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना के बारे में जाना जाता है, सभा का प्रत्येक सदस्य, भले ही उसने अपराध नहीं किया हो, अपराध का दोषी ठहराया जाता है। 33. नानक चंद बनाम। पंजाब राज्य ', न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से एक तर्क से निपटना था कि धारा 149

आई. पी. सी. ने कोई अपराध नहीं बनाया और इसलिए एक अलग आरोप था

अनिवार्य नहीं है। इसलिए, इस न्यायालय ने एक प्रश्न पर निर्णय लेना आवश्यक पाया कि क्या आई. पी. सी. की धारा 149 एक विशिष्ट अपराध पैदा करती है। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 6. ..... इस धारा के तहत एक व्यक्ति, जो एक गैरकानूनी सभा का सदस्य है, द्वारा किए गए अपराध का दोषी ठहराया जाता है

उसी सभा का एक अन्य सदस्य, धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में, हालांकि उसका उस अपराध को करने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपनी उपस्थिति के अलावा कोई स्पष्ट कार्य नहीं किया था।

उस सभा के सामान्य उद्देश्य को इकट्ठा करना और साझा करना। इस धारा के प्रावधानों के बिना एक गैरकानूनी सभा के सदस्य को उसके द्वारा नहीं बल्कि उस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए जब अभियुक्त दंगों से बरी हो जाते हैं और गैरकानूनी सभा के सदस्य होने का आरोप विफल हो जाता है, तो उनमें से किसी को भी उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसने स्वयं नहीं किया था।

99

34. इसके बाद अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 34 और 149 के बीच के अंतर पर ध्यान दिया। इस तर्क से निपटते हुए कि खंड

149 आई. पी. सी. की धारा को अपराध पैदा करने के रूप में नहीं समझा जा सकता है क्योंकि इसने स्वयं सजा का प्रावधान नहीं किया था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

9 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 274 ओमसुंदरम @एस. ओ. एम. यू. बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 7. ..... भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के प्रावधानों और दोनों के बीच स्पष्ट अंतर है।

खंडों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का प्रमुख तत्व अपराध करने का सामान्य इरादा है। सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा कई कार्य किए जा सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप वह अपराध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में धारा 34 में प्रावधान है कि उनमें से प्रत्येक उस अपराध के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होगा जैसे कि उस अपराध के परिणामस्वरूप होने वाले सभी कार्य अकेले उसके द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान की धारा 149 में समान इरादे का कोई सवाल ही नहीं है।

दंड संहिता। गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जा सकता है और अन्य सदस्य उस अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे, हालांकि उस व्यक्ति और गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्यों के बीच ऐसा करने का कोई सामान्य इरादा नहीं था।

वह अपराध बशर्ते धारा में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए। इस प्रकार यदि उस व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध

गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य का अभियोजन या जैसे कि उस सभा के सदस्य जानते थे कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है, गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी होगा, हालांकि उस अपराध के वास्तविक कार्य में कोई सामान्य इरादा और अन्य सदस्यों द्वारा कोई भागीदारी नहीं हो सकती थी। बरेंद्र कुमार घोष बनाम। सम्राट [(1925) आई. एल. आर. एल. आई. आई. कैल 197] लॉर्ड सुमनर ने इस तर्क पर विचार किया कि यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का अर्थ कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया है, तो उस संहिता की धारा 114 और 149 अन्य होगी। हालाँकि, लॉर्ड समनर की राय में, धारा 149 निश्चित रूप से अनुचित नहीं है, क्योंकि किसी भी मामले में इसने एक विशिष्ट अपराध पैदा किया है। इसने भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में नामित एक समान उद्देश्य वाले पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा को अभिनिर्धारित किया और फिर उस उद्देश्य के अभियोजन में इसके एक सदस्य द्वारा अपराध किया और उन्होंने क्वीन v का उल्लेख किया। साबिद अली [(1873) XX वीकली रिपोर्टर (सीआर), पी 5]। उन्होंने बताया कि एक

गैरकानूनी सभा भिन्न हो सकती है और वास्तव में केवल समान हो सकती हैइस बात का सम्मान करते हुए कि वे सभी गैरकानूनी हैं, जबकि कार्रवाई में भागीदारी के तत्व, जो धारा 34 की प्रमुख विशेषता है, को [2020] 10 एस. सी. आर. के समय धारा 149 में विधानसभा की सदस्यता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

अपराध करना। हालाँकि, यह तर्क दिया गया था कि ये

लॉर्ड सुमनर की टिप्पणियाँ आज्ञाकारी थीं। मान लीजिए कि

यह स्वीकार नहीं करते हुए कि ऐसा हो सकता है, ऐसे न्यायाधीश की टिप्पणियांश्रेष्ठता का वजन विशेष रूप से होना चाहिए यदि अवलोकन में हैं

भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। यह है, हालाँकि, याद रखने के लिए कि लॉर्ड सुमनर की टिप्पणियाँ

प्रिवी काउंसिल के समक्ष दिए गए तर्क पर सीधे उत्पन्न हुआ,

प्रिवी काउंसिल धाराओं के प्रावधानों की समग्र रूप से समीक्षा करती है

34 , 114 और 149 आई. पी. सी. "

(जोर दिया गया)

35. इसके अलावा, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है

आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

बिना किसी विशिष्ट आरोप के अपराध के रूप में तैयार किया गया

सीआरपीसी, 1898 की धारा 233 के तहत। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 10. ओर से निर्दिष्ट मामलों की जांच के बाद

अपीलार्थी और अभियोजन पक्ष की हमारी राय है किकलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है, अर्थात्,

कि धारा 149 के साथ पठित अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति

धारा 233 Cr.P.C द्वारा आवश्यकतानुसार आरोप तय किया जा रहा है।36. धारा 107 आई. पी. सी. के अध्याय 5 में आती है। वह इस प्रकार हैः

" 107. किसी चीज़ को बढ़ावा देना। एक व्यक्ति एक को करने में मदद करता है

चीज़, कौन

उस काम को करने के लिए किसी भी साजिश में, यदि कोई कार्य या अवैधचूक उस साजिश के अनुसरण में होती है, और क्रम में

उस कार्य को करने के लिए; या (तीसरा)–जानबूझकर सहायता, किसी भी कार्य या अवैध चूक द्वारा,

स्पष्टीकरण ।–एक व्यक्ति जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, याएक भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाना जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है,

स्वेच्छा से कारण बनता है या खरीदता है, या कारण बनाने या खरीद करने का प्रयास करता है

कहा जाता है कि जो किया जाना है, वह उस काम को करने के लिए उकसाता है।

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

चित्रण ए, एक सार्वजनिक अधिकारी, एक के वारंट द्वारा अधिकृत है

कि सी जेड नहीं है, जानबूझकर ए को दर्शाता है कि सी जेड है, और इस प्रकार जानबूझकर ए को सी को पकड़ने के लिए प्रेरित करता है. यहाँ बी उकसाने से उकसाता है

सी की आशंका।

स्पष्टीकरण ।।। – जो कोई भी, या तो पहले या समय पर

एक अधिनियम का आयोग, सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ भी करता है

उस अधिनियम का आयोग, और इस प्रकार आयोग को सुविधा प्रदान करता है

कहा जाता है कि यह उस कार्य को करने में सहायता करता है।

37. आई. पी. सी. की धारा 108 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति अपराध को बढ़ावा देता है।

जो किसी अपराध को करने या किसी ऐसे कार्य को करने में सहायता करता है जो कानून द्वारा सक्षम व्यक्ति द्वारा किया गया हो तो अपराध होगा।

उसी इरादे या ज्ञान के साथ अपराध करने का जो उकसाने वाले का है। पहले स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है कि किसी कार्य को अवैध रूप से छोड़ने के लिए उकसाना अपराध हो सकता है, हालांकि उकसाने वाला स्वयं उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। स्पष्टीकरण (2) घोषणा करता है कि उकसाने का गठन करना आवश्यक नहीं है कि उकसाया गया कार्य किया जाना चाहिए

या कि अपराध का गठन करने के लिए अपेक्षित प्रभाव पैदा किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण ।। के तहत चित्रण (ए) निम्नानुसार प्रदान करता हैः

(ए) 'ए' 'बी' को 'सी' की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी 'ऐसा करने से मना कर देता है।

' ए " बी 'को हत्या के लिए उकसाने का दोषी है।

99

38. स्पष्टीकरण (।।) का दूसरा अंग इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है

चित्रण (बी) और यह इस प्रकार हैः

" (बी) 'ए' 'बी' को 'डी', 'बी' की हत्या के लिए उकसाता है

उत्तेजना 'डी' को छुरा घोंप देती है। डी 'घाव से ठीक हो जाता है।' ए 'है।

'बी' को हत्या के लिए उकसाने का दोषी।

39. स्पष्टीकरण (3) घोषणा करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति

उकसाया गया व्यक्ति कानून द्वारा अपराध करने में सक्षम होना चाहिए या उसे उसी तरह का दोषी इरादा या ज्ञान होना चाहिए जैसा कि उकसाने वाले का है या कोई दोषी इरादा या ज्ञान होना चाहिए। पहला चित्रण इस प्रकार हैः

" (ए) 'ए', एक दोषी इरादे के साथ, एक बच्चे या एक पागल को उकसाता है

एक ऐसा कार्य करना जो एक अपराध होगा, यदि एक कानून द्वारा अपराध करने में सक्षम व्यक्ति, और

'ए' के समान इरादा। यहाँ 'ए', चाहे कार्य किया गया हो या

नहीं, अपराध के लिए उकसाने का दोषी है। "[2020] 10 एस. सी. आर.

40. एक अन्य चित्रण (डी) इस प्रकार हैः

" (घ) 'ए', चोरी करने के इरादे से, उकसाता है

' 'बी' का 'जेड' की संपत्ति को 'जेड' के कब्जे से निकालना। ए '

'बी' को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि संपत्ति 'ए' की है। बी 'लेता है

Z के कब्जे से बाहर की संपत्ति, अच्छे विश्वास में, यह मानते हुए कि

ए की संपत्ति। ' बी ', इस गलत धारणा के तहत कार्य करना, नहीं लेता है

बेईमानी से, और इसलिए चोरी नहीं करता है। लेकिन 'ए' दोषी है।

चोरी के लिए उकसाने का, और उसी सजा के लिए उत्तरदायी है जैसे कि 'बी' को था

चोरी की "।

41. इस प्रकार, स्पष्टीकरण (3) मुख्य के लिए एक अपवाद है।

आई. पी. सी. की धारा 108 के प्रावधान।

42. अपराध के लिए उकसाना एक अपराध है,

इस तरह का उकसाना भी स्पष्टीकरण IV के तहत एक अपराध है। स्पष्टीकरण 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि षड्यंत्र द्वारा उकसाने के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उकसाने वाले को अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ अपराध करना चाहिए और यह पर्याप्त है यदि वह उस साजिश में शामिल है जिसके अनुसरण में अपराध किया गया है। स्पष्टीकरण विज़ के तहत चित्रण इस प्रकार हैः

" " ' 'जेड' को जहर देने के लिए 'बी' ए योजना के साथ एक 'संगीत कार्यक्रम।' ए 'का होना था

समझौते के तहत जहर देना। ' बी 'तब समझाता है'ए' का नाम लिए बिना 'सी' की योजना बनाएँ। ' सी 'खरीद के लिए सहमत है

जहर लें और इसे 'बी' को दें क्योंकि इसका उपयोग इस तरह से किया जा रहा है

"समझाया।" "" ज़हर दिए जाने के बाद ज़ की मृत्यु हो जाती है।

हालांकि, 'ए' और 'सी' ने 'सी' के बाद से अभी तक एक साथ साजिश नहीं रची है

उस साजिश में शामिल रहा है जिसके अनुसार 'जेड' था हत्या, 'सी' ने उकसाने का अपराध किया है जो दोषी है

हत्या की सजा के लिए "।

(जोर दिया गया)

43. इस प्रकार, किसी चीज के लिए उकसाने को आई. पी. सी. की धारा 107 में परिभाषित किया गया है और

"उत्प्रेरक" की अवधारणा को आई. पी. सी. की धारा 108 में समझाया गया है। अनुभाग

उस कार्य को करने के लिए किसी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ, यदि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है। षड्यंत्र, और उस चीज़ को करने के लिए।

अंत में, ओमसुंदरम @एस. ओ. एम. यू. वी है। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी कार्य या चूक से सहायता करता है, तो

44. प्रमथ नाथ तालुकदार बनाम। सरोज रंजन सरकार 1 0, यह न्यायालय ई द्वारा उकसाने के अपराध के बीच अंतर के बारे मेंसमुद्री डकैती और आपराधिक साजिश का अपराध (अधिनियम की धारा 120ए)

" 16. ..... आपराधिक साजिश के अपराध का सार इस प्रकार है

एक अवैध कार्य या एक ऐसा कार्य करने के लिए समझौता जो अवैध नहीं है

अवैध साधन। जब समझौता अपराध करने के लिए होता है, तो

समझौता अपने आप में आपराधिक साजिश का अपराध बन जाता है।जहां, हालांकि, समझौता एक अवैध कार्य करने के लिए है जो नहीं है

षड्यंत्र द्वारा उकसाने के अपराध और अपराध के बीच आपराधिक षड्यंत्र का, जहाँ तक समझौता करने के लिए

अपराध का संबंध है, इसमें निहित है। साजिश द्वारा उकसाने के लिएकेवल समझौता ही पर्याप्त नहीं है। एक कार्य या अवैध चूक होनी चाहिए

साजिश के अनुसरण में और क्रम में किया जाता है

उस चीज़ को करने के लिए साजिश रची। लेकिन अपराधी के अपराध मेंषड्यंत्र बहुत ही समझौता या साजिश अपने आप में एक कार्य है और है

अपराध का सार। विल्स, जे. ने मुल्काही बनाम में अवलोकन किया। रानी

[(1868) 317 पर एल. आर. 3 एच. एल. 303]:

" जब दो इसे लागू करने के लिए सहमत होते हैं, तो बहुत ही साजिश एक है

अपने आप में कार्य करें, और प्रत्येक पक्ष का कार्य, इसके खिलाफ वादा करता है

वचन, अधिनियम के विपरीत, लागू करने में सक्षम, यदि वैध है,

दंडनीय यदि किसी आपराधिक उद्देश्य के लिए या आपराधिक साधनों के उपयोग के लिए।

बहुत संक्षेप में कहें तो अपराध के बीच का अंतर

अपराध केवल व्यक्तियों का संयोजन या दोनों के बीच समझौतावे पर्याप्त नहीं हैं। एक कार्य या अवैध चूक होनी चाहिए

षड्यंत्र का अनुसरण और कार्य को करने के लिए

के लिए साजिश रची; बाद के अपराध में केवल समझौता ही पर्याप्त है, यदि समझौता एक अपराध करना है।

(जोर दिया गया)

1962 एससी 876 [2020] 10 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. आई. पी. सी. की धारा 109 में उकसाने की सजा का प्रावधान है यदि उकसाया गया कार्य किया गया है और जहां कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

सजा के लिए बनाया गया। इसमें प्रावधान है कि जहां उकसाने की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वहां सजा वही होगी जो अपराध के लिए प्रदान की गई है। स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप में प्रदान करता है:

या षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता के साथ जो गठित करता है प्रोत्साहन। "

46. आई. पी. सी. की धारा 108 के स्पष्टीकरण ।। में यह स्पष्ट किया गया है कि उकसाने का अपराध किया जाएगा, चाहे कोई भी हो।

उकसाया गया कार्य किया गया है या नहीं या क्या प्रभाव जो अपराध का गठन करेगा वह हुआ है या नहीं। उदाहरण (क) और (ख) स्पष्ट हैं कि जो व्यक्ति उकसाता है, जैसा कि कानून में घोषित किया गया है, वह इस आधार पर उकसाने के अपराध के लिए आपराधिक दायित्व से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है कि जो कार्य उकसाया गया था वह नहीं किया गया था या जो अपराध वास्तव में उकसाया गया था वह नहीं किया गया था। आई. पी. सी. की धारा 109, दूसरी ओर, इस स्थिति पर विचार करती है कि उकसाया जा रहा है और उकसाया

गया कार्य किया गया है, और इसके अलावा, यह उकसाने के परिणामस्वरूप किया गया है। क्या ये सामग्री मौजूद होनी चाहिए और यदि कोई एक्सप्रेस नहीं है आई. पी. सी. के तहत ऐसे उकसाने के कार्य की सजा के लिए प्रावधान, व्यक्ति खुद को उस अपराध के लिए सजा के साथ दंडित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है जो आरोपी द्वारा उकसाने के परिणामस्वरूप किया गया है।

47. इस बात के लिए कि कार्य या अपराध, आई. पी. सी. की धारा 109 के अर्थ के भीतर किया गया है, उकसाने के परिणामस्वरूप, यह उकसाने के परिणामस्वरूप या साजिश के अनुसरण में या सहायता के साथ होना चाहिए जो उकसाने का गठन करता है। आई. पी. सी. की धारा 109 के स्पष्टीकरण को आई. पी. सी. की धारा 107 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो उकसाने का अपराध बनाता है। जहाँ तक किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उकसाने की बात है, यह धारा 107 के पहले भाग से संबंधित है।

जो घोषणा करता है कि उकसाना तब किया जाता है जब उकसाने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है। 48. जहां तक आई. पी. सी. की धारा 109 के स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर साजिश का संबंध है, यह दूसरी बात आई. पी. सी. की धारा 107 के तहत है जो उस सोमसुंदरम @सोमू बनाम को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ किसी व्यक्ति को शामिल करने के बारे में बात करती है।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

बशर्ते कि कोई कार्य या अवैध चूक साजिश के अनुसरण में होती है।

49. जहां तक आई. पी. सी. की धारा 109 के स्पष्टीकरण के अंतिम भाग का संबंध है, जो किसी कार्य या अपराध के बारे में बताता है। सहायता के साथ किए जाने वाले उकसावे के परिणामस्वरूप जो

किया जा रहा अपराध (जैसा कि जहर देकर हत्या के मामले में) उकसाने वाले के साथ होना आवश्यक नहीं है। बस इतना ही आवश्यक है कि उकसाने वाला उस साजिश में भी शामिल हो, जिसका अर्थ दो या दो से अधिक अन्य लोगों के बीच संगीत कार्यक्रम में भाग लेना है, भले ही उसने एक या दो से अधिक लोगों को चेहरे से या अन्यथा नहीं देखा या जाना हो।ऐसे व्यक्ति जो साजिश के बारे में जानते हैं। इस प्रकार, उनकी भागीदारी के आधार पर

षड्यंत्र के सभी प्रमुख प्रतिभागियों की पहचान जाने बिना किसी व्यक्ति या किसी भी संख्या में व्यक्तियों को उकसाने के लिए, धारा 107 की धारा 108 के साथ पठित धारा 107 की सहायता से मुकदमा चलाया जा सकता है।

आईपीसी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

51. आई. पी. सी. की धारा 109 को आकर्षित करने के लिए, अधिनियम को बढ़ावा दिया गया

उकसाने के परिणामस्वरूप किया जाना चाहिए। आई. पी. सी. की धारा 115 और 116 अपराधों के लिए उकसाने के लिए दंड से संबंधित है जब अपराध उकसाने के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है और जहां आई. पी. सी. में इस तरह के उकसाने की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

52. अर्जुन सिंह बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य 1 1, इस न्यायालय ने निर्णय दिया

इस प्रकार हैः

" 11. ..... कानून में किसी विशेष मामले में उकसाने की आवश्यकता नहीं है।

आचरण करें। क्या कोई उकसावा था या नहीं, यह एक सवाल है प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया गया। कानून में इसकी आवश्यकता नहीं है

अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कि वास्तविक कार्यात्मक कारण

उकसाने वाले व्यक्ति का मन उकसाना था और कुछ नहीं, इसलिए जब तक उकसावा था और अपराध किया गया है

या अपराध किया गया होगा यदि अपराध करने वाला व्यक्ति

इस कार्य का वही ज्ञान और इरादा था जो उकसाने वाले का था। द.

उकसाना उस चीज़ के संदर्भ में होना चाहिए जो की गई थी और

उस चीज़ के लिए नहीं जो व्यक्ति द्वारा किए जाने की संभावना थी

जिसे उकसाया जाता है। यह केवल तभी है जब इस शर्त को पूरा किया जाता है कि एक व्यक्ति उकसाने का दोषी हो सकता है। ... ."

(जोर दिया गया)

53. इस प्रकार, संक्षेप में, उकसाना, जैसा कि परिभाषित किया गया है, एक मूल अपराध है।

इसके लिए सजा अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती है। यदि उकसाया गया कार्य उकसाने के अनुसरण में किया जाता है, तो सजा अधिक गंभीर होती है, जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 109 से देखा जा सकता है, जैसे -

सजा उस अपराध के लिए है जो उकसाने के आधार पर किया जाता है। उकसाने का अपराध दंडनीय है, भले ही उकसाया गया कार्य न किया गया हो। जैसा कि उल्लेख किया गया है, धारा 115 और 116 ऐसे मामलों में दंड का प्रावधान करती है। आई. पी. सी. की धारा 114 सहित अपराधों से संबंधित कई अन्य पहलू हैं जो उकसाने वाले कार्य और किए गए कार्य के लिए भी संचयी सजा प्रदान करते हैं।

54. हालाँकि, उकसाने के अपराध के केंद्र में है

आई. पी. सी. की धारा 107 में तीन आवश्यकताओं में से किसी एक की उपस्थिति।

कानून के तहत उकसाने का गठन करने के लिए प्रमुख और अपरिहार्य तत्व उकसाना, साजिश या किसी भी कार्य या अवैध द्वारा जानबूझकर सहायता करना है।

11 ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1568 सोमसुंदरम @सोमू बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

चूक, चीज़ का करना। कानून उकसाने वाले को उकसाने के लिए सजा से बचने की अनुमति नहीं देता है, भले ही वह वास्तविक खिलाड़ी हो जो अपराध करता है।

अपराध उस वास्तविक कार्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अपराध होता है (इस संबंध में, आई. पी. सी. की धारा 108 के स्पष्टीकरण III में दृष्टांतों में विचार की गई स्थिति देखें)। समान रूप से, साजिश में शामिल सभी व्यक्तियों के बीच मन की बैठक की आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त है यदि कोई व्यक्ति उस साजिश में शामिल है जिसके बाद अपराध किया गया है (आई. पी. सी. की धारा 108 का स्पष्टीकरण V देखें)। इसका मतलब यह है कि यह भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति

जो साजिश में लगे हुए हैं, यहां तक कि पहचान जानने के लिए, अन्य खिलाड़ियों से शारीरिक रूप से मिलने की तो बात ही छोड़िए। उनके दोषी दिमाग और कार्यों या चूक के आधार पर कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं जोउन्हें उत्तरदायी ठहराएँ।

55. नूर मोहम्मद मोहम्मद में। यूसुफ मोमीन बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र 1212, इस न्यायालय को आई. पी. सी. की धारा 34,107 और 120बी पर विचार करने का अवसर मिला था और यह न्यायालय यही निर्धारित करता हैः

" 7. जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 34 का संबंध है, यह एक आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतीक है, उस दायित्व का सार एक सामान्य इरादे का अस्तित्व है।

उस साजिश के अनुसार कुछ कार्य या अवैध चूक होती है या जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक द्वारा अपराध करने में सहायता की है। आई. पी. सी. की धारा 120–बी के तहत आरोप की ओर मुड़ना आपराधिक साजिश को 1913 में दंड संहिता, 1860 में अध्याय 5–ए की शुरुआत द्वारा एक ठोस अपराध बना दिया गया था। आपराधिक षड्यंत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अवैध कार्य या कार्य करने या करने के लिए एक समझौते को अभिनिर्धारित करता है। जो अवैध नहीं है, अवैध तरीकों से। यह अन्य अपराधों से अलग है कि केवल समझौते को अपराध बनाया जाता है, भले ही उस समझौते को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। हालांकि मूल अपराध को उकसाने और उकसाने के साथ साजिश का गहरा संबंध है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक षड्यंत्र का आयाम कुछ हद तक व्यापक है आई. पी. सी. की धारा 107 के अनुसार षड्यंत्र द्वारा उकसाना।

(जोर दिया गया)

दो विद्वान न्यायाधीशों का दृष्टिकोणन्याय का प्रस्ताव वी. गोपाल गौड़ा

56. विद्वान न्यायाधीश यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि पीडब्लू 10 और 11 हैं

सहयोगी गवाह। सहयोगी साक्ष्य का परीक्षण करने के लिए दो परीक्षण हैं –

संदर्भित, अर्थात। , कि साक्ष्य विश्वसनीय होना चाहिए और दूसरा, सहयोगी साक्ष्य की पुष्टि होनी चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने नोट किया कि पीडब्लू 10 और 11 को किसी भी अदालत द्वारा माफी नहीं दी गई है, लेकिन आगे नोट किया है कि केवल इस तथ्य से कि माफी नहीं दी गई थी, साथी का सहयोगी होना बंद नहीं हुआ। आगे यह पाया गया कि यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति थी कि दो सहयोगियों के साक्ष्य का उपयोग एक–दूसरे के साथ पुष्टि करने के लिए नहीं किया जा सकता है जैसा कि आर. वी. में दिया गया है। बास्करविले 1 3. इस संबंध में समर्थन भारत में मोहम्मद में इस न्यायालय के फैसले के रूप में पूर्ववर्ती से मांगा गया था। हुसैन उमर कोचरा आदि। के. एस. दलीपसिंहजी और एक अन्य आदि 1 4 14 जिसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित किया कि पुष्टि एक स्वतंत्र स्रोत से होनी चाहिए। एक साथी दूसरे की पुष्टि नहीं कर सकता है। इस स्थिति को चोनामपारा चेल्लापन आदि मामले में इस न्यायालय के अभी भी बाद के फैसले में दोहराया गया था। केरल राज्य Etc.[15]। पुष्टि भौतिक विवरणों के संबंध में होनी चाहिए या बल्कि यह अपराध के साथ–साथ अभियुक्त की पहचान के संबंध में होनी चाहिए। यह देखते हुए कि अदालत के समक्ष आरोपी ए 3, ए 4 और ए 15 थे, यह महत्वपूर्ण पाया गया कि उन्हें आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत आरोप से बरी कर दिया गया। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 109 और आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया गया। मृतक के अपहरण या उसकी हत्या में आरोपी की प्रत्यक्ष संलिप्तता दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं मिला। पी. डब्ल्यू. 10 के कहने पर बरामद की गई फोर्ड एस्कॉर्ट कार एम. ओ. 12 ने ए 4 पर अपने स्वामित्व का पता नहीं लगाया। इसके बाद, यह कहा जाता है कि तत्काल मामले में भौतिक विवरणों में स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है और आरोपी के लिए आई. पी. सी. की धारा 302 और 364 के तहत दोषी ठहराया जाना असंभव हो गया है। पीडब्लू 10 और 11 मृतक के अपहरण के गवाह नहीं थे। पीडब्लू3, कौन

13 1916 (2) के. बी 65814 (1969) 3 एस. सी. सी. 429

15 (1979) 4 एस. सी. सी. 312 सोमसुंदरम @सोमू बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

कहा जाता है कि अपहरण के गवाह ने अपहरण स्थल पर आरोपी को नहीं देखा था। हालाँकि, पीडब्लू10 ने बैठक में ए 3 और ए 4 को 05.12.2001 पर रखा, लेकिन आईपीसी की धारा 120 बी के तहत उन्हें बरी किए जाने के कारण इसका महत्व कम हो गया। पीडब्लूएस 10 और 11 ने इनमें से किसी को भी नहीं रखा है।

तीन आरोपी (ए 3, ए 4 और ए 15) उस स्थान पर जब मृतक के शव को कारखाने में नीचे लाया गया था। ए 3, सहयोगियों के बयान के अनुसार, नीचे रहता हुआ पाया गया, जबकि पीडब्लू11, जो

ऊपर जाकर, वास्तव में मृतक को उस कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ देखा जहाँ उसे रखा गया था। पीडब्लू11 ने केवल ए 5 को साइट पर 30.12.2001 की रात को एक टिफिन पार्सल के साथ देखा। द्वारा जारी मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्रपीडब्लू32, जिसे पीडब्लू33 ने कहा है कि ए 3 के कहने पर प्राप्त किया गया था, था

पाया गया, भले ही असली हो, ए 3 को किसी भी तरह से मृतक से नहीं जोड़ा। जहाँ तक ए 15 का संबंध है, एमओ 1–रीबॉक शू, जिसे बरामद किया गया था, को यह देखते हुए दरकिनार कर दिया गया कि अदालतें इस बात पर विचार करने में विफल रही हैं कि पी. डब्ल्यू. 31–कारखाने में एक कर्मचारी ने कहा है कि वह उस व्यक्ति को याद नहीं कर सकती जो इसे लेने आया था क्योंकि दो साल से अधिक समय बीत चुका है। इसलिए, A15 के खिलाफ PW31 का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पीडब्लू 1 और 2 ने अपनी गवाही में (मृतक का क्रमशः बेटा और चालक) कहा कि रीबॉक जूते मृतक के नहीं थे। पीडब्लू 10 और 11 के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाए गए। अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत दोषी नहीं पाते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति की संलिप्तता स्थापित करना विचारण न्यायालय का कर्तव्य था

प्रत्येक अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया है। आई. पी. सी. की धारा 107 का संदर्भ दिया गया था, और उसके बाद, केहर सिंह और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय का। राज्य (दिल्ली)

प्रशासन) 1 6 कि केवल एक साजिश से कुछ अधिक, अर्थात। , साजिश के अनुसरण में कुछ कार्य या अवैध चूक, साजिश द्वारा उकसाने के लिए स्थापित किया जाना आवश्यक है। एक बार आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत आरोप विफल हो जाने के बाद, अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए अपीलार्थियों की ओर से कुछ स्पष्ट कार्य करने की आवश्यकता थी। विद्वान न्यायाधीश ने नोट किया कि पीडब्लू 10 और 11 की गवाही के अलावा कोई सबूत नहीं था जो अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ता था। आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत आरोप कायम नहीं किया जा सका।

न्याय का प्रस्ताव अरुण मिश्रा

57. विद्वान न्यायाधीश ने परिस्थितियों को पंद्रह परिस्थितियों में विभाजित किया। वे इस प्रकार हैं: 16 (1988) 3 एससीसी 609 [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1)

अभियोजन मामला–पीडब्लू का साक्ष्य। 10 और 11; अभियुक्त का पूर्व संबंध;

((ख)

(iii)

परिसर का चयन जहाँ एम. के. बालन को रखा गया था/औरअन्य व्यवस्थाएँ;

((iv)

मृतक एम. के. बालन का सफेद रंग में 30.12.2001 पर अपहरण

ओम्नी वैन;

(v) एम. के. बालन को कारखाने परिसर/बैठक में ले जाना

30.12.2001 A9 के निवास पर;

(vi)

आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध करना;

(vii) कारखाने के परिसर से शव को निकालना;

(viii) शव का अंतिम संस्कार;

(ix) ए 3 द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की खरीद;

(x)

अभियुक्त से इकबालिया बयान और बरामदगी;

(xi) आई. पी. सी. की धारा 387 के तहत अपराध करना;

(xii) आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत बरी होने का प्रभाव; (xiii) सहयोगियों का साक्ष्य;

(xiv) धारा 164 के तहत टी. आई. पी. रखना/बयान दर्ज करना

सीआरपीसी। ;

(xv) सेल फोन/कैसेट/फोरेंसिक साक्ष्य।

58. विद्वान न्यायाधीश पीडब्लू 10 और 11 के साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आगे बढ़े। इसके बाद, के बीच पूर्व संबंध

अभियुक्त चर्चा करने आए। परिसर के चयन से संबंधित परिस्थितियों पर चर्चा की गई जहां मृतक को रखा गया था और अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ "मृतक के अपहरण" पर भी चर्चा की गई। विद्वान न्यायाधीश ने मृतक के पुत्र पीडब्लू 1 के बयान का उल्लेख किया। उन्होंने इसका भी उल्लेख किया। पीडब्लू3 के साक्ष्य के लिए और, पैराग्राफ 20 में, यह कहा गया है कि पीडब्लू3 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्व विधायक का अपहरण सुबह 05.30 पर किया गया था। [वास्तव में पीडब्लू3 ने कहा है कि एक व्यक्ति को तीन व्यक्तियों द्वारा वैन के अंदर डाल दिया गया था]। इसके बाद मोटरसाइकिल ने उक्त वैन का पीछा किया। कि उसका दोस्त सेल्वम भी आया था

वहाँ। पीडब्लू13 ने यह भी कहा है कि उसने मृतक को सुबह लगभग 05.45 पर सुबह की सैर करते देखा है। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि यह स्पष्ट है कि इस मामले में मृतक का एम. आर. सी. नगर से अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद, साक्ष्य ए 9 के निवास पर बैठक का खुलासा करता है।

वह सोमसुंदरम @ सोमू बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

आगे पता चलता है कि 30.12.2001 पर, पीडब्लू 10 और 11 ने ए 3 के बारे में कहा है कि मृतक का अपहरण कर लिया गया है और धन एकत्र किया जाना बाकी है। इसके बाद, विद्वान न्यायाधीश मृतक को कारखाने परिसर में ले जाने से संबंधित साक्ष्य पर चर्चा करता है। इस संबंध में, पीडब्लू 10 और 11 के अलावा, विद्वान न्यायाधीश पीडब्लू 56 के साक्ष्य का भी उल्लेख करता है। आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के संबंध में, यह पाया गया है कि अपहरण साबित हो गया है और अपहरण के तुरंत बाद दो दिनों में मृतक की हत्या कर दी गई थी और एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर शव का अंतिम संस्कार किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि उपरोक्त परिस्थितियों में, यह अभियुक्त व्यक्ति को अदालत को संतुष्ट करना है कि उनके द्वारा अपहृत पीड़ित के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। निस्संदेह, उन्होंने कहा कि गर्दन में नायलॉन की रस्सी लगाकर और उसे कसकर हत्या के संबंध में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, लेकिन परिस्थितियों में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने हत्या का अपराध भी किया था। ऐसे सबूत हैं जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि मृतक का शव कारखाने से लिया गया था। इसके बाद, न्यायालय फिर से चर्चा करता है

कारखाने परिसर से शव को हटाने के संबंध में पीडब्लू 10, 11, 21 और 35 का साक्ष्य। इसके बाद, विद्वान न्यायाधीश शव के दाह संस्कार से संबंधित साक्ष्य पर चर्चा करते हैं। जिन साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है, उनमें पीडब्लू 19 और 36 शामिल हैं, इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया है कि पीडब्लू 12 ने अपने बयान के हिस्से से पलटवार किया है। इसके बाद, विद्वान न्यायाधीश ए 3 द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की खरीद से संबंधित साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति और बरामदगी पर आगे चर्चा की गई। आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत बरी होने के प्रभाव ने विद्वान न्यायाधीश को नियुक्त किया। यह पाया गया कि आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत आरोप स्थापित होने पर आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत बरी होने से उनका कोई फायदा नहीं हुआ। आरोप, जो बनाए गए थे, विशिष्ट थे। आई. पी. सी. की धारा 109 के तत्व थे और

नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा उचित रूप से उपस्थित पाए गए हैं। आई. पी. सी. की धारा 120 बी अभियुक्त ए 1 और ए 2 और अभियुक्त अपीलार्थियों के खिलाफ अन्य आरोपों के खिलाफ स्थापित पाई गई। आई. पी. सी. की धारा 120 बी और 109 को अलग-अलग अपराध पाया गया। उन्होंने रंगनायकी बनाम में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। पुलिस निरीक्षक 1 7 के अनुसार, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत अपराध के लिए आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत आरोप अनावश्यक और अनुचित था।

आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत अपराध पाया गया।

अन्य अपराधों के साथ स्थापित। आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत बरी किए जाने के फैसले को इन तत्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं पाया गया।

17 (2004) 12 एससीसी 521 [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आईपीसी की धारा 109। पीडब्लू 10 और 11 के साक्ष्य, जिन्हें सहयोगी के रूप में भी लिया गया था, प्रत्येक पहलू पर रिकॉर्ड पर भारी साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई थी। सी. आर. पी. सी. की धारा 164 के तहत टी. आई. रखने/बयान दर्ज करने के संबंध में, यह पीडब्लू 60, 59, 61, 32, 33, 62, 12 और 19 द्वारा साबित किया गया था। चर्चा की गई अंतिम परिस्थिति सेल फोन/कैसेट/फोरेंसिक साक्ष्य थी। कैसेट बरामद किए गए थे

मृतक का होने के नाते, यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष के मामले में, शव पूरी तरह से जल गया था, उनकी जब्ती और फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं थी मूल्य। यह व्यापक रूप से विद्वान न्यायाधीश के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखने का आधार है।

प्राप्ति का प्रमाण

59. साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 घोषणा करती है कि एक साथी एक सक्षम गवाह है और आगे यह कि दोषसिद्धि के आधार परएक साथी की अपुष्ट गवाही केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि ऐसा है। धारा 133 इस प्रकार हैः

" 133. संगतता। - एक सहयोगी एक अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम गवाह होगा और दोषसिद्धि अवैध नहीं है।

केवल इसलिए कि यह अप्रमाणित गवाही पर आगे बढ़ता है

एक साथी का "।

60. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 पर ध्यान देना उचित है।

उदाहरण 'ख' में न्यायालय यह मान सकता हैः

" (ख) कि एक साथी श्रेय के योग्य नहीं है, जब तक कि वह

भौतिक विवरणों में पुष्टि की गई "। 61. अतः इनके बीच एक विरोधाभास प्रतीत होता है।

प्रावधान। मामला अब एकीकृत नहीं है। हम सरवन सिंह रतन सिंह बनाम में इस न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय में निहित कानून के निम्नलिखित कथन पर ध्यान दे सकते हैं। पंजाब राज्य 1 8:

18 ए. आई. आर. 1957 (एस. सी.) 637 ओमसुंदरम @एस. ओ. एम. यू बनाम।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 7. सच के साथ विस्तार से निपटना शायद ही आवश्यक है

अपराध करने से उसके शरीर पर गंभीर धब्बा लग जाता है। साक्ष्य और अदालतें स्वाभाविक रूप से ऐसे दागी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक होती हैं।

सबूत जब तक कि यह अन्य लोगों द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि नहीं की जाती है

स्वतंत्र साक्ष्य।

यह उम्मीद करना सही नहीं होगा कि इस तरह के स्वतंत्र

पुष्टि में अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी शामिल होनी चाहिए या

यहाँ तक कि सभी सामग्री विवरण भी। यदि ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो यह होगा

सहयोगी के साक्ष्य को पूरी तरह से अनावश्यक बनाएँ। उस पर

दूसरी ओर, ऐसे साक्ष्य पर कार्रवाई करना सुरक्षित नहीं होगा।

केवल इसलिए कि इसकी पुष्टि मामूली विवरणों या आकस्मिक रूप से की गई हैविवरण क्योंकि, ऐसे मामले में, पुष्टि का खर्च वहन नहीं करता है

आवश्यक आश्वासन कि मुख्य कहानी का खुलासा सरकारी गवाह द्वारा किया गया है

उचित रूप से और सुरक्षित रूप से सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अदालत के पहुंचने से पहले

पुष्टि के प्रश्न पर विचार करने का चरण और इसके

पर्याप्तता या अन्यथा, पहला प्रारंभिक और आवश्यक प्रश्न

विचार करें कि क्या एक सहयोगी के रूप में भी अनुमोदक एक है

विश्वसनीय गवाह। अगर इस सवाल का जवाब इसके खिलाफ हैअनुमोदनकर्ता तब मामले का अंत होता है, और इसके बारे में कोई सवाल नहीं है

उसके साक्ष्य की पुष्टि की गई है या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, एक अनुमोदक के साक्ष्य की सराहना

विश्वसनीय गवाह और यह एक ऐसा परीक्षण है जो सभी गवाहों के लिए सामान्य है। यदि यह परीक्षण संतुष्ट हो जाता है तो दूसरा परीक्षण जो अभी भी होना बाकी है

लागू किया गया है कि अनुमोदक के साक्ष्य को पर्याप्त प्राप्त होना चाहिएपुष्टि। यह परीक्षण कमजोर या दूषित होने के मामलों के लिए विशेष है।

अनुमोदक के समान साक्ष्य। ”

(जोर दिया गया)

62. हम लाभप्रद रूप से हारूम में व्यक्त विचारों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

अब्दुल्ला बनाम। महाराष्ट्र राज्य 19 1 9: .

(1968) एससी 832 [2020] 10 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 8. साक्ष्य के पूरक के रूप में कानून अच्छी तरह से तय किया गया है। द.

धारा 133 में साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान है कि एक साथी एक

केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि यह अप्रमाणित पर आगे बढ़ता हैएक साथी की गवाही। इस प्रावधान का प्रभाव यह है कि

एक अभियुक्त पर मुकदमा चलाने वाली अदालत उसे कानूनी रूप से दोषी ठहरा सकती है

सबूत, एक साथी का। इसके लिए चित्रण में एक सवार है

(ख) अधिनियम की धारा 114 के लिए जो यह प्रावधान करता है कि न्यायालय

मान लीजिए कि कोई साथी श्रेय के योग्य नहीं है जब तक कि वह

सामग्री विवरणों में पुष्टि की गई। यह चेतावनी का प्रावधान विवेक का एक नियम शामिल करता है क्योंकि एक साथी, जो

अपने सहयोगियों को धोखा देता है, एक निष्पक्ष गवाह नहीं है और यह संभव है कि

वह, अभियोजन पक्ष को खुश करने के लिए, उनमें गलत विवरण बुन सकता है। जो सच हैं और उनकी पूरी कहानी सच प्रतीत हो रही है, हो सकता है

झूठ को सच से अलग करने का कोई साधन नहीं है। यह है।इस कारण से कि अदालतें, सहयोगी साक्ष्य पर कार्रवाई करने से पहले,

अपराध के बारे में भौतिक मामलों में पुष्टि करने पर जोर देना और कुछ संतोषजनक तरीके से भी निहित है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, प्रत्येक

साथी द्वारा नामित आरोपी। इस तरह से आयोग

अपराध की पुष्टि इसके अलावा कुछ सक्षम साक्ष्य द्वारा की जाती है।

सहयोगी की एकल या अपुष्ट गवाही और

एक निर्दोष व्यक्ति के साथी द्वारा शामिल किया जाना पराजित हो जाता है।

सावधानी या विवेक का यह नियम इसमें इतना अंतर्निहित हो गया है

लगभग होने के रूप में सहयोगी साक्ष्य का विचार

कानून के शासन की स्थिति "।

(जोर दिया गया)

63. धारा 133 के अधिदेश के बीच द्वैत और

साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के लिए राशन (बी) को शेषन्ना भूमन्ना यादव बनाम में डब्ल्यूएस के रूप में समझाया गया है। महाराष्ट्र राज्य 0:

" 12. अनुमोदक की प्रशंसा के संबंध में कानून

साक्ष्य धारा 133 और 114 के प्रभाव पर आधारित है, उदाहरण

(ख) साक्ष्य अधिनियम, अर्थात्, कि एक सहयोगी सक्षम है

गवाही देना लेकिन सावधानी के नियम के रूप में दोषी ठहराना असुरक्षित होगा

केवल उसकी गवाही। दोषी ठहराए जाने के खतरे की चेतावनी

इसलिए अपुष्ट साक्ष्य तब दिया जाता है जब साक्ष्य

एक साथी का। सहयोगी का प्राथमिक अर्थ है कोई भी अभियुक्त अपराध के लिए पक्षकार और कोई ऐसा व्यक्ति जो सहायता करता है और सहायता करता है

(1970) एससी 1330 ओमसुंदरम @एस. ओ. एम. यू. बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपराध आयोग। पुष्टि की प्रकृति यह है कि यह है

पुष्टि करने वाला साक्ष्य और इसमें दूसरे का साक्ष्य शामिल हो सकता है

गवाह या परिस्थितियों जैसे कि व्यक्ति के खिलाफ आचरण जिसकी आवश्यकता है। पुष्टि अवश्य जुड़नी चाहिए या जुड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए

अपराध के साथ आरोपी। जब यह कहा जाता है कि पुष्टि

साक्ष्य को अभियुक्त को सामग्री विवरणों में शामिल करना चाहिए जिसका अर्थ है

कि यह पर्याप्त नहीं है कि सबूत का एक टुकड़ा पुष्टि करता है

गवाही के किसी भाग की सच्चाई की पुष्टि की जानी चाहिए। वह सबूतगवाही के उस हिस्से की पुष्टि करनी चाहिए जो बताता है कि

अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था। अगर कोई गवाह कहता है कि

अभियुक्त और उसने भेड़ों को चुरा लिया और उसने खाल को एक निश्चित स्थान में डाल दिया

जगह, उस जगह पर खाल की खोज पुष्टि नहीं करेगी

अभियुक्त के विरुद्ध गवाह का साक्ष्य। लेकिन अगर

अभियुक्त के घर में खाल मिली थी, इससे पुष्टि होगी

क्योंकि यह इस कथन की पुष्टि करता है कि अभियुक्त चोरी में उसका कुछ हाथ था। "

(जोर दिया गया)

64. हम अंततः इस न्यायालय के हाल के फैसले का विज्ञापन कर सकते हैं।

हाशिम वी. तमिलनाडु राज्य 2 1:

" 38. सबसे पहले, यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ होना चाहिए

प्रत्येक भौतिक परिस्थिति की स्वतंत्र पुष्टि

यह समझते हुए कि मामले में स्वतंत्र साक्ष्य, इसके अलावा

शिकायतकर्ता या सहयोगी की गवाही अपने आप में होनी चाहिए

दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि लॉर्ड रीडिंग कहते हैंः

" वास्तव में, यदि यह आवश्यक था कि साथी होना चाहिए अपराध के हर विवरण में पुष्टि की गई, उसका सबूत नहीं होगा

मामले के लिए आवश्यक होगा; यह केवल पुष्टि करने वाला होगा

अन्य और स्वतंत्र गवाही "। (बास्करविले मामला [(1916)

2 के. बी 658: (1916–17) सभी ई. आर. प्रतिनिधि 38 (सी. ए.)], सभी ई. आर. पी. 42 बी–सी)

39. बस इतना चाहिए कि कुछ अतिरिक्त होना चाहिए।

सबूत यह संभव बनाता है कि साथी की कहानी

(या शिकायतकर्ता) सही है और उस पर कार्रवाई करना उचित रूप से सुरक्षित है।

यह।

40. दूसरा, स्वतंत्र साक्ष्य को केवल ऐसा नहीं करना चाहिए

यह विश्वास करना सुरक्षित है कि अपराध किया गया था लेकिन कुछ में होना चाहिए

जिस तरह से अभियुक्त को उचित रूप से उससे जोड़ा या जोड़ा जा सकता है

कुछ सामग्री में पुष्टि। कुलार की गवाही

साथी या शिकायतकर्ता कि अभियुक्त ने अपराध किया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि पहचान के रूप में पुष्टि होनी चाहिए।

अभियुक्त की पहचान करने के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियों का विस्तार करें।

अपराध के साथ। फिर से, यह सब आवश्यक है कि वहाँ होना चाहिएस्वतंत्र साक्ष्य होना जो इसे यथोचित रूप से सुरक्षित बनाएगा

गवाह की कहानी पर विश्वास करें कि आरोपी एक था, या उनमें से एक था

जिन्होंने अपराध किया। इस भाग का कारण

नियम यह हैः

" एक आदमी जो खुद एक अपराध का दोषी रहा है

हमेशा मामले के तथ्यों को संबंधित करने में सक्षम हो, और यदि

पुष्टि केवल उस इतिहास की सच्चाई पर होगी, बिनाव्यक्तियों की पहचान करना, यह वास्तव में कोई पुष्टि नहीं है।

यह बिल्कुल भी यह नहीं दिखाएगा कि पार्टी–आरोपी इसमें भाग लिया।

41. तीसरा, पुष्टि स्वतंत्र स्रोतों से होनी चाहिए।

और इस प्रकार आम तौर पर एक साथी की गवाही नहीं होगी

दूसरे की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन निश्चित रूप सेपरिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जो इसे सुरक्षित बनाती हैं

पुष्टि की आवश्यकता और उन विशेष परिस्थितियों में

इस आधार पर दोषसिद्धि अवैध नहीं होगी। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि

यह तर्क दिया गया था कि इस मामले में माँ स्वतंत्र नहीं थी

स्रोत।

42. चौथा, पुष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण होने की आवश्यकता नहीं है कि

अभियुक्त ने अपराध को अंजाम दिया। यह पर्याप्त है अगर केवल

अपराध के साथ उसके संबंध का परिस्थितिजन्य साक्ष्य। क्या ऐसा था? अन्यथा, "कई अपराध जो आमतौर पर बीच में किए जाते हैं

गुप्त रूप से साथी, जैसे कि अनाचार, महिलाओं के साथ अपराध "(या

अप्राकृतिक अपराध) "कभी भी न्याय के दायरे में नहीं लाया जा सकता"। (एम. ओ. देखें।

शम्सुद्दीन बनाम। केरल राज्य (1995) 3 एस. सी. सी. 351: 1995 एससीसी

(क्रि) 509]।) "

(जोर दिया गया)

65. संक्षेप में, उन सिद्धांतों को समाप्त करने के लिए जो

उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में, हम ऐसा मानेंगे बनाम ः

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (बी) के साथ पठित धारा 133 का संयुक्त परिणाम यह है कि न्यायालयों ने विवेक के नियम के रूप में यह आवश्यकता विकसित की है कि किसी सहयोगी की अपुष्ट गवाही के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराना असुरक्षित होगा। पुष्टि सामग्री के संबंध में होनी चाहिए

एक साथी की गवाही का विवरण। यह स्पष्ट है कि एक साथी अपराध की सामान्य रूपरेखा से परिचित होगा क्योंकि वह वही होगा जिसने इसमें भाग लिया है और इसलिए, वास्तव में, सामान्य शब्दों में मामले से परिचित होगा। एक विशेष अभियुक्त और अपराध के बीच जुड़ाव वह जगह है जहाँ

एक साथी की गवाही की पुष्टि महत्वपूर्ण महत्व रखती है। एक साथी के साक्ष्य को किसी विशेष आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पर्याप्त होगा, यदि अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों के साथ उनकी गवाही स्पष्ट रूप से दोषसिद्धि के मामले को स्पष्ट करती है।अभियुक्त।

66. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, अभियुक्त के खिलाफ हर भौतिक परिस्थिति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्टि की जानी चाहिए

ऐसा हो कि यह अनुमोदनकर्ता की गवाही को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विश्वसनीय बनाता है। एक साथी की गवाहीसामान्यतया, किसी अन्य अनुमोदक की गवाही द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है। हमने के. हाशिम (ऊपर) में पैराग्राफ–4 में कानून के कथन से प्रेरित 'साधारण' शब्द का उपयोग किया है, जिसमें इस न्यायालय ने विशेष और असाधारण मामलों पर विचार किया है, जहां सिद्धांत धारा में अंतर्निहित है।

133 शाब्दिक रूप से लागू होगा। दूसरे शब्दों में, आम मामलों में, विवेक का नियम जो कानून के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ है, वह यह है कि एक साथी पर विश्वास करने के लिए, उसकी गवाही के भौतिक विवरणों में उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। सबूत जिसका उपयोग पुष्टि करने के लिए किया जाता है

सहयोगी को प्रत्यक्ष साक्ष्य होने की आवश्यकता नहीं है और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में हो सकता है।

प्राप्ति और अनुमोदन

सक्षम मजिस्ट्रेट। उसके साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं। उसे इस वचन के बदले में माफी मिलती है कि वह एक अप्रकाशित संस्करण देगा।उन घटनाओं के बारे में जिसमें वह अपराध में भागीदार है।

वह [2020] 10 एस. सी. आर. का पर्दाफाश करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वयं सी. आर. पी. सी. की धारा 308 के तहत कार्यवाही के लिए। धारा 308 में विचार किया गया है कि यदि ऐसे व्यक्ति ने उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर जानबूझकर कुछ भी आवश्यक छिपाकर या गलत सबूत देकर माफी की निविदा दी गई थी, तो उसे उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके संबंध में माफी दी गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए वह समान मामलों के संबंध में दोषी प्रतीत होता है। यह झूठी गवाही के अपराध के लिए कार्रवाई किए जाने वाले दायित्व के अलावा है। धारा 308 की उप–धारा (2) घोषणा करती है कि कोई भी बयान जो क्षमा की निविदा स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाता है और धारा 164 और धारा 376 के तहत दर्ज किया जाता है, उसका उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 (1) के तहत मुकदमे में सबूत के रूप में किया जा सकता है। एक सहयोगी या एक सरकारी गवाह सक्षम गवाह होते हैं। अनुमोदक एक सहयोगी होता है, जिसे धारा 305 के अर्थ के भीतर क्षमा प्राप्त हुई हो। हम मानेंगे कि एक सहयोगी और एक अनुमोदक के बीच,बाद वाला उस संस्करण के प्रति अधिक संवेदनशील होगा जो उसने प्रतिकूल परिणामों को ध्यान में रखते हुए दिया है जो उसका इंतजार कर रहे हैं जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 में बताया गया है। जैसा कि हम समझाते हैं। यह भी तय सिद्धांत है कि एक साथी की क्षमता बाधित नहीं होती है, हालांकि, उस पर आरोपी के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता था और इस तरह से मुकदमा चलाने के बजाय, उसे अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया है। चंद्रन और अन्य बनाम में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले को देखें। केरल राज्य 2 2.

सी. आर. पी. सी. की धारा 164 का उद्देश्य और मूल्य

68. सी. आर. पी. सी. की धारा 164 मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान या स्वीकारोक्ति को दर्ज करने में सक्षम बनाती है। क्या ऐसा कथन सारवान है?

सबूत? धारा 164 के तहत बयान या स्वीकारोक्ति दर्ज करने का क्या उद्देश्य है? क्या स्थिति होगी यदि देने वाला व्यक्ति जब उससे गवाह के रूप में पूछताछ की जाती है तो बयान पूरी तरह से उसी से अलग हो जाता है? ये प्रश्न समाकलन नहीं हैं। आम तौर पर, राज्य और पुलिस तंत्र के माध्यम से चलाया जाने वाला अभियोजन व्यक्ति की अभिरक्षा में होगा। हालाँकि, धारा 164 यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है कि बयान या स्वीकारोक्ति एक स्वैच्छिक मामला है जो अन्यथा हो सकता है। हम समय के साथ इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के बयानों का विज्ञापन कर सकते हैं।

69. धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान के साक्ष्य के महत्व के बारे में और क्या यह पर्याप्त साक्ष्य है,

22 (2011) 5 एस. सी. सी. 161 सोमसुंदरम @सोमू बनाम। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

हम केवल निम्नलिखित निर्णय का विज्ञापन कर सकते हैं, अर्थात, जॉर्ज और अन्य बनाम। केरल राज्य और अन्य 2 3:

" उपरोक्त और इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए निचली अदालत ने फिर से

आपराधिक न्यायशास्त्र के एक मौलिक नियम की अनदेखी की कि

धारा 164, Cr.P.C. के तहत दर्ज गवाह के बयान का उपयोग ठोस सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग केवल उसका खंडन या पुष्टि करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। ”

70. बयान दर्ज करने का उद्देश्य क्या है, आमतौर पर धारा 164 के तहत गवाहों का बयान इस अदालत द्वारा आर में स्पष्ट किया गया है।

शाजी वी। केरल राज्य 2 4:

" 15. जहाँ तक धारा 164 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान का संबंध है, इसका उद्देश्य दो गुना है; सबसे पहले, गवाह को अपना रुख बदलने से रोकना।

उसके पहले दर्ज किए गए बयान की सामग्री, और दूसरा, धारा 164 के तहत गवाह द्वारा अभियोजन से प्रतिरक्षा को समाप्त करना। इस आशय का एक प्रस्ताव कि यदि किसी गवाह का बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया जाता है, तो अदालत में उसका साक्ष्य होना चाहिए

त्याग दिया गया, बिल्कुल भी वारंट नहीं है। (वीडियोः जोगेंद्र नाहक और अन्य। V. उड़ीसा राज्य और अन्य। , एयर 1999 एससी 2565: (1999 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2736); और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, राजमुंदरी बनाम। डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। , ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2901): (2000

16. साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 यह स्पष्ट करती है कि धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए बयान पर गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि करने के उद्देश्य से भरोसा किया जा सकता है। प्रत्यायोजित न्यायालय या यहाँ तक कि उसका खंडन करना। चूँकि बचाव पक्ष के पास उन गवाहों से पूछताछ करने का कोई अवसर नहीं था जिनके

बयान धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किए जाते हैं।

बयानों को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है। 71. इस प्रकार, एक मामले में जहां एक गवाह, धारा के तहत अपने बयान में

64 सी. आर. पी. सी., अभियुक्त को संदेह से परे दोषी बनाता है लेकिन

जब उसे मुकदमे में गवाह के पद पर रखा जाता है, तो वह पूरी तरह से हमला करता है, क्योंकि धारा 164 के तहत बयान पर्याप्त सबूत नहीं है और स्थिति क्या होगी? ठोस सबूत सबूत है

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं होना चाहिए

एआईआर 1998 एससी 1376

एआईआर 2013 एससी 651 [2020] 10 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त, धारा 164 के तहत बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना अनुज्ञेय नहीं होगा।

विशेष द्वारा आवेदन में न्यायपालिका के सदस्य

छोड़ दें।

72. दलीलों पर विचार शुरू करने से पहले, हम सोचते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा उत्पन्न अपील में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा के बारे में खुद को याद दिलाना आवश्यक है। यह प्रश्न, समाकलन से दूर, है

इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों का विषय। हम कई निर्णयों में से केवल एक का विज्ञापन करेंगे, जो हम में से एक (के. एम. जोसेफ, जे.) द्वारा जगजीत सिंह बनाम में दिया गया है। पंजाब राज्य 2 5. इसमें, न्यायालय ने दलबीर कौर बनाम में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को नोट किया। की स्थिति

पंजाब 2 6 जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ–8 में सिद्धांतों को इस प्रकार निकालाः

" 8. इस प्रकार विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः " (1) कि यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भले ही वह

साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण लेना था;(2) कि न्यायालय आम तौर पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या समीक्षा नहीं करेगा, जब तक कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित नहीं होता है या रिकॉर्ड की त्रुटि, साक्ष्य के गलत पढ़ने या साक्ष्य के साथ असंगत नहीं होता है, उदाहरण के लिए, जहां नेत्र साक्ष्य पूरी तरह से है।

चिकित्सा साक्ष्य आदि के साथ असंगत; (3) कि न्यायालय अपनी राय को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं करेगा

उच्च न्यायालय;

(4) कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा जहाँ उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए तथ्य के निष्कर्ष पर पहुँच गया है,

प्राकृतिक न्याय या निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत या कानून या प्रक्रिया के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह या अन्याय;

25 (2018) 10 एस. सी. सी. 593 26 (1976) 4 एस. सी. सी. 158 ओमसुंदरम @एस. ओ. एम. यू. बनाम।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

(5) यह न्यायालय वहां भी हस्तक्षेप कर सकता है जहां सिद्ध तथ्यों पर कानून के गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं या जहां

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं और बिना किसी सबूत के आधारित हैं।

सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम को निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊपर बताए गए सिद्धांत और जो इसमें शामिल हैं

इस न्यायालय के अधिकारियों ने उपर्युक्त का हवाला देते हुए इस न्यायालय को विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। इस प्रकार विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में, यह न्यायालय सुनवाई में यह निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के साथ उच्च न्यायालय के साक्ष्य और निर्णय की जांच करता है कि उच्च न्यायालय ने ऊपर बताए गए सिद्धांतों का पालन किया है या नहीं। जहाँ न्यायालय

यह पाते हुए कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया है और एक सही दृष्टिकोण अपनाया है और अभियोजन मामले को ध्वस्त करने वाले साक्ष्य में हड़ताली विशेषताओं की अनदेखी या अनदेखी नहीं की है, उच्च न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों में साक्ष्य की सराहना पर आए तथ्य के निष्कर्षों को बाधित नहीं किया जाएगा।

शामिल अपराधों पर एक नज़र

73. आई. पी. सी. की धारा 201, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार हैः

" 201. अपराध के साक्ष्य के गायब होने का कारण बनना, या अपराधी को गलत जानकारी देना। जो कोई भी, जानता है या

यह विश्वास करने का कारण होने पर कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने का कोई भी सबूत देता है

गायब हो जाना, अपराध की कानूनी सजा से जांच करने के इरादे से, या उस इरादे से उस अपराध के संबंध में कोई जानकारी देता है जिसे वह जानता है या गलत मानता है।

74. आईपीसी की धारा 347 इस प्रकार हैः

“ 347. संपत्ति उगाही के लिए अनुचित कारावास, या अवैध कार्य के लिए बाधा। जो किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से सीमित करता है

बंदी बनाए गए व्यक्ति से या बंदी बनाए गए व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वसूलने का उद्देश्य या बंदी बनाए गए व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को कुछ भी अवैध करने के लिए विवश करना या कोई ऐसी जानकारी देना जो अपराध करने में सहायता कर सके, दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

75. आई. पी. सी. की धारा 364, अन्य बातों के साथ-साथ, हत्या के लिए अपहरण से संबंधित है। वह इस प्रकार हैः

" 364. हत्या के लिए अपहरण या अपहरण। जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है ताकि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जा सके या उसे इस तरह से निपटाया जा सके कि उसकी हत्या होने का खतरा हो, उसे आजीवन कारावास या दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

76. अपहरण के अपराध का वर्णन आई. पी. सी. की धारा 362 में किया गया है और यह इस प्रकार हैः

" अपहरण। – कहा जाता है कि जो कोई भी बलपूर्वक या किसी भी छलपूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान से जाने के लिए मजबूर करता है, वह उसका अपहरण कर लेता है।

व्यक्ति "।

इसे अपहरण से अलग किया जाना चाहिए जो आई. पी. सी. की धारा 359 में बताए गए दो प्रकार के हैं। , भारत से अपहरण और अपहरण

वैध संरक्षकता से। अपहरण और अपहरण दोनों को आई. पी. सी. की धारा 364 और 365 में संदर्भित किया गया है।

77. आई. पी. सी. की धारा 365 निम्नलिखित हैः

" 365. व्यक्ति को कैद करने के लिए गुप्त रूप से और गलत तरीके से अपहरण या अपहरण करना। जो कोई भी उस व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

78. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई. पी. सी. की धारा 307 हत्या के अपराध से संबंधित है। अंत में, आई. पी. सी. की धारा 387 जबरन वसूली के अपराध का एक अधिक गंभीर रूप है और यह इस प्रकार हैः

" 387. व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के डर में रखना, क्रम मेंजबरन वसूली करने के लिए। — जो कोई भी, जबरन वसूली करने के लिए, किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति या किसी अन्य को मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने के डर में डालता है या डालने का प्रयास करता है, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

79. यह स्पष्ट है कि अपहरण अपहरण से अलग है। अपहरण दो प्रकार का होता है। भारत से अपहरण में सोमसुंदरम @सोमू बनाम के खिलाफ एक व्यक्ति को लेना शामिल है।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

भारत से बाहर कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति की सहमति या सहमति (धारा 360)। वैध अभिरक्षा से अपहरण तब किया जाता है जब 16 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है।

वैध अभिभावक की उसकी सहमति के बिना अभिरक्षा (धारा 361)। अपहरण, जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 362 में परिभाषित किया गया है, तब होता है जब बल या छल के माध्यम से, किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान से जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस मामले में, धारा 364 और 365 के तहत, हालांकि, यह अपहरण और अपहरण हो सकता है, जो शामिल है वह अपहरण है।

80. आई. पी. सी. की धारा 364, आई. पी. सी. की धारा 365 की तुलना में अधिक गंभीर, तब होती है जब अपहरण, अन्य बातों के साथ, करने के इरादे से किया जाता है।हत्या करना या उसे इस तरह से निपटाया जाता है ताकि अपहृत व्यक्ति को हत्या के खतरे में डाला जा सके। आई. पी. सी. की धारा 365 तब आकर्षित होती है जब अपहृत व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के लिए अपहरण किया जाता है।

81. यह सच है कि किसी मामले में, किसी व्यक्ति का अपहरण गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने और हत्या करने के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह की स्थिति आई. पी. सी. की धारा 364 और 365 दोनों को आकर्षित कर सकती है।

82. किसी भी अन्य अपराध की तरह, वास्तविक अपराधी हो सकता है, जो अपहरण कर लेता है। किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुभाग की सहायता से शामिल किया जा सकता है

120 आई. पी. सी. का ए या आई. पी. सी. की धारा 109 (उकसाना)। इसके अलावा, आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व का सिद्धांत या आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आरोप, यदि साबित हो जाता है, तो आपराधिक दायित्व के साथ किसी अन्य व्यक्ति का दौरा कर सकता है।

अपमान, सबूत 83. पीडब्लू1 मृतक का बेटा है। उन्होंने पदच्युत किया है, अन्य बातों के साथ-साथ,

इस प्रकार हैः

उनके पिता सैदापेट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं। वे दस साल की अवधि के लिए महिलापुर हिंदू सास्वता निधि लिमिटेड के निदेशक हैं। वह मधुमेह से पीड़ित होने के कारण सुबह टहलने जाते थे। वह सुबह 2 बजे अय्यपन मंदिर के पास एमआरसी नगर में टहलने के लिए घर से निकलता था और लगभग 1 बजे घर लौटता था। वह सुबह अपने घर के पास रहने वाले रमेश के साथ टहलने भी जाता था। 30.12.2001 पर, उनके पिता लगभग 05.30 ए. एम. पर चलने जाते थे। आम तौर पर, उनके पिता टी–शर्ट, काली ट्रैक पैंट और काले जूते पहनते थे। ये जूते रीबॉक कंपनी के थे। वह.30.12.2001 पर घर नहीं लौटा। वह अपने पिता की तलाश में गया। उसने अपने दोस्तों से संपर्क किया। फिर, वह गया और एक शिकायत दर्ज कराई [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रदर्शनी पी. एस. ई. आई. के रूप में चिह्नित। जिरह में, पीडब्लू1 ने अपदस्थ किया कि उसने यह नहीं कहा कि उसके पिता रीबॉक जूतों का उपयोग करके चलते थे। उसकी जाँच करने वाली अपराध शाखा ने उसे शर्ट और पैंट नहीं दिखाए थे। पुलिस ने उसे अपनी शिकायत में उसके द्वारा किए गए कुछ कथनों को हटाने के लिए कहा। शिकायत,

अभिकलनों को हटाने के बाद, पी. एस. ई. 1 है। वह दोपहर 08.00 बजे अन्ना नगर पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने उसे बताया कि पिता तिरुमंगलम पुलिस स्टेशन में थे। इसके बाद वह तिरुमंगलम पुलिस के पास गया। उन्हें बताया गया कि वह वहां नहीं थे। वह. यह जानने के बारे में बात करता है कि उसके पिता को पुलिस स्टेशन में रखा गया था और खतरे को महसूस करते हुए, उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। शिकायत में, उन्होंने कहा है कि जब उनके पिता चलने गए थे, तो उन्हें पुलिस ने अवैध रूप से कुछ सामान खरीदने के लिए हिरासत में लिया था।

उसके बयान। उन्होंने 05.03.2002 की नकीरन पत्रिका पढ़ी है। उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि ए 3 और ए 5 की गिरफ्तारी केवल छलावा थी। 30.12.2001 पर, जब उनके पिता चलने गए तो केवल उनकी माँ ने उन्हें देखा था। उनके पिता द्वारा पहने गए जूते माउंट रोड वसंत कॉम्प्लेक्स रीबॉक कंपनी से खरीदे गए थे। फिर वह कहता है कि जूतों का आकार उसके द्वारा बताया गया था

अपने पिता की आवाज़ और उसे अपनी माँ और भाई के सामने बजाते हुए, वह सकारात्मक जवाब देता है। उनका कहना है कि कोई विवाद नहीं था। उसके पिता और ए 3 और अन्य अभियुक्तों के बीच। इसके जवाब में

सवाल यह है कि क्या ए. डी. एम. के. के लोगों को इसके खिलाफ कोई शिकायत थी

उनके पिता ने अपनी पार्टी को द्रमुक में बदलने के लिए कहा, हां, इसे लेकर गंभीर विवाद थे। उन्हें अभी भी विश्वास था कि उनके पिता जीवित थे। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू1 की पुनः जांच की। उनका कहना है कि जब सी. बी. सी. आई. डी. ने 06.04.2002 पर उनकी जाँच की, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि ऑडियो कैसेट में आवाज उनके पिता की थी। इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया कि वह जानबूझकर आरोपी के पक्ष में गवाही दे रहा था।

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

84. पीडब्लू2-रमेश बयान देता है कि वह पेशे से एक कार चालक है। वह मृतक को जानता था। वह सुबह 08.45 बजे घर जाता था या09.00 ए. एम. वह मृतक को अपने साथ ले जाने की बात करता है।

30 तारीख को ए. एम. और मृतक की पत्नी ने उसे बताया कि उसका पति पैदल चलने के बाद घर नहीं लौटा है। वह कहता है किवह इस तथ्य के बारे में नहीं जानता था कि मृतक उस दिन चलने के लिए गया था। 29.12.2001 के बाद, उसने मृतक को नहीं देखा है।

85. पी. डब्ल्यू. 3 अपहरण के पहलू को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रमुख गवाह है। वे श्रीलंका के मूल निवासी हैं। वह आया।

1991 में चेन्नई। 2001 में वे कुश्ती का अभ्यास करते थे। वह एम. आर. सी. नगर में दूसरों के साथ स्किपिंग और रनिंग करते थे। उनके कुश्ती मास्टर सेल्वराज हैं। 30.12.2001 पर, लगभग 05.30 ए. एम. पर, हमेशा की तरह, वह भागने लगा। उस समय, लगभग 75 मीटर की दूरी पर, उन्होंने तीन लोगों को एक व्यक्ति को वैन में चढ़ने के लिए मजबूर करते देखा। इसके बाद, वे सभी एक ही वैन में चले गए। यह एक ओम्नी वैन थी। एक मोटरसाइकिल उस वैन का पीछा कर रही थी। इसके बाद उनके दोस्त सेल्वम वहां आए। यह बात उन्होंने उन्हें बताई। उसने सेल्वराज मास्टर को बताया। सेल्वराज मास्टर ने उनसे कहा, "हमें दूसरों की चिंता क्यों करनी चाहिए।" वह जिरह में अपने बयान पर कायम रहे हैं। वह, इसमें कोई संदेह नहीं है, अन्य बातों के साथ कहता है कि दिसंबर में सूर्योदय देर से होगा और सुबह अंधेरा हो जाएगा। उन्होंने इस घटना को 75 मीटर की दूरी पर देखा क्योंकि वहां स्ट्रीट लाइट थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका कहना है कि पुलिस जांच के दौरान उन्होंने स्ट्रीट लाइट की चमक का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने घटना के बारे में पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई।

86. अगला गवाह, जिसे अपहरण साबित करने के लिए पेश किया जाता है, है

पीडब्लू13। वह इस प्रकार कहता हैः

उसका भाई पुलिस विभाग में काम करता है। 1999 से उन्हें मधुमेह है। वह हर दिन सुबह एम. आर. सी. नगर में टहलने जाता है। उन्होंने चमकीले जूते, सैंडल रंग की टी-शर्ट और गहरे रंग की पैंट पहनी हुई थी। वह उसे पार कर गया। उसे एम. ओ. 14-तस्वीर दिखाई गई और उसने मृतक की पहचान की। जिरह में वह कहता है कि उसने अखबार में देखा कि मृतक नहीं मिला लेकिन उसने नहीं देखा

टीवी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पाया है कि यह स्पष्ट हो जाता है कि पीडब्लू 13 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्व विधायक बालन–मृतक सुबह की सैर कर रहे थे। विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि यह स्पष्ट है कि एम. के.

बालन का अपहरण कर लिया गया था। पीडब्लू3 ने यह नहीं कहा है कि मृतक का अपहरण किया गया था। उन्होंने यह नहीं कहा है कि मृतक को वैन में धकेलने वाले तीन लोग थे।

मामले में अभियुक्तों के बीच।

87. हालाँकि, पीडब्लू 1, 2, 3 और 13 के साक्ष्य को पढ़ने से निम्नलिखित स्थापित होते हैं। मृतक सुबह टहलने जाता था। वह.

वास्तव में पीडब्लू 13 द्वारा देखा गया था जो सुबह की सैर के लिए भी जाता था। पीडब्लू3 ने वास्तव में देखा है कि एक व्यक्ति को तीन व्यक्तियों द्वारा मारुति ओम्नी वैन में धकेल दिया गया और वैन मोटरसाइकिल के पीछे चली गई। 88. ये तथ्य स्थापित किए गए हैं। इस संबंध में पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 के साक्ष्य आगे देखे जाने हैं। पीडब्लू10 ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा है कि पहला और दूसरा आरोपी ए9 के घर पर 30.12.2001 पर थे। उन दोनों ने ए3 को बताया कि वे विधायक [एम. के. बालन] को लेकर आए हैं।

(मृतक)] और उनसे केवल धन एकत्र किया जाना था। पीडब्लू11 ने

पदच्युत किया कि यह A5, A6, A7, A8, A10, A11 और A14 थे, जो मौजूद थे। इसके अलावा, वह कहता है कि ए3 ने उसे धमकी दी कि अगर वह इस मामले के बारे में कुछ भी बताता है तो वह उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मार देगा। उन्होंने आगे कहा कि "हमने पूर्व विधायक बालन का ही अपहरण कर लिया था, आप कुछ भी नहीं हैं। मुझे "। जब तक पीडब्लू10 और पीडब्लू11, पीडब्लू3 और पीडब्लू13 पर विश्वास नहीं किया जाता है, तब तक यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि मृतक का वास्तव में अपहरण कर लिया गया था। निचली अदालत ने पाया कि उसी दिन किसी और का अपहरण नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि ए3, ए4 से ए8, ए10, ए11 और ए14 से ए17 ने मृतक का अपहरण कर लिया (ए10 को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है)।

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

उद्देश्यों से संबंधित स्थितियाँ

गलत मृत्यु प्रमाण पत्र

89. पीडब्लू32–एक चिकित्सा व्यवसायी ने प्रदर्शनी–पी27–मृत्यु प्रमाण पत्र साबित किया है। उन्होंने उस पीडब्लू 33–कामराज को अपदस्थ कर दिया है, जो काम कर रहे थे।

चेन्नई के सरकारी सामान्य अस्पताल में पंद्रह साल तक उनसे परिचित रहने के बाद वे उनके पास आए। उन्होंने पदच्युत किया कि पीडब्लू33 ने बताया कि एक व्यक्ति उन्हें जानता था, अर्थात। , राजमणि चेट्टियार 61 वर्ष के और गरीब थे, हृदय गति रुकने के कारण 01.01.2002 पर 06.00 दोपहर में उनका निधन हो गया। कोई शरीर नहीं था उसका दाह संस्कार कर दिया और उसे ही उसके लिए सारा काम करना पड़ा। वह मृत्यु प्रमाण पत्र चाहता था। फिर, पीडब्लू32 ने पीडब्लू33 को बताया कि वह उसे (जाहिरा तौर पर, मृतक) देखने जाएगा। पीडब्लू33 ने उससे कहा, वह पिछले पंद्रह वर्षों से पीडब्लू32 को अच्छी तरह से जानता है, क्या वह उससे झूठ बोलेगा और कोई और उसके (मृत) साथ नहीं है और पीडब्लू33 को सब कुछ करना है और उसके पास समय नहीं है। उन्होंने जो कहा उसे सच मानते हुए, पीडब्लू32 का कहना है कि उन्होंने शव को देखे बिना पी27–मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीडब्लू32 ने जिरह में गवाही दी है कि पीडब्लू33 उनके घर आया था और कहा था कि कंपनी में चौकीदार के रूप में काम करने वाले उनके छोटे चाचा का निधन हो गया था। उन्होंने 02.01.2002 पर प्रमाण पत्र दिया है।

हालाँकि, यह नहीं लिखा गया है कि यह 02.01.2002 पर जारी किया गया था, और P27 में, यह दिखाया गया था कि यह 01.01.2002 पर जारी किया गया था।

90. पीडब्लू33 अन्य बातों के साथ–साथ इस प्रकार कहता हैः

वह पिछले पांच वर्षों से ए 3 को जानते थे। वे पी. डब्ल्यू. 32 के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि वे पंद्रह वर्षों से एक–दूसरे को जानते थे। 01.01.2002 पर, वह अपने घर में बीमार पड़ा था। एक समिकन्नू–ए 13 आया और उसे बताया कि उसे ए 3 ने बुलाया था। समिकन्नू उन्हें ए 3 के घर ले गया। ए 3 ने उन्हें बताया कि कोल्लाथुर में एक चौकीदार की मृत्यु हो गई। पीडब्लू33 से पूछा गया कि क्या वाहन की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने व्यर्थ प्रयास किया। अगले दिन ऑटो से पहुँचने पर उन्हें ए 3 द्वारा Rs.50/– दिया गया था। ए 3 ने उसे बताया कि एक राजामणि चेट्टियार की मृत्यु हो गई और उसने उससे एक प्रमाण पत्र। पीडब्लू33 ने बताया कि पीडब्लू32 को वे पिछले पंद्रह वर्षों से जानते थे। वह ऑटो से अपने घर गया। पीडब्लू32 वहाँ था और उसने उसे बताया कि कोल्लाथुर कंपनी में एक चौकीदार की मृत्यु हो गई है। पीडब्लू32 ने पीडब्लू33 पर विश्वास किया और इसे एक लेटरहेड में लिखित रूप में दिया। उन्होंने इसे ए 3 को दे दिया। वह पी27 को प्रमाण पत्र के रूप में पहचानता है। वह ए 3 और ए 13 (समिकन्नू) की भी पहचान करता है। वह कहता है कि प्रमाण पत्र दिनांकित 01.01.2002 है जैसा कि उसने कहा था। वह कहता है कि वह इस तरह से बयान दे रहा है क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपनी नौकरी खो देगा। उन्होंने टीआई परेड में पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने ए 13 की पहचान नहीं की। वह यह भी कहते हैं कि यह कहना गलत है कि [2020] 10 एस. सी. आर.

आरोपी–समिपन्नू ने उसे फोन नहीं किया या उसे ए 3 पर नहीं ले गया। उनका यह भी कहना है कि यह कहना सही नहीं है कि वह गलत बयान दे रहे हैं।

अपनी नौकरी खोने का डर। हम एक अलग लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं

देखें। अप्रतिरोध्य अनुमान इस प्रकार होगाः

A3 ने A13 को नियुक्त किया, और A3 के कहने पर, PW32–चिकित्सा व्यवसायी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जो प्रमाणित करता है कि एक राजामणि

चेट्टियार का निधन 01.01.2002 पर हुआ था।

91. अब तय किया जाने वाला अगला सवाल यह होगा कि क्या राजामणि चेट्टियार जैसे व्यक्ति का वास्तव में निधन हो गया था और क्या वह

रिपोर्ट की गई जगह पर रह रहा था? पीडब्लू38 ने पदच्युत किया है कि कोई व्यक्ति नहीं,

जैसा कि प्रमाण पत्र में दिखाया गया है, मृत्यु हो गई। फिर, पीडब्लू36–कार्यालय सहायक प्रभारी ने भी अभियोजन संस्करण का समर्थन किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू32 और पीडब्लू33 के साक्ष्य के अनुसार, ए 3 इस तरह का प्रमाण पत्र चाहता था। पीडब्लू19 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है, हालाँकि उसने आने वाले '8' व्यक्तियों की पहचान नहीं की होगी। ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि उन्होंने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में उनकी पहचान की थी। यह दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट है कि पीडब्लू19 और पीडब्लू12 द्वारा देर रात को जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था, वह मृतक नकली नाम से था।

वाहन ठीक हुए 92. उपयोग किए गए वाहनों से संबंधित साक्ष्य इस प्रकार हैंः

एम 09 नम्बर वाली वैन है। टीएनए 7484। ए 5 ने एक बयान दिया

आई.

पुलिस के लिए। पीडब्लू30 ने ए 9 को दिए जा रहे वाहन के बारे में बात की है और पीडब्लू44 जब्ती का गवाह है। यह वह वाहन है जिसका उपयोग मृतक के अपहरण में किया जाता है। अगला वाहन टीएन 02 पी343 है। यह PW10 के रूप में चिह्नित है।

ii.

एम. ओ. 8 के रूप में और एक और वैन है। पीडब्लू10 बताता है कि 24.12.2001 पर, ए 9 ने उसे बताया कि ए 3 को एक मारुति वैन चाहिए। वह फोर्ड एस्कॉर्ट के लिए किराया नहीं मिलने की शिकायत करता है।

(एमओ 9) और इसे ए 3 को भेज दिया। पीडब्लू24–उप–निरीक्षक ए 6 के इकबालिया बयान के गवाह के सामने गवाही देता है जिससे एम. ओ. 8 की पुनर्प्राप्ति, वैन नंबर। टीएन–22–बीओ–343।

लेकिन उन्होंने कहा "मैं ए 6 की पहचान कर सकता हूं जो ए 8 की भी पहचान करता है"।

वही, एम. ओ. 7–मारुति ऑम्नी वैन, जिसमें सुनहरा रंग है और जिसका नंबर है। टीएन 22 बी8853 बरामद किया गया। पीडब्लू18 बचपन से ही ए 9 से परिचित है। उन्होंने ए 9 फोर को एम. ओ. 7–सुनहरे रंग की मारुति ऑम्नी वैन देने का फैसला किया है। समय समय पर। उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि पिछली बार उन्होंने 01.01.2002 पर दिया था और इसे उसी दिन वापस नहीं किया गया था, जैसा कि पहले के अवसरों पर हुआ था, लेकिन केवल 02.01.2002 पर वापस किया गया था। यह वही वैन है जिसका उपयोग कारखाने की इमारत में हत्या के बाद मृतक के शव को ले जाने के लिए किया गया है। पीडब्लू11 और अधिक उचित रूप से पीडब्लू35–पुलिस कांस्टेबल का साक्ष्य इस मुद्दे को पकड़ता है।

इसके उपयोग के बारे में।

ए 9 के बयान से टाटा सूमो की भी बरामदगी हुई और इसे एम. ओ. 13 के रूप में चिह्नित किया गया। गाड़ी का नंबर टीएन 04 डी9657 है। पी. डब्ल्यू. 15 अन्य बातों के साथ–साथ कारों का विक्रेता है। उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि वे 30 वर्षों से ए 9 को जानते थे। उन्होंने आगे कहा कि ए 9 उनके पास टाटा सूमो खरीदने के लिए गया था और रुपये का अग्रिम दिया था। 15,000 / – सितंबर, 2001 में उन्होंने अपनी मारुति ज़ेन बेच दी और सूमो ले ली। बाद में, वह आया, उसने टाटा सूमो को यह कहते हुए छोड़ दिया कि यह शुभ नहीं है और कार ले गया। टाटा सूमो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है।

30.12.2001 पर फोर्ड एस्कॉर्ट के साथ। लिंक निर्विवाद है।

ए 4 ने बयान दिया है जिससे फोर्ड की रिकवरी हुई है।

vi.

किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत, और इसलिए, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यह ध्यान देने योग्य है कि साक्ष्य (पीडब्लू10) के अनुसार, अपराध के साथ कार का संबंध यह है कि मृतक को फोर्ड एस्कॉर्ट कार में कारखाने में लाया जाता है।

vii.

A15 ने P51 दिया है–जिसके अनुसार M010

हीरो होंडा मोटरसाइकिल और काले रंग का रीबॉक जूता (अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जूता मृतक द्वारा पहना गया था और मोटरसाइकिल की बगल की जेब में रखा गया था) बरामद किया गया। जूता को एम. ओ. 1 के रूप में चिह्नित किया गया था। मोटरसाइकिल के बारे में अधिक चर्चा बाद में की जाएगी।

इस जूते को एम. ओ. 1 के रूप में चिह्नित किया गया है। पीडब्लू48 के प्रमाण हैं। A15 से संबंधित चर्चा में इस वाहन के बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी।

समझौते ने क्या कहा

93. हम सोचते हैं कि यह उचित है कि हमें पीडब्लूएस 10 और 11 के साक्ष्य पर विचार करना चाहिए। हम पहले ही उन सिद्धांतों को निर्धारित कर चुके हैं जो शासन करते हैं।

सहयोगियों के साक्ष्य की सराहना। इस आधार पर कार्यवाही करते हुए कि पीडब्लू 10 और 11 सहयोगी हैं (हालांकि राज्य के वकील का मामला है कि पीडब्लू 10 और 11 को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध से संबंधित नहीं माना जा सकता है), हम निम्नलिखित पर ध्यान देते हैं।

94. पीडब्लू10 की जाँच 30.10.2003 पर की गई थी। हम उसके बयान की तारीख का उल्लेख केवल यह ध्यान में रखने के लिए कर रहे हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां गवाह से अपराध की तारीख से लंबे अंतराल के बाद पूछताछ की जाती है क्योंकि हत्या कथित तौर पर 01.01.2002 पर हुई है।

95. आइए हम जांच करें कि उन्होंने क्या कहा है। वे 1984 से 1995 तक तांबरम में चावल का व्यवसाय कर रहे थे। 1995 से, उन्होंने एक व्यवसाय चलाया। 1985 से वल्लुवर ट्रेवल्स का नाम और शैली उसके दोस्त उदय कुमार (नौवां आरोपी) के साथ है। 1998 में उन्होंने एक शराब की दुकान शुरू की जिसमें पीडब्लू11 भी भागीदार था। यह 1999 में था, नौवें आरोपी ने सोमसुंदरम @सोमू बनाम को सूचित किया।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

कि कृष्ण पांडी–पीडब्लू34 मुडिचुर में एक वर्मीसेली कंपनी चला रहा था। उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा था। पीडब्लू 10 और 11 ने कृष्ण पांडी के उद्यम में निवेश किया। पीडब्लू 10 और नौवें आरोपी के बीच संबंध बिगड़ने का संदर्भ है। पीडब्लू10 ने एक फोर्ड एस्कॉर्ट कार खरीदी, हालांकि एक रंजीत सिंह के नाम पर, जिसके साथ उनके व्यावसायिक संबंध थे।

जिसे उन्हें कुछ काम करने थे। इसके लिए उन्हें कुछ घरों की जरूरत थी। एक उपयुक्त घर की खोज की गई। तीसरा आरोपीघटनास्थल पर आता है। पीडब्लू 10 और 11, उदय कुमार–ए9 और ए3 के साथ, अंत में, मुडिचुर रोड पर वर्मीसेली कारखाने को अंतिम रूप देते हैं। उन्होंने तीसरे आरोपी की पहचान की। तीसरे अभियुक्त द्वारा कारखाने की इमारत की खिड़कियों पर एक पर्दा लगाने के निर्देश दिए गए थे। जब नौवें आरोपी ने दो चारपाई माँगी, तो पीडब्लू 10 ने अपने एक दोस्त गुरु से दो चारपाई माँगी। पी. डब्ल्यू. 10, ए9 और पी. डब्ल्यू. 11 द्वारा पी. डब्ल्यू. 10 के घर की कुर्सियां, नौवें आरोपी के घर का पंखा और शयनकक्ष कारखाने में रखे गए थे। खिड़कियों के लिए पर्दा लगा दिया गया था। तीसरे अभियुक्त ने पीडब्लू34 को कंपनी के लिए एक सप्ताह की छुट्टी देने के लिए कहा। यह मानते हुए कि उन्हें किराया मिलेगा, पीडब्लू10 ने उनकी फोर्ड एस्कॉर्ट कार के लिए पूछे जाने पर कार को उनके घर भेज दिया।

नौवाँ अभियुक्त। 05.12.2001 पर क्या हुआ इसका संदर्भ है। उक्त दिन, उसे नौवें आरोपी ने तीसरे आरोपी के आवास पर आने के लिए बुलाया था। वहाँ दो–तीन और लोग थे।

पीडब्लू 10 और 11 ने नौवें आरोपी का पीछा किया जो घर के अंदर गया। तीसरा आरोपी व्यक्तियों और नौवें आरोपी से कह रहा था कि मृतक को लाया जाना है और उससे कुछ पैसे लिए जाने हैं। पीडब्लू10 ए 4, ए 6 और सभी की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में करता है जो समारोह में उपस्थित थे।ए 3 का निवास और जो दूसरी कार में उनका पीछा कर रहे थे। A1, A2 और A12 की भागीदारी का संदर्भ है। पीडब्लू10 ने ए 5 की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की है जो अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट कार से ए 3, ए 9 और ए 1 के साथ आया था। अल

उन्हें दिखाया गया और उन्हें एक वी. आई. पी., एक बहुत बड़े वी. आई. पी. के रूप में चर्चा की गई। पीडब्लू 10 और 11 को उसके लिए भोजन लाना था और अन्य काम करना था। पीडब्लू10 ने

उदय कुमार ए 9 द्वारा अनुरोध किए जाने के अनुसार, ए 3 द्वारा आवश्यक धन के रूप में रु. 1,10,000/– दिए जाने के बारे में बात की गई। ए 2 को पैसे सौंप दिए गए।

संस्करण के अनुसार 30.12.2001 पर क्या स्थानांतरित किया गया

पीडब्लू10–द सेलियंट एलिमेंट्स 96. उक्त तिथि पर, सुबह 08.30 पर, A9 ने उसे फोन पर उसके घर बुलाया। पीडब्लू10 को पीडब्लू11 कहा जाता है। उसके कार्यालय में काम करने वाले एक लड़के ने उसे [2020] 10 एस. सी. आर. छोड़ दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी मोटरसाइकिल पर घर में रहे और वापस चले गए। ए 5 को एक बाइक से उसे कारखाने में छोड़ने के लिए कहा गया था जो ए 9 के आवास पर थी। फैक्ट्री पहुंचने पर, उन्हें ए 9 से एक फोन आया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें चाबी मिल गई है। उन्होंने आगे सेल–फोन को पीडब्लू34 कृष्ण पांडी को सौंपने के लिए कहा। बातचीत के बाद, पीडब्लू34–कृष्ण पांडी चाबी सौंपने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने चाबी ए 3 को सौंप दी जो ऑटो से आया था। चाबी ए 5 को सौंपी गई। A3 इसके बाद PW10 के साथ पिलियन राइडर के रूप में बैठा और A9 के घर गया। पीडब्लू10 ए 3 के बाद ऊपर वाले हिस्से में गया। इसमें ए 1 और ए 2 थे। उन्होंने ए 3 को बताया कि वे एक्स लाए थे। विधायक (मृतक) और उनसे केवल पैसा लिया जाना था। होटल हेंकला का संदर्भ है जहाँ कमरा है।

ए 1 के लिए बुक किया गया था। उसी दिन, दोपहर 05.00 बजे, ए 3 के चालक ने फोर्ड एस्कॉर्ट कार को अपने कार्यालय में छोड़ दिया था।

31.12.2001 – महत्वपूर्ण विशेषताएँ

97. उदय कुमार–ए 9 पी. डब्ल्यू. 10 को सुबह 08.30 पर कॉल करता है। उन्हें होटल हेंकला आने के लिए कहा गया। वह वहाँ गया। कुछ देर बाद ए 3 आया। ए 3 ने ए 9 को बताया कि उसे एक मारुति वैन की जरूरत है। जाहिरा तौर पर, ए 9 बाहर गया और चंदन रंग की मारुति वैन लेकर आया। ए 3 उस मारुति वैन में पीडब्लू10, ए 9 और ए 1 ले गया और कारखाने में चला गया। A9 अकेला उतर गया और वहाँ खड़ा था। एक व्यक्ति ऊपर से

आया और उसे (पीडब्लू10) और ए1 ऊपर ले गया। वहाँ लगभग पाँच या छह लोग थे। मृतक को कुर्सी से बांध दिया गया था और उसकी आंखें भी कपड़े से बंद थीं। उन्हें हरे स्टील के खाट पर बिठाया गया था जो उनके द्वारा पहले से ही प्रदान किया गया था। उन्होंने काली पैंट और सैंडल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। स्टील के खाट से कहीं दूर कमरे में नीले रंग के जूते पड़े हुए थे। अल

ए9 को ए2 से रिकॉर्ड किए गए कैसेट (दो संख्या में) और दो खाली कैसेट लेने के लिए अपने घर जाने के लिए कहा। यह टेप रिकॉर्डर के अलावा है। A3 ने चीज़ें लेने के लिए PW10 और A9 से संपर्क किया। पीडब्लू10 ए9 के बारे में बताता है कि उसके घर से फिलिप्स को दो टेप रिकॉर्डर मिले और दो रिकॉर्ड किए गए।

ए2 से कैसेट। इसके अलावा, एक दुकान से दो खाली कैसेट खरीदे गए थे। एक व्यक्ति ऊपर से आया और ए3 ने उसे मृतक की आँखों में बंधा कपड़ा उतारने के लिए कहा। पीडब्लू10 भयभीत महसूस करने के बारे में बात करता है। ए3 उसके पास आया और उसे बताया कि उसे केवल पीडब्लू10 पर संदेह है और उसे संदेह है कि वह किसी को बताएगा। ए3, जिसे अपदस्थ कर दिया जाता है, ने पीडब्लू10 को धमकी दी कि अगर उसने इस मामले के बारे में कुछ भी खुलासा किया, तो वह वास्तव में उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मार देगा। ए3 ने आगे कहा कि "हमने एक्स का अपहरण कर लिया है। विधायक बालन, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं। वह बहुत डरने की बात करता है। लगभग 07.30 शाम को

30.12.2001 , ए9 ने फोन किया और उसे होटल में रहने के लिए कहा।

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

01.01.2002

98. वह सुबह होटल से अपने घर लौटने के बाद सुबह 10.30 पर होटल चला गया। कुछ समय बाद, ए3 वहाँ आया। ए3 ने ए9 से एम्बुलेंस माँगी। पीडब्लू10 और ए9 अंदर गए

एम्बुलेंस की तलाश करें। न मिलने पर ए3 ने ए9 को एक मारुति वैन की व्यवस्था करने और एम्बुलेंस में लगे एल्यूमैक्स लाइट को ठीक करने के लिए कहा। ए3 के चालक विगी का संदर्भ है कि दुकानें बंद थीं क्योंकि यह छुट्टी थी (नए साल का दिन होने के कारण)। आई. डी. 1 बजे तक, नौवें आरोपी से दो लोग एक मारुति वैन ले गए। पीडब्लू10 इन व्यक्तियों की पहचान छठे आरोपी और आरोपी संपत (ए11) के रूप में करता है। पीडब्लू10 ने पीडब्लू11 से एम्बुलेंस की आवश्यकता और एम्बुलेंस जैसे वाहन की व्यवस्था के बारे में बात की। पीडब्लू10 ने पदच्युत किया कि उन दोनों को संदेह था कि कंपनी में कुछ चल रहा था।

वे दोपहर 2 बजे शुरू हुए और सुबह 1 बजे मुदिचुर पहुँचे। गेट बंद था। ए6 गेट के पास खड़ा था। उसने उन्हें देखा और उन्हें वहाँ से भगा दिया। वहाँ एक सुनहरे रंग की मारुति वैन खड़ी थी। क्योंकि वे डर गए थे, वे पैदल आए थे। ए5 मोटरसाइकिल से कंपनी के पास गया। मोटरबाइक अंदर चली गई और वह रोशनी में खड़ी थी। चार लोग मृतक के शव को ऊपर से ले जाते हुए आए, दो ने उसके पैर और दो हाथ पकड़े हुए थे। पीडब्लू10 मृतक के काले रंग की पैंट और चंदन की टी-शर्ट पहनने को संदर्भित करता है। शव को एक पट्टी जैसी जगह पर रखा गया था। शरीर में कोई हलचल नहीं थी। शव को वैन में लादा गया था और यह बहुत तेजी से शुरू हुआ। ए5 मोटर

साइकिल पर चला गया। संक्षेप में, यह पी. डब्ल्यू. 10 का विवरण है कि उसने क्या देखा औरवह घटना के बारे में क्या जानता है। पीडब्लू10 ए5, ए6, ए7, ए8, ए10, ऑल और ए14 की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में करता है जिन्हें उसने मृतक के पास देखा था जब उसने

कारखाने की पहली मंजिल पर बंधा हुआ था (यह स्पष्ट रूप से चालू है)

31.12.2001) . उन्होंने मृतक के शव को ले जाने वाले चार व्यक्तियों की पहचान ए6, ए7, ए8 और ए11 के रूप में की।

99. पीडब्लू 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है:30.12.2001 पर वह वर्मिसिली कारखाने में नहीं गया [यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अपीलार्थी के वकील द्वारा भी दबाया जाता है।

इसका कारण यह है कि अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने कहा था कि वह 30.12.2001 पर कारखाने गए थे। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि स्वयं पी. डब्ल्यू. 10 ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि 30 तारीख को लगभग 8:30 बजे वह चाबी लेने गया था, वहाँ से वह 9:30 बजे वापस चला गया। इसके बाद वह नहीं गए [जिससे यह स्पष्ट होता है कि पीडब्लू 10 वास्तव में 30 तारीख को गया था] जैसा कि उन्होंने अपने क्रूस [2020] 10 एस. सी. आर. में अपदस्थ किया था।

जाँच। उनका कहना है कि जब तक वे वहाँ थे, तब तक एम. के. बालन नामक व्यक्ति को वहाँ नहीं लाया गया था। वह अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहता है कि उसने उस होटल के कमरे के किराए का चेक दिया था जहाँ से उसने 02.01.2002 पर खाली किया है। वह कहता है कि उसने इस मामले के बारे में बाहर किसी को नहीं बताया, उसने पहली बार पुलिस का उल्लेख किया था जो उसने 01.05.2002 पर देखा है। यह डर के कारण था कि उसने नहीं कहा। वह आगे कहता है

कि पुलिस को देखने के बाद उसका डर दूर हो गया था। वह आगे कहता है कि वह नक्केरन गोपाल से मिलने और उससे चर्चा करने से इनकार करता है। वह निस्संदेह कहता है कि अगर यह पूछा जाए कि क्या वह कारखाने में हुई घटना के बारे में सटीक रूप से जानता है।

31.12.2001 , उसे पता नहीं चला। 5.12.2001 से कुछ दिन पहले उन्होंने A3 देखा था। उन्होंने पहली बार तीसरे आरोपी के घर पर 5.12.2001 पर A4 देखा। वह A3 को वहाँ उपलब्ध व्यक्तियों को यह कहते हुए सुनने के बाद कहता है कि पूर्व। विधायक एम. के. बालन को लाना पड़ा और उनसे कुछ पैसे इकट्ठा करने पड़े, ऐसा नहीं लगा कि यह एक हिंसक कृत्य हो सकता है। वह आगे क्रॉस में कहता है कि सभी आरोपी उसे पहले नहीं जानते थे। पुलिस द्वारा उसकी पहचान किए जाने के बाद वह ए10 और ए14 की पहचान करने से इनकार करता है। उनका कहना है कि उन्होंने आखिरकार अपना घर भी दिखा दिया था। उन्हें उनका घर भी दिखाया गया क्योंकि उन्हें कमीशन मिल सकता था। वर्मिसिली कारखाने में शौचालय की सुविधा है। (पुनःपरीक्षा में वह कहता है कि शौचालय भूतल पर है। इस पहलू का महत्व यह है कि जब मृतक को पहली मंजिल पर रखा जाता था तो एक

बेडपैक का भी उपयोग किया जाता था) वह आगे कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण पांडी (पीडब्लू34) से यह नहीं पूछा कि किराए पर देने में कितना समय लगता है और मासिक किराया क्या है और अग्रिम राशि क्या है और इसके लिए कमीशन क्या है, उन्होंने उसे यह भी नहीं बताया। वह नहीं जानता कि कैसे

कारखाने में कई मजदूर काम कर रहे थे, वे नहीं कर सकते थे

लगभग भी। उसके पास पुरुषों के बारे में विवरण नहीं है औरमहिलाएँ जो कारखाने में काम कर रही हैं। वह 50 फीट की दूरी पर खड़ा था। घटना स्थल से दूर (जाहिरा तौर पर

01.01.2002) पर। वह आगे कहता है कि अगर यह पूछा जाता है कि जब यह घटना हुई थी तो उसके द्वारा देखी गई घटना के बारे में पीडब्लू34 को सूचित क्यों नहीं किया गया था, तो वह कारखाने में भागीदार नहीं था, लेकिन फिर वह कहता है कि उसे पीडब्लू34 को दी गई राशि के लिए ब्याज राशि मिली थी।

100. यह देखने का समय है कि दूसरे साथी पीडब्लू11 के पास क्या है। यही कारण है कि एक तर्क है कि पीडब्लू10 डब्ल्यू11, दोनों साथी एक-दूसरे की पुष्टि भी नहीं करते हैं।

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

101. वह ए9 की पहचान उस व्यक्ति के रूप में करता है जिसके साथ पीडब्लू10 रेत खदान का व्यवसाय कर रहा था। वह मतदान केंद्र पर पीडब्लू 9 और पीडब्लू 10 के एक-दूसरे के साथ बातचीत करने के बारे में बताते हैं, ए 9 पीडब्लू 10 को बताता है कि वह एडीएमके में शामिल होने जा रहा है और ए 3 के बारे में, वह उसके लिए एक पद की व्यवस्था करने जा रहा है। वह कुछ घरों की आवश्यकता, घरों और विभिन्न घरों की खोज और इस मामले में ए3 की भागीदारी के बारे में बात करते हैं। वह निवेश के बारे में बात करते हैं जिसे ए9 ने उन्हें और पीडब्लू10 को पीडब्लू34 द्वारा संचालित कारखाने में बनाने के लिए राजी किया। ए3 ने ए9 को बताया कि कारखाना सही जगह है। वह ए3 की पहचान करने और उसकी पहचान करने में सक्षम है। फोर्ड एस्कॉर्ट कार पी. डब्ल्यू. 10 से ए9 द्वारा किराये के आधार पर प्राप्त की गई थी और ए3 को दी गई थी। 05.12.2001 पर, A9 ने उन्हें और PW10 को सूचित किया कि A3 ने पूछा हैउनके घर जाने के लिए। ए3 के आवास पर तीन लोग मौजूद थे। वह उनकी पहचान ए4, ए6 और ए7 के रूप में करता है। वह आगे कहता है कि ए3 ने ए9 को बताया कि मृतक को पैसे देने थे और उसे लाकर उसे इकट्ठा करना था। वह फोर्ड एस्कॉर्ट कार में ए3 के उनके आगे जाने के बारे में बात करता है। वह ए12 के बारे में बात करता है। वह ए5 की पहचान उस व्यक्ति के रूप में करता है जो

सहायक ए1 सेंथिल के. आर. आई. डी. 1 पर, लगभग 8:30 बजे, पी. डब्ल्यू. 10 ने उसे फोन किया और ए9 के घर जाने के लिए कहा। वह वहाँ गया और देखा कि पीडब्लू10 वहाँ नहीं है। ए9 उन्हें टाटा सुमो में ले गया और वे मुडिचुर रोड जंक्शन पर इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे के बाद, फोर्ड एस्कॉर्ट कार आया और ए3 गाड़ी से बाहर आया और ए9 से बात कर रहा था। ए9 ने उसे ऑटो से ए3 लेने और कारखाने जाने के लिए कहा। पी. डब्ल्यू. 10 और ए5 कारखाने में थे। ए3 ने उसे देखा और ए5 से पूछा कि क्या कंपनी तैयार है? फिर उन्होंने पीडब्लू10 से कंपनी की चाबी ली और उसे ए5 को दे दिया। लगभग आधे घंटे के बाद ए9 ने उन्हें फोन किया और कंपनी का गेट खोलने के लिए कहा। टाटा सूमो पहले स्थान पर रही, उसके बाद फोर्ड एस्कॉर्ट और मारुति ज़ेन आई। चार लोग फोर्ड कार से उतर गए। वे चार लोग मृतक को उसकी आँखें, मुँह बंद करके और उसके हाथ

बांधकर लाए और उसे पहली मंजिल पर ले गए। मृतक ने काले रंग की पैंट, चंदन की टी-शर्ट और जूते पहने हुए थे। ज़ेन में से तीन लोग बाहर आए। ए 9 उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि वह एन. के. बालन (मृत) है और उसने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को भी ए 3 के बारे में बताया तो वह उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मार देगा। उन्होंने फोर्ड एस्कॉर्ट कार में मृतक को लाने वाले चार लोगों की पहचान ए 4, ए 11, ए 16 और ए 17 के रूप में की। वह आगे के विवरणों के बारे में बात करता है, जैसे कि तीन और व्यक्ति टिफिन पार्सल के साथ आ रहे हैं और वह उन्हें पहचान सकता है। , ए 6, ए 15 और ए 7। वह अपने घर चला गया। उसी दिन पीडब्लू10 ने उन्हें फोन किया और होटल हेंकला जाने के लिए कहा। कमरा No.207 में उन्होंने A9, PW10 और A1 को देखा। वह [2020] 10 एस. सी. आर. के दौरान ए 1 के साथ रहे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस रात। अगले दिन, अर्थात। , आई. डी. 2 पर सुबह 6 बजे, वह उस होटल से चला गया जहाँ वह रात में आई. डी. 1 पर रुका था। वह कारखाने में 10 लोगों के लिए दोपहर का भोजन खरीदने के बारे में बात करता है। दोपहर 12 बजे तक उन्हें 10 लोगों के लिए दोपहर का भोजन, बीपी की गोली और सिरदर्द की गोली खरीदने और उन्हें कारखाने में ए 5 को सौंपने के लिए कहा गया। उन्होंने उन्हें वही खरीदा और घर चले गए (1.1.2001 पर), उन्हें A9 द्वारा सुबह 10.00 पर बुलाया गया और टिफिन लेने के लिए और उन्होंने दोपहर में उनके लिए दोपहर का भोजन किया। ए 5 ने उसे बताया कि रात में रात का खाना खाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वे वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं और उसे ए 9 को यह बताने के लिए कहा। रात 8 बजे के बाद पीडब्लू 10 ने उसे फोन किया और उसे होटल हेंकला आने के लिए कहा। वह वहाँ गया और पीडब्लू 10 ने कहा कि उन्हें दोपहर का भोजन करने की आवश्यकता नहीं है और पीडब्लू 10 ने उससे कहा कि ए 3 और ए 9 ने एक वैन की व्यवस्था करने के लिए कहा और इसके लिए उसने जवाब दिया कि वह नहीं कर सकता और ए 9 ने एक वैन की व्यवस्था की। पीडब्लू10 ने उसे बताया कि कुछ चल रहा है और उसे इसकी जानकारी नहीं है। तब पीडब्लू10 ने बताया

वह जो हमें कारखाने में जाकर देखने देता है। वे दोनों मोटरसाइकिल से कंपनी गए। गेट के पास दो लोग थे। दोनों की

उन्होंने उनसे कहा कि उनके पास वहाँ कोई काम नहीं है और वे वहाँ से जा सकते हैं। फिर पीडब्लू12 ने बाइक को कंपनी के बगल में छोड़ दिया और जब पीडब्लू10 ने कंपनी के गेट को पार किया तो उन्होंने ए 5 को कारखाने में जाते देखा। उस समय कारखाने की ऊपरी मंजिल से चार लोग एन. के. बालन को लेकर आए, जिन्होंने काले रंग का पैंट और टी-शर्ट का चंदन का रंग पहना हुआ था और उन्होंने उसे फर्श पर छोड़ दिया। उन्होंने मृतक को ए 5 द्वारा लाई गई धोती से बांध दिया और उसे वैन तक ले गए और वैन वहाँ से चली गई। ए 5 मोटरबाइक से चला। वैन पंजीकरण संख्या टी. एन. 22-बी-8853 (एम. ओ. 7) है। उनके द्वारा बताया गया फोर्ड एस्कॉर्ट नंबर टीएन 10-एफ 5555 (एमओ 6) है। मारुति वैन संख्या टी. एन. 02-जेड-99 (एम. ओ. 12) और टाटा सूमो संख्या टी. एन.-04-बी-9657 (एम. ओ. 13) है। पीडब्लू11 उसके और पीडब्लू10 के डरने के बारे में बताता है और वे घर वापस चले गए। पीडब्लू10 ने उसे बताया कि उसे ए 3 द्वारा बुलाया गया था और उससे कहा गया था कि अगर यह मामला कहीं भी सामने आया तो वह उसे और उसके परिवार को मार देगा। वास्तव में यही

बात पीडब्लू11 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रॉस में वह अन्य बातों के साथ इस प्रकार कहता हैः

उनके घर में टीवी है। उन्हें इस खबर के बारे में पता नहीं था कि मृतक के लापता होने की घोषणा टीवी पर की गई थी। उन्होंने इसे अखबार में देखा है। वह.

मृतक को वर्मीसेली कंपनी की ऊपरी मंजिल पर 30.12.2001 पर 10.30 ए. एम. पर नहीं देखा। उसने मृतक को देखा है लेकिन उसका उससे कोई संपर्क नहीं था। पी. डब्ल्यू. 10 (एम. ओ. 6)–सी. ए. आर. को किराए पर यात्रा के लिए छोड़ चुका था। मुडिचुर रोड पर जिस घर का चयन किया जा रहा था और कारखाने में व्यवस्था की जा रही थी, उसे ए 9, ए 3, पीडब्लू34 और वेणुगोपाल पीडब्लू10 के बारे में पता था और कारखाने में व्यवस्था के बारे में पीडब्लू10 और पीडब्लू11 सोमसुंदरम @सोमू बनाम को पता था।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

कारखाना। उसे नहीं पता कि पहला मृतक ऊपर था या नहीं। वह कहता है कि हम 1 तारीख को रात 9 बजे के बाद वहाँ से चले गए। पीडब्लू34 ने जनवरी में उन्हें ब्याज नहीं दिया। आज तक उन्होंने ब्याज नहीं दिया है। वह आरोपी को पहले से जानता था। उन्होंने पहली बार केवल 05.12.2001 पर A3 देखा। इसके बाद उन्होंने उन्हें 30 तारीख को देखा था। इसके बाद उन्हें नहीं देखा गया। ए 3 की पहचान उनके द्वारा इस दौरान नहीं की गई थीपहचान परेड। पुलिस ने उसे किसी भी आरोपी की पहचान करने के लिए नहीं बुलाया। वह भी नहीं गया। उन्होंने (एमओआई) की पहचान नहीं की। वह इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने पुलिस जांच के दौरान या न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी गुना के बारे में उल्लेख नहीं किया था। वह A16 को जानता है

उसे कारखाने में देखा। उसे याद नहीं है कि वह भी उन चार व्यक्तियों में से था या नहीं। उसे दो व्यक्तियों को याद नहीं है जिन्होंने पी. डब्ल्यू. 10 को बताया था और उसे कारखाने में कहा था कि उनके पास कोई काम नहीं है। उन्होंने नक्कीरन पत्रिका देखने से इनकार किया। उन्होंने प्लस 2 तक पढ़ाई की। वह इस बात से इनकार करते हैं कि उन्हें और पीडब्लू 10 को किसी ने उनके लिए घर लेने के लिए नहीं कहा था। ए 9 राज्य स्तर पर पुरात्ची भारतम पार्टी के सदस्य हैं। वह ए. डी. एम. के. के सदस्य नहीं हैं। ए 9 की अपनी कार है। उनका कहना है कि यह कहना सही है कि उन पर विश्वास करने के लिए ए 9 या काम करने के लिए पीडब्लू10 की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस जाँच के दौरान मृतक की पहचान, रंग, ऊँचाई आदि के बारे में उससे नहीं पूछा गया था और न ही उसने इसके बारे में बताया था। जब कोई व्यक्ति कारखाने के गेट के बाहर खड़ा होता है, तो वहां हो रही घटना को देखा जा सकता है। रात में कारखाने के बाहर कोई रोशनी नहीं थी। पुलिस उसे फैक्ट्री दिखाने नहीं ले गई। उन्होंने उसे वैन टी. एन. 22–बी.–8853 नहीं दिखाई और उसे पहचानने के लिए कहा। उन्होंने एम. ओ. 6 भी नहीं दिखाया और उसकी जाँच की। मृतक की तस्वीरें नहीं दिखाई गईं। टाटा सूमो, मारुति वैन कार नहीं दिखाई गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीडब्लू34, एक स्वतंत्र गवाह?

102. इसके बाद पीडब्लू 34 की गवाही पर एक नज़र डालना आवश्यक है। 34 कोई और नहीं बल्कि कारखाने का मालिक है और उसके अनुसार

क्यूशन केस पीडब्लू10 और पीडब्लू11 के व्यवसाय में निवेश करने के लिए आया था

4 जब वह आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे। वह कहता है,

इस प्रकार हैः

1999 में, वह कुछ समस्याओं के कारण ए 9 तक पहुँचते हैं। वह.

पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 को भागीदारों के रूप में स्वीकार किया। उसके पास सब कुछ है

कंपनी की जिम्मेदारी। पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 कभी-कभी आते और जाते थे। 29.11.2001 पर शाम 6 बजे. पीडब्लू10 और पीडब्लू11 कंपनी परिसर को एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जोर दिया। उसने कंपनी के सामान को एक कमरे में बंद कर दिया और ऊपर का कमरा सौंप दिया और चला गया। उन्होंने उन्हें बैठक समाप्त होने तक नहीं आने के लिए कहा। 5 दिसंबर को उन्होंने उन्हें बताया कि बैठक खत्म नहीं हुई है। कार्यालय के अंदर देखने पर उन्हें खाट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, पैडस्टल पंखा दिखाई दिया। 10 तारीख को पीडब्लू 10 और

पीडब्लू11 एक व्यक्ति को लाया और उसे पूंगा नगर के रूप में पेश किया

माणिकम-ए 3 और उन्हें बताया कि वह एक बड़ा शॉट था। (यह सच है कि पीडब्लू10 पीडब्लू34 के साथ बैठक को पहले की तरह रखता है।) वे एक ही समय में दो जिलों के सचिव थे। वह बैठक का आयोजन कर रहा था और तुरंत चला गया। 30.12.2001 पर, 08.30 AM पर, पीडब्लू 10 बालमुरुगन ए 5 नाम के एक व्यक्ति को लाया और उसे बताया कि एक बैठक बुलाई गई थी और उसे (पीडब्लू34) कंपनी खाली करने के लिए कहा गया था। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने सेमई को सुखाने के लिए रखा है और महिलाएं काम कर रही हैं और यह बर्बाद हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि बैठक तय हो गई है और उन्हें ए 9 से संपर्क करने के लिए कहा जिसने कहा कि वह सेमई के नुकसान की भरपाई करेंगे। पीडब्लू34 ने कर्मचारियों को भेजा और छुट्टी की घोषणा की। 05.00 पी. एम. पर, वह कंपनी में आया

सेमीया और इसे बाजार में भेज दिया। कर्मचारियों को जल्दी आने के लिए कहा गया और 01.01.2002 पर कंपनी छुट्टी पर थी। उन्होंने पहले दिन पीडब्लू10 को फोन किया और उन्हें अगले दिन फोन करने के लिए कहा। वह 2 तारीख को 11.00 AM पर कंपनी में आया। उसके कर्मचारीरत्नम, चामुंडेश्वन वहाँ थे और दरवाजे खुले थे और रोशनी ओमसुंदरम @सोमू वी।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

जल रहा था लेकिन बाहर का दरवाजा बंद था। वह तुरंत सार्वजनिक बूथ पर गया और पीडब्लू 10 को फोन किया लेकिन उसे पीडब्लू 11 मिला। जब उसने ताला देखा, तो वह केवल जंजीर से घिरा हुआ था, लेकिन बंद नहीं था। वे ऊपर गए और सिगरेट, बीयर की दो बोतल और दो जूते देखे। खाट क्षतिग्रस्त हो गई थी और एक बिस्तर था। पी. डब्ल्यू. 34 ने उसके अंदर का मूत्र बाहर डाला। दोपहर 12 बजे एक मारुति वैन आई और एक व्यक्ति बाहर आया और वहाँ पड़ी वस्तुओं के बारे में पूछा। वह ऊपर गया और एक कार्डबोर्ड बॉक्स, एक कार में रखे जूते ले गया और पूछा कि क्या पीछे कुछ बचा है। वह उन वस्तुओं को ले गया जो एक प्लास्टिक की बोरी में रखी कंपनी में लकड़ी के भंडारण स्थान के पास रखी गई थीं। वह फिर से 02.00 पी. एम. पर आया और पूछा कि उसे जगह की सफाई करने के लिए भेजा गया है। कर्मचारी पीडब्लू34 चामुंडेश्वरी ने उसे यह कहते हुए फटकार लगाई कि उसने एक जगह खराब कर दी है जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं और उसे यह कहते हुए वापस भेज दिया कि वे खुद इसे साफ करेंगे। वह जूतों की पहचान एम. ओ. 1 श्रृंखला के रूप में करता है। उन्होंने ए 3, ए 9 और ए 5 की पहचान की।

प्रतिपरीक्षा में, अन्य बातों के साथ, वह इस प्रकार कहता हैः

उन्होंने 10 दिसंबर को ए 3 देखा। 12. वह आगे कहता है कि उसने मृतक को नहीं देखा है और वह उसे नहीं जानता था। 30.12.2001 पर, 08.30 ए. एम. पर, वह कंपनी के कार्यालय गए। उसने किसी को चाबी नहीं दी। ए 5 ने हमें ऊपर नहीं जाने दिया और वह ऊपर नहीं गया। उनका कहना है कि मृतक का गायब होना आ गया था

समाचार पत्रों और टीवी पर भी समाचार। पीडब्लू10 ने कंपनी परिसर से बैठक के लिए अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि यह व्यवसाय में हस्तक्षेप करेगा और उन्हें बैठक आयोजित करने के लिए जगह देने से इनकार कर दिया।

जिस पर पीडब्लू10 ने फिर से जोर दिया। अभिलेखों में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि पीडब्लू10 और पीडब्लू11 शेयरधारक थे। फिर भी एक और स्वतंत्र गवाह पीडब्लू 31

103. संदर्भ में पीडब्लू34 के एक कर्मचारी का बयान होगा, जिसकी जांच पीडब्लू31 के रूप में की गई। वह अन्य बातों के साथ इस प्रकार कहती हैः

पीडब्लू34 कंपनी का मालिक है। पीडब्लू10 और पीडब्लू11 1999 के दौरान भागीदार बने और 16 व्यक्ति काम कर रहे हैं। वह।

पर्यवेक्षक था। वह उपस्थिति के बारे में बात करती है

बनाए रखा। कंपनी को छुट्टी मानते हुए 29.11.2001 से एक सप्ताह की अवधि के लिए बंद कर दिया गया था। फिर वे कंपनी में आए 6 दिसंबर को। उन्हें बताया गया कि कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। 30 दिसंबर को वह ड्यूटी के लिए नहीं गई क्योंकि वह [2020] 10 एस. सी. आर. थी।

रविवार। 31 दिसंबर को, उन्हें पीडब्लू34 द्वारा वर्मीसेली को सुखाने और उसे पैक करने के लिए एझिचुर जाने के लिए कहा गया था और 1 जनवरी को कंपनी छुट्टी पर थी। 2 जनवरी को, पीडब्लू 31,

नागरथिनम और पीडब्लू34 ने जाकर कंपनी देखी। मुख्य द्वार बंद पाया गया। फोन बनाकर लौटते समय

फोन करने पर, मालिक ने पाया कि गेट बंद नहीं था और उसके साथ केवल चेन लगाई गई थी। जब वे ऊपर गए, तो खाट टूटी हुई पाई गई और बत्तियाँ जल रही थीं और बोतलें और सिगरेट के टुकड़े एक बदसूरत दृश्य में पाए गए और लगभग सुबह एक व्यक्ति यह कहते हुए ऊपर आया कि वह वहाँ से एक चीज़ लेने आया है और उसने एम. ओ. आई. के रूप में चिह्नित रीबुक जूता लिया है और दूसरी बार, वही व्यक्ति एक कार में आया और एक बोरे में कुछ ले गया। उसी समय लगभग आई. डी. 1 बजे, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया और पूछा कि क्या यह साफ है और उस समय उसने उसे बताया कि आप इसे क्यों बना रहे हैं।

वह बदसूरत जगह जहाँ औरतें काम कर रही हैं। वह आगे बताती है कि 18 मार्च को पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को कंपनी में लाया गया और उससे पूछताछ की गई और उस समय उस व्यक्ति को देखकर उसने पुलिस को बताया कि वह केवल उसे चिल्लाती है और अगर ऐसा होता है तो।

उससे पूछा कि क्या वह उक्त व्यक्ति की पहचान कर सकती है जो वह कर सकती है

कहते हैं कि चूंकि यह 2 साल से अधिक का अंतराल है, इसलिए वह उस व्यक्ति को याद नहीं कर सकी। खाट के बारे में वह कहती है कि खाट हरे रंग में है और अगर उसे पहचानने के लिए कहा जाए तो वह कह सकती है कि उसे याद नहीं है। कंपनी के मालिक पीडब्लू34 ने पीडब्लू10 के सुझाव पर अवकाश घोषित कर दिया। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने यह नहीं कहा कि एक बेडपैन था। उनके पति विजय कुमार ने भागीदार के रूप में काम किया था, वह पीडब्लू 10 के साथ गवाही देती है। उनके पति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उसने जूता देखा था जब उसे ले जाया गया था।

सामग्री उन अभियुक्तों के खिलाफ है जो हैं

ए 3 के खिलाफ सामग्री का उपयोग करता है 104. 25.3.2002 पर अपनी (A3) गिरफ्तारी के आधार पर, उन्होंने एक स्वीकारोक्ति बयान दिया, जिसे PW26 की उपस्थिति में दर्ज किया गया है।

उनके बयान के कारण मारुति ज़ेन कार No.TN 02-EZ-99 की खोज हुई। पीडब्लू16 ने अभियोजन पक्ष के बयान का भी समर्थन किया है और अंततः वाहन को उसी ने जब्त कर लिया। पी20 स्वीकार्य भाग है। पीडब्लू16 ने ए 3 की पहचान की है। पी. डब्ल्यू. 16 के अनुसार, जिस मारुति कार को एम. ओ. 12 के रूप में चिह्नित किया गया है, उसे नवंबर, 2001 में ए. 3 द्वारा लिया गया था और फरवरी, 2002 के दौरान ही पी. डब्ल्यू. 16 में वापस लाया गया था। मारुति कार का प्रासंगिक पहलू इस प्रकार हैः

ओमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

पीडब्लू11 ने इसे कारखाने में 30.12.2001 पर हटा दिया है।

परिसर में, ए 9 ने उसे फोन किया और उसे गेट खोलने के लिए कहा। फिर, वह पहले आने वाली एक टाटा सूमो कार, उसके बाद फोर्ड एस्कॉर्ट कार और एक मारुति ज़ेन कार के बारे में बयान देता है। मृतक की आंखें और मुंह बंद थे। उसके हाथ बंधे हुए थे। मृतक को पहली मंजिल पर ले जाया गया। पीडब्लू11 ने चार लोगों की पहचान की है।

जिन्होंने मृतक को उस स्थिति में लाया जिसका हमने वर्णन किया है

थोड़ा पहले। इनमें ए 4, ए 11, ए 16 और ए 17 शामिल हैं। ए 5 जेन कार में चला गया जो कंपनी से निकल गई। उन्होंने 05.04.2002 पर और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें अपने कार्यालय ले जाया जाता है, तो वह अपनी पत्नी की तस्वीर के पास से अल द्वारा दिए गए कैसेट और बिट पेपर को सौंप देंगे, जिन्हें MO28 के रूप में चिह्नित किया गया है और

एमओ 33।

105. तीसरे अभियुक्त के खिलाफ पेश होने वाली अगली परिस्थिति

एच पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 की गवाही की पुष्टि करता है

मिथ्या मृत्यु प्रमाण पत्र के निर्माण से संबंधित स्थितिउपयोग किया जाता है। हमारे विचार में, अभियोजन पक्ष वास्तव में साबित करने में सफल रहा है

▪बहती हुईः

ए 3, पीडब्लू32 (चिकित्सा व्यवसायी) के उदाहरण पर जो

पी. डब्ल्यू. 33 को एक झूठा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजी किया गया था। यह प्रमाण पत्र एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया था जो पीडब्लू38 के साक्ष्य से साबित होता है जिसने बयान दिया है कि ऐसा कोई व्यक्ति (राजमणि चेट्टियार) नहीं है जिसे प्रमाणित किया गया हो।

पी. डब्ल्यू. 32 द्वारा मारे गए लोग निवास में रहते थे जैसा कि बताया गया है। कब्रिस्तान के प्रभारी पीडब्लू36 कार्यालय सहायक ने पदच्युत किया है कि 02.01.2002 पर, पीडब्लू19 ने उनके (पीडब्लू36) जाने के बाद उन्हें बताया,

(जाहिरा तौर पर पिछले दिन) एक शव आया और उस दिन डॉक्टर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र पी27 है। प्रमाण पत्र, जाहिरा तौर पर, श्मशान में एक लाइसेंस, पीडब्लू19 द्वारा अनुरोध किए जाने के मद्देनजर प्रस्तुत किया गया था, पीडब्लू12 शत्रुतापूर्ण हो गया है लेकिन यहां तक कि पीडब्लू12 ने भी एक व्यक्ति के बारे में गवाही दी है।रात में 01.01.2002 पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इसमें PW19 के साथ उनकी भूमिका है। प्रमाण पत्र ए 3 के संकेत पर प्राप्त किया गया था। इसका उद्देश्य मृत्यु की तारीख को शव का अंतिम संस्कार करना था। पीडब्लू1 की गवाही के अनुसार, मृतक की आयु लगभग 52 वर्ष थी। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तर्क देने का प्रयास किया जाता है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए, पीडब्लू 6 द्वारा अपदस्थ किए गए किसी भी प्रमाण पत्र पर दाह संस्कार करने के लिए जोर नहीं दिया जाता है। यह हो सकता है कि आयु [2020] 10 एस. सी. आर. हो।

ऊपर 60 के रूप में दिखाया गया है। ए 3 द्वारा दस्तावेज़ बनाने की परिस्थिति जिसके लिए ए 13 एक दूत था (ए 13 ने कोई अपील दायर नहीं की है), अभियोजन मामले को मजबूत करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करती है। हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि जिस शव का PW19 और PW12 के माध्यम से 01.01.2002 पर अंतिम संस्कार किया गया था, वह मृतक का था। न केवल दाह संस्कार और वह भी एक झूठे नाम के तहत आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत अपराध को आकर्षित करेगा, जो अपराध करने के साक्ष्य को नष्ट करने से संबंधित है, बल्कि यह उन परिस्थितियों की सूची में एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो हत्या के अपराध में ए 3 और अन्य की भूमिका की ओर भी इशारा करती है। परिस्थिति एक महत्वपूर्ण पुष्टिकारक कड़ी है जो

न केवल हत्या के मामले को स्थापित करता है बल्कि उससे संबंधित है

अपहरण। यही कारण है कि यह विश्वास करना बेतुका होगा कि मृतक स्वेच्छा से और स्वेच्छा से आरोपी के साथ गया था।

विशेष रूप से, जब पीडब्लू 13 और पीडब्लू 3 के साक्ष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। हमें याद दिलाया जाता है कि अपहरण तब होता है जब आई. पी. सी. की धारा 362 के तहत किसी व्यक्ति को किसी स्थान से स्थानांतरित करने में बल या छल होता है। पीडब्लू10 ने देखने की बात की है

मृतक को ऊपर के हिस्से में बांध दिया गया और आंखों पर पट्टी बांध दी गई।

106. यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियुक्तों ने न केवल हत्या के गंभीर अपराध को अंजाम दिया है, बल्कि उन्होंने इसे मिटाने का भी सबसे अधिक प्रयास किया है

उसी से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य, अर्थात। , कॉर्पस डिलिक्टि। हम इस तर्क को भी अस्वीकार करते हैं कि शव को पेश न करना अभियोजन मामले के लिए घातक है। पीडब्लू32, पीडब्लू33 और पीडब्लू36 (निगम के अधिकारी जिनके समक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था) और पीडब्लू38 का साक्ष्य महत्वपूर्ण महत्व रखता है। A3 का हाथ शुरुआत में, यानी कारखाने के चयन से, वाहनों की व्यवस्था, कारावास और दाह संस्कार, स्पष्ट है और हत्या में उसकी भूमिका स्थापित होती है। यह इस संदर्भ में है कि पीडब्लू10 और पीडब्लू11 के साक्ष्य की सराहना की जानी चाहिए। पीडब्लू34 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से ए 3 की भूमिका की पुष्टि करते हैं और पर्याप्त रूप से पीडब्लू10 और पीडब्लू11 की पुष्टि करते हैं। हम एमओ 28 और एमओ 33 को छोड़कर भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जैसा कि राज्य के वकील द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

मान लीजिए नं. 4 (ए 4)

107. ए 4 को 09.04.2002 पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एक इकबालिया बयान दिया–पी. डब्ल्यू. 39 द्वारा गवाह पी. 34। इससे फोर्ड एस्कॉर्ट व्हाइट कार टी. एन. 1075554 की बरामदगी हुई। पीडब्लू10 ने पदच्युत किया कि उसने वही कार खरीदी थी

हालांकि एक रंजीत सिंह के नाम पर। वह आगे सोमसुंदरम @एस. ओ. एम. यू. वी. द्वारा बयान देता है।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

नवंबर, 2001 के अंत में, ए 9 ने उन्हें फोन किया और उनसे उक्त फोर्ड कार मांगी। ए 9 ने दो या तीन महीने के लिए कहा। पीडब्लू10 ने यह मानते हुए कि वह किराया चुका देगा, कार को ए 9 के घर भेज दिया। ए 3 का चालक

विजी आया और उस गाड़ी को ले गया। उक्त कार के उपयोग का उल्लेख पीडब्लू10 द्वारा किया गया है जिसके बाद यह बयान दिया गया है कि 05.12.2001 पर ए 3 उक्त कार में चला गया था जो उसके द्वारा किराए पर दी गई थी। उन्होंने ए 4 को उन तीन व्यक्तियों में से एक के रूप में भी पहचाना जो उस दिन उनका पीछा कर रहे थे। इसके बाद, उक्त कार तब दिखाई देती है जब वह A3 के बारे में बात करता है जो A9 को वुडलैंड्स होटल में रहने और कार में A1 और A2 के साथ जाने के लिए कहता है। वह फिर से ए 3 के उसी कार से वुडलैंड्स होटल में अकेले आने के बारे में बात करता है। फिर से लगभग 07.00 पी. एम., ए 3, ए 9 और ए 1 उसी कार में एक और व्यक्ति के साथ आए। वह दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं है

ए 5। इसके बाद, वे कहते हैं, 30.12.2001 पर, 05.00 शाम को, ए 3 का चालक कार को अपने कार्यालय में छोड़ गया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू10 ने बयान दिया है कि उसने एक अधिवक्ता दुरई पांडी से रुपये में कार खरीदी थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह स्वीकार करता है कि यह उसके नाम पर नहीं है।108. वाहन के संबंध में पीडब्लू11 से गुजरते हुए, पीडब्लू11 ने फोर्ड एस्कॉर्ट कार को 30.12.2001 पर नोट किया है कि जिस कार से चार लोग नीचे उतरे थे और वे लोग मृतक की आंखें, मुंह और हाथ बांधकर उसे पहली मंजिल पर ले आए थे। उन्होंने फोर्ड एस्कॉर्ट कार को एमओ 6 के रूप में चिह्नित किया है। यह वही कार है जो ए 4 द्वारा दिए गए बयान के आधार पर बरामद की गई है। यह अनिवार्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है। A4 द्वारा दिए गए बयान ने उन परिस्थितियों में कार की खोज की, जिन्हें पहले ही PW10 के साक्ष्य में समझाया जा चुका है और A4 की उपस्थिति, न केवल 05.12.2001 पर बल्कि 30.12.2001 पर भी, विशेष रूप से 30.12.2001 पर उपस्थिति की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। ए 4 तीन अन्य लोगों के साथ मौजूद था और वे उसी कार से बाहर निकले। , फोर्ड एस्कॉर्ट कार, जिसमें, जाहिर है, मृतक को लाया गया था। मृतक की स्थिति, अर्थात। , उसकी आँखें और मुँह बंद होना और हाथों को बांधकर पहली मंजिल पर ले जाया जाना, ए 4 को उस भयानक घटना से जोड़ने में क्षण की बात है जिसकी उत्पत्ति अपहरण में हुई थी।

मृतक, उसका अवैध कारावास और उसकी हत्या और दाह संस्कार में पराकाष्ठा।

मान लीजिए नं. 5 (ए 5)

109. पी. डब्ल्यू. 10 ने अपने बयान में उसे ए 3, ए 9 और ए 1 के साथ फोर्ड एस्कॉर्ट कार द्वारा 07.00 पी. एम. के आसपास आने के रूप में संदर्भित किया है। वह रहा है।

पी. डब्ल्यू. 10 द्वारा पहचाना गया। यह 05.12.2001 पर है। ए 3 ने उन्हें ए 5 और [2020] 10 एस. सी. आर. से परिचित कराया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालांकि उन्होंने (पीडब्लू10 और पीडब्लू11) सेंथिल कुमार–ए 1 को भोजन प्रदान किया, लेकिन इसे केवल ए 5 द्वारा परोसा जाना था। पी. डब्ल्यू. 10 द्वारा उनकी भागीदारी के बारे में आगे बताया गया है जो 30.12.2001 पर हुई थी। उक्त दिन, पीडब्लू10 ए 9 द्वारा बुलाए जाने पर उसके निवास पर जाने की बात करता है। ए 9 ने कारखाने की चाबियाँ माँगी। ए 9 ने ए 5 को बाइक पर उसे कारखाने में छोड़ने के लिए कहा। पीडब्लू10 और ए 5 कारखाने में गए। आगे पी. डब्ल्यू. 34 द्वारा पी. डब्ल्यू. 10 को चाबी सौंपे जाने का संदर्भ है। चाबी पी. डब्ल्यू. 10 द्वारा ए 3 को सौंपी गई जो ऑटो में आया था। पी. डब्ल्यू. 10 ने ए 5 को दी जा रही चाबी के बारे में बयान दिया। दुर्भाग्यपूर्ण दिन, 01.01.2002 पर, जब हत्या हुई, PW10 ने A5 का नाम मोटरसाइकिल पर कंपनी में जाने के रूप में लिया है। वह अंदर गया और रोशनी में खड़ा था। बाइक में कपड़े का थैला था। मृतक के शव को चार लोग ऊपर से लाए थे। पीडब्लू10 तब बयान देता है कि ए 5 द्वारा लाए गए थैले से एक कपड़ा लिया गया था और मृतक के शरीर के चारों ओर बांध दिया गया था जैसे कि मृत शरीर के लिए किया गया था। पीडब्लू10 द्वारा ए 5 को अपनी मोटरसाइकिल में जाने के रूप में उद्धृत किया गया है।

110. पीडब्लू11 ने ए 3 के बारे में भी बात की है जो उन्हें उस व्यक्ति के बारे में बताता है। उन्होंने उसकी पहचान की। उनका यह भी कहना है कि ए 3 ने बताया कि ए 1 एक वी. आई. पी. है और केवल ए 5 है।

उसके लिए सब कुछ करेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए (जाहिरा तौर पर सीधे)। वह कारखाने में 30.12.2001 पर PW10 के साथ A5 की उपस्थिति देखता है। ए 3 ने ए 5 से पूछा कि क्या कंपनी तैयार है। ए 3 और ए 5 ने बताया कि वे ए 9 के घर जा रहे थे और वहाँ से चले गए। वह 30.12.2001 पर ज़ेन कार द्वारा जाने वाले A5 के बारे में बात करता है। इसके बाद, लगभग आधे घंटे बाद, टाटा सूमो कार आई। उसी में, ए 5 और तीन और लोग टिफिन पार्सल के साथ आए। इन व्यक्तियों की पहचान ए 6, ए 15 और ए 7 के रूप में की गई है। 31.12.2001 पर, दोपहर 12 बजे तक, A9 द्वारा पूछे जाने पर, वह दोपहर का भोजन और दवा खरीदता है और A5 को सौंप देता है। 01.01.2002 पर, A5 ने PW11 को बताया कि रात में रात का खाना खाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पीडब्लू11 ने ए 5 को भी कंपनी में आते देखा है। वह ए 5 द्वारा लाई गई धोती के बारे में भी बात करता है जो मृतक को बांधती थी और ए 5 मोटरसाइकिल पर निकल जाता था। A5, जिसे 18.03.2002 [इस मामले में पहले गिरफ्तार व्यक्ति] पर गिरफ्तार किया गया था, ने वास्तव में बयान दिया है, जिसके तहत उसने मारुति ऑम्नी वैन M09 की पहचान की है, जिस पर नंबर 1 है। टीएन–ए–7484, स्थान (कारखाना) के रूप मेंश्मशान भी। मारुति ऑम्नी वैन–एम. ओ. 9 वह वैन है जिसका उपयोग मृतक के अपहरण के लिए किया गया था। पीडब्लू3 ने एक व्यक्ति को मारुति वैन में धकेलने की बात कही है। ए 5 के बयान के आधार पर खोजे गए तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए, न केवल उसकी संलिप्तता का खुलासा करने में बल्कि पूरे अभियोजन मामले को उजागर करने में सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत एक बयान केवल उस चीज के बारे में नहीं है जो बयान के परिणामस्वरूप पाया जाता है, बल्कि ज्ञान सोमसुंदरम @ सोमू v है।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

बयान के आधार पर पता चला कि जो व्यक्ति मामले के बारे में बयान देता है, उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पीडब्लू44 का साक्ष्य जो एक राजस्व निरीक्षक था और ए 5 के बयान और ए 5 द्वारा पहचान का गवाह था, उसकी स्पष्ट कड़ी स्थापित करने में मदद करता है और पर्याप्त रूप से पीडब्लू10 की पुष्टि करता है।

और पीडब्लू11। अंत में, पीडब्लू34 ने 30.12.01 पर ए 5 की उपस्थिति के बारे में बात की और उसकी पहचान की।

ए 6, ए 7, ए 8 और सभी

111. हमारे सामने इन अभियुक्तों/अपीलार्थियों के संबंध में क्या सबूत है? साथियों के साक्ष्य को लेते हुए, पीडब्लू10 के पास यह है

उनके बारे में कहें–उनका कहना है कि ए 4, ए 6 और ए 11 के साथ ए 3 के निवास में मौजूद तीन में से दो व्यक्ति 05.12.2001 पर मौजूद थे। वह ए 3 द्वारा व्यक्तियों और ए 9 को यह बताने के बारे में बात करता है कि बालन को लाया जाना है और उससे कुछ पैसे लिए जाने हैं। वह भी बोलता है।

ए 4, ए 6 और ए 11 के रूप में तीन व्यक्तियों के बारे में, उनके पीछे, दूसरी कार में पीडब्लू 11, ए 9। वह आगे उनकी संलिप्तता के बारे में बात करता है जब उसने अपदस्थ किया कि 01.01.2002 पर, A9 ने PW10 को होटल में इंतजार करने के लिए कहा और वह एक सुनहरे रंग की मारुति वैन के साथ आया। रात 8 बजे तक उस मारुति वैन को ए 9 से दो लोगों ने ले लिया। उन दो व्यक्तियों की पहचान ए 6 और ए 11 के रूप में की गई है। ए 6 की उपस्थिति और उसकी संलिप्तता को पी. डब्ल्यू. 10 द्वारा और अधिक स्पष्ट किया जाता है जब वह कहता है कि छठा आरोपी गेट के पास खड़ा था।

कारखाने को बाद में 01.01.2002 पर। पीडब्लू10 और पीडब्लू11 को जाने के लिए कहा गया। वह ए 6 द्वारा धमकी के बाद पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 के डरने के बारे में बात करता है। वह आगे ए 6, ए 7 और ए 11 की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में करता है जो मृतक के पास मौजूद थे जब उसे कारखाने की पहली मंजिल में बांध दिया गया था। उन्होंने ए 6, ए 7, ए 8 और सभी की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जोमृतक के शव को ले गए। वे शव के साथ वैन में जाते हैं। इस मोड़ पर, पी. डब्ल्यू. 18 को यह बयान देते हुए देखना उचित है कि वह वैन नंबर का मालिक है। टीएन 22–8853। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर ए 9 को वैन देने का फैसला किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने गवाही दी है कि इसे ए 9 द्वारा सुबह लगभग 10 बजे 01.01.2002 पर ले जाया जा रहा है और इसे केवल 2.01.2002 पर वापस किया जा रहा है और पुलिस द्वारा इसे 30.03.2002 पर जब्त किया जा रहा है।

112. पी. डब्ल्यू. 11, दूसरे साथी की ओर मुड़ते हुए, उसने आरोपी की संलिप्तता के बारे में यही बयान दिया है। पीडब्लू11, के लिए

कानून में जो भी मूल्यवान है, उसने ए 6 और ए 11 की पहचान उन तीन व्यक्तियों में से दो के रूप में की है जो ए 3 के आवास पर बातचीत कर रहे थे।

05.12.2001 . उन्होंने ए 3 द्वारा ए 9 को यह बताने के बारे में भी बात की है कि मृतक को कुछ पैसे देने थे और इसे उसे लाकर एकत्र किया जाना था। वह.

A6 और A11 के बारे में भी बात करता है, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अन्य कार में उनका पीछा करते हुए।

उन्होंने ऑल की पहचान उन चार व्यक्तियों में से एक के रूप में की है जो एम. के. बालन को 30.12.2001 पर फोर्ड कार में लाए थे। उन्होंने ए 6 और ए 7 की पहचान उन तीन व्यक्तियों में से दो के रूप में की जो ए 5 के साथ आए थे।

टाटा सूमो कार जो फिर से 30.12.2001 पर आई।113. आइए अब हम उपरोक्त अभियुक्त की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को देखें। पीडब्लू21 हेड कांस्टेबल है।

(पुलिस)। उन्होंने 01.01.2002 पर रात की ड्यूटी पर होने के लिए गवाही दी है। वह पीडब्लू 35 के साथ बीट टिकट दिए जाने के बारे में बात करता है। वह सड़क के बीच में खड़ी एक मारुति ओम्नी वैन के बारे में बात करता है। वह और पीडब्लू 35 वैन में चले गए। उन्होंने रहने वालों से पूछा कि वे उस समय क्या कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे पेय पदार्थों के साथ नया साल मना रहे थे। हालाँकि, संदेह होने पर, उन्होंने वैन की अंदर से तलाशी ली, लेकिन उसके अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं था। वे अपना कर्तव्य निभाते रहे। उन्होंने पी10 बीट टिकट साबित किया है। उसने आरोपी की पहचान ए 6, ए 7 और ए 11 के रूप में भी की है। उन्होंने टी. आई. पी. के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने द्वारा की गई पहचान के बारे में भी बताया। उन्होंने पी11-द ड्यूटी बुक को साबित किया है।

114. पीडब्लू35 कांस्टेबल है जिसे पीडब्लू21 द्वारा संदर्भित किया जाता है। वह 01.01.2002 पर ड्यूटी पर होने के बारे में भी बात करता है। वह पीडब्लू21 के साथ जाने की बात करता है।

24 से मेलपट्टी, पोनप्पा स्ट्रीट तकः 00 घंटे (पीडब्लू19 मेलपट्टी, पोन्नापा मुदाली स्ट्रीट में होने से दाह संस्कार के बारे में बताता है)। वह नंबर वाले मारुति वाहन की खोज के बारे में बात करता है। मेलपट्टी न्यू स्ट्रीट में टीएन-22-बी8853। वह चारों व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के बारे में बात करता है। वाहन पेराम्बुर कब्रिस्तान के पास खड़ा था और सोडियम का दीपक जल रहा था। उन्होंने पी28 को अपनी कर्तव्य पुस्तिका के रूप में साबित किया है। पीडब्लू10 उनकी बीट बुक भी है। उन्होंने ए 6, ए 7, ए 8 और सभी की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की है जो

उपस्थित थे। उन्होंने उस वैन की भी पहचान की है जिसे उन्होंने एम. ओ. 7 के रूप में देखा था। उन्होंने टी. आई. पी. में की गई पहचान के बारे में बताया है। 115. यह याद रखना प्रासंगिक है कि पीडब्लू10 ने ए6, ए7, ए8 और सभी की पहचान मृतक के शव को ले जाने वाले व्यक्तियों के रूप में की है।

01.01.2002 पर। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पीडब्लू10 और पीडब्लू11 ने कहा है कि उनके शरीर को सुनहरे रंग की मारुति वैन में लादा जा रहा है, जिसे पीडब्लू10 द्वारा एमओ 7 के रूप में भी पहचाना गया है और उसी पंजीकरण संख्या को धारण किया गया है। टीएन 22–बी–8853। इसकी पुष्टि पीडब्लू 35 (पुलिस कांस्टेबल) के साक्ष्य से होती है। साक्ष्य स्पष्ट रूप से ए6, ए7, ए8 और ए11 को ए3 के कहने पर शामिल होने और दुर्भाग्यपूर्ण दिन मृतक के शव को वैन में ले जाने और उस स्थान के पास उनकी उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं जहां मृतक का अंतिम संस्कार किया गया था। परिस्थितिजन्य सोमसुंदरम @सोमू बनाम पर आधारित मामले में पीडब्लू10 और पीडब्लू11 की गवाही को नजरअंदाज करना।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

साक्ष्य, उन मामलों के बारे में है जो संभवतः नहीं हो सकते थे, जो सहयोगियों के अलावा किसी अन्य गवाह द्वारा देखे गए थे, शायद मनगढ़ंत साक्ष्य के अलावा असंभव के लिए पूछना होगा।

116. ए6 को 19.03.2002 पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पी16 दिया जो उनके कबूलनामे के बयान का स्वीकार्य हिस्सा है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। उन्होंने मारुति ओम्नी वैन की पहचान की जिस पर नंबर नहीं था। टी. एन.–0343 जिसे पी. डब्ल्यू. 37 के घर के सामने खड़ा किया गया था और पी. 17 के तहत जब्त किया गया था। मारुति वैन को स्वयं एम. ओ. 8 के रूप में चिह्नित किया गया है, लेकिन जिन कारणों पर हमने चर्चा की है, हम उन्हें विचार से बाहर रखेंगे।

117. ए7 को 20.03.2002 पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान का स्वीकार्य हिस्सा दिया जो पी38 है। पीडब्लू42 एक ग्राम प्रशासनिक है।

अधिकारी जिसने बयान देखा है। बयान के आधार पर, हरे रंग के स्टील के खाट को जब्त कर लिया गया। इसे एम. ओ. 11 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसे पी38 के तहत उत्पादित और जब्त किया गया था जो पी. डब्ल्यू. 42 द्वारा भी देखा जाता है। पीडब्लू34 और पीडब्लू31 ने पीडब्लू10 के अलावा खाट के बारे में भी बात की है। पीडब्लू10 के साक्ष्य से पता चलता है कि जब वह ऊपर गया तो उसने पाया कि मृतक जिसकी आंखें बंद थीं, उसे जंजीर से बांधा गया था और उसे हरे रंग के स्टील के खाट में बैठने के लिए कहा गया था। उसकी पहचान पीडब्लू21 और पीडब्लू35 द्वारा की गई है।

119. हमने देखा है कि पीडब्लू11 ने ऑल की पहचान उन व्यक्तियों में से एक के रूप में की है जो मृतक को फोर्ड कार में कारखाने में लाए थे। यह याद रखना चाहिए कि पीडब्लू11 ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित पहचान परेड में आरोपी की पहचान की है। इसके अलावा, गिरफ्तारी के बाद,उन्होंने पी53–वक्तव्य दिया। उन्होंने फिलिप्स स्टीरियो कैसेट रिकॉर्डर का निर्माण किया है जिसे पी54–एम. ओ. 2 के रूप में चिह्नित मजार के तहत

बरामद किया गया था। इस स्थिति का आश्वासन देने के लिए राजस्व विभाग में कार्यरत पीडब्लू46 की जांच की गई है। टेप रिकॉर्डर ए11 के घर में छिपा हुआ था।

120. इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 21 और पी. डब्ल्यू. 35, पुलिस कांस्टेबलों ने 1/<आई. डी. 1 पर कब्रिस्तान के पास ए11 को देखने के लिए गवाही दी है। वे खड़े थे।

एम ओ 7 के पास। एम. ओ. 7 वह वैन है जिसमें मृतक को हत्या के बाद कारखाने से ले जाया गया था। यह गोल्डन कलर की मारुति वैन है जिसका नंबर है।

[2020] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टीएन 228853। पीडब्लू11 ने अपने बयान में अपने साक्ष्य में वही संख्या दी है जो उस वैन के संख्या में दी गई है जिसमें मृतक के शव को कारखाने से ले जाया गया था। इसलिए, ए11 की उपस्थिति, जैसा कि पीडब्लू11 द्वारा उल्लेख किया गया है, 30.12.2001 से हत्या के बाद तक और दाह संस्कार स्थल के पास, जैसा कि स्वतंत्र गवाहों–पीडब्लू21 और पीडब्लू35 द्वारा उल्लेख किया गया है, उसके खिलाफ अभियोजन मामले को पर्याप्त आश्वासन देता है। पीडब्लू10 ने ए11 की पहचान उन तीन व्यक्तियों में से एक के रूप में की है जो 05.12.2001 पर ए3 के आवास पर मौजूद थे। उस दिन ए3 ने कहा था कि मृतक को लाया जाना था और उससे कुछ पैसे लिए जाने थे। 121. यह याद रखना चाहिए कि इस मामले में साक्ष्य यह स्थापित करता है कि मृतक का वास्तव में पीडब्लू 32 (चिकित्सा व्यवसायी) द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लिखित एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम से अंतिम संस्कार किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि इस तरह का प्रमाण पत्र ए3 द्वारा पीडब्लू33 के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह स्पष्ट है कि ए6, ए7, ए8 और सभी स्पष्ट रूप से शामिल थे।

ए14

122. ए14 के संबंध में, मामले में उसकी संलिप्तता सामने आती है

ए10 को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है। अवैध कारावास के समय ए14 के साथ ए10 का नाम भी पीडब्लू10 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 33 में इसके लिए ठोस कारण दिए हैं – ए10 को बरी करना, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, कि पीडब्लू11 ने हालांकि परीक्षण पहचान परेड में ए10 की पहचान की थी, अदालत में उसकी पहचान नहीं कर सका। ए14 के खिलाफ साक्ष्य पर दोनों न्यायालयों ने विश्वास किया है।

ए15

123. ए15 2013 की आपराधिक अपील संख्या 828 में एकमात्र अपीलार्थी है।

124. अपहरण को साबित करने वाले गवाह पीडब्लू3 ने ओम्नी वैन के बाद एक मोटर साइकिल के बारे में बात की है। वह पहले बयान देता है कि उसने देखा था

तीन लोग एक व्यक्ति को वैन में चढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। ए 15 ने पीडब्लू44 और दूसरे (मुथु रेक्कू) की उपस्थिति में पुलिस को बयान दिया। कथन का स्वीकार्य भाग पी50 है।

पीडब्लू44 के अनुसार, सोमसुंदरम @ सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

उन्होंने कहा कि वह फैशन हीरो होंडा नंबर प्रदान करेंगे। टीएन 05-सी-6475। पीडब्लू44 का कहना है कि उन्होंने गाँधीजी स्ट्रीट, भारती नगर में एक घर के परिसर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल और जूते की भी पहचान की। पीडब्लू67 ने पी51 महाज़र के तहत मोटर चक्र की पुनर्प्राप्ति के बारे में बात की है। मोटर चक्र एमओ 10 है जबकि जूता एमओ 1 है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने एम. ओ. 1 जूते छोड़ने के बाद भी अपनी दोषसिद्धि की पुष्टि की। [मृतक के बेटे पीडब्लू1 ने अपदस्थ कर दिया कि सी. बी. सी. आई. डी. द्वारा दिखाए गए जूते उसके पिता के नहीं थे]। मोटरसाइकिल के संबंध में, पीडब्लू10 ने पदच्युत किया है कि ए 9 को एक राजदूत कार और एक मोटर साइकिल चाहिए थी। पीडब्लू10 ने अपने दोस्त अकबर से मोटरसाइकिल ली जो एक फैशन वाहन है।और नौसेना नीले रंग में और इसे ए 9 को दिया। पीडब्लू10 ने मोटरसाइकिल वापस करने के लिए कहा। वह मोटरसाइकिल को एम. ओ. 10 के रूप में चिह्नित करता है।

125. जैसा कि देखा गया है, ए 15 ने कहा है कि उसे मोटरसाइकिल मिली थी

एक अकबर। पी. डब्ल्यू. 48 उक्त अकबर है। उनका नाम शहीद अकबर के रूप में दिखाया गया है। अपने बयान में, उन्होंने कहा है कि उनके पास एक फैशन मोटर बाइक हीरो होंडा थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने फाइनेंसर के माध्यम से खरीदी थी।

उन्होंने आगे कहा कि पंजीकरण सं। टीएन-04-जे-1878 नीला रंग। ओ आगू कहैत छथि जे पीडब्लू10 हुनका नीक जकाँ जानल जाइत छल। वह लेता था अक्सर उसका वाहन। पिछले साल नवंबर, 2001 के दौरान कथित वेणु (पीडब्लू10) ने जाहिर तौर पर अपना वाहन ले लिया था और उसे वापस नहीं किया था। आर. सी. किताब

वाहन के साथ संबंधित फाइनेंसर के पास है। उन्होंने उक्त मोटर वाहन के आर. सी. की पी58 फोटोकॉपी का उत्पादन और चिह्नित किया है। वह अपने द्वारा देखी गई उस मोटर बाइक को अपदस्थ कर देता है जो उसकी है। वह आगे कहता है कि जिस वाहन का पंजीकरण नंबर उसने देखा, वह उक्त मोटर बाइक में नहीं था। यह वह मोटर बाइक है जिसे एम. ओ. 10 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रॉस में वह कहता है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ बाइक के पहिये के आधार और वजन को नहीं जानता है। उन्होंने न तो पीडब्लू10 को कोई नोटिस जारी किया है और न ही कोई शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उन्होंने न तो कोई ऋण चुकाया है और न ही किसी फाइनेंसर से कोई नोटिस मिला है। एमओ 10 को पीडब्लू10 द्वारा चिह्नित किया गया था और धारा 27 के तहत बयान के तहत जिस वाहन को वास्तव में जब्त किया गया है, उसका पंजीकरण संख्या है। टीएन-8-6785 जबकि वह वाहन जो पीडब्लू48 से पीडब्लू10 ने अनुरोध के अनुसार ए 3 को देने के लिए वाहन लिया था।

A9 द्वारा, नहीं है। टीएन-04-जे-1878। पीडब्लू48 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि यह वही वाहन है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाहन का पंजीकरण संख्या उक्त मोटरसाइकिल में नहीं था। इसका मतलब यह है किएमओ 10 के रूप में चिह्नित वाहन वास्तव में पीडब्लू48 से संबंधित वाहन है। वह इसे पीडब्लू 10 में बदल देता

है। ए 9 के अनुरोध के अनुसार, पीडब्लू10 ने इसे ए 9 को सौंप दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि पंजीकरण संख्या, जैसा कि मूल रूप से मोटरसाइकिल पर देखा गया था, बदल दिया गया है। यह मोटरसाइकिल है जो [2020] 10 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाहिरा तौर पर पीडब्लू 3 द्वारा देखा गया था और अपहरण के समय इस्तेमाल किया गया था

मृतक। ए 15 के इशारे पर वाहन बरामद किया गया है। यहाँ तक कि बयान के आधार पर बरामद किए गए जूते की अनदेखी करते हुए, हम सोचेंगे कि सबूत ए 15 को पर्याप्त रूप से निहित करते हैं।

ए 16

126. पीडब्लू11 ने बयान दिया है कि वे उन चार व्यक्तियों में से थे जो मृतक को 30.12.2001 पर फोर्ड कार में लाए थे। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रॉस में, वह ए 16 को याद रखने में असमर्थ है जिसे उसने अन्य तीन के नामों के साथ बनाए रखा। लेकिन वह कारखाने में अपनी उपस्थिति के बारे में बात करता है। ए 16 के संबंध में, उसे हिरासत में ले लिया गया, और पीडब्लू47 और एक अन्य गवाह की उपस्थिति में पूछताछ करने पर, उसने एक इकबालिया बयान दिया। उसने कहा कि अगर उसे ले जाया जाता है, तो वह विल्लीवक्कम में घर से काला थैला, सेल फोन और चाकू लाएगा। पी56 को स्वीकार्य भाग के रूप में चिह्नित किया गया है। नेहरू नगर, विल्लीवक्कम में आईडी1/57 पर ले जाने पर, उन्होंने एक पैनासोनिक सेल फोन, चार्जर के साथ सिम कार्ड, एक काले रंग का कैरी बैग, नौ फीट लंबी पीले रंग की नायलॉन की रस्सी और दो जंजीरों की पहचान की। यह चाकू और तीन ताले के अलावा है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ए 16 की भूमिका के लिए कोई पुष्टि नहीं थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ए 16 उन अभियुक्तों में से था जो मृतक को लाए थे। अपहरण में उसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। यह भी स्पष्ट है कि मृतक न केवल जीवित है बल्कि निस्संदेह नष्ट कर दिया गया था

हत्या के माध्यम से। मृतक का अपहरण करने के बाद, यह स्पष्ट है कि ए 16 की भूमिका, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किया गया है और जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आगे स्वीकार किया गया है, में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अभियुक्त No.17 (A17)

127. ए 17 फिर से एक अन्य आरोपी है जो चार व्यक्तियों में से एक था।

पीडब्लू11 द्वारा पहचाना गया जो मृतक को 30.12.2001 पर लाया था

कारखाना। इस मामले में उन्हें 01.07.2002 पर गिरफ्तार किया गया था। यह सिद्धांत कि अपहरण के बाद हत्या इस धारणा को जन्म देती है कि अपहरणकर्ता ने हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित रूप से लागू किया गया था।

ए12 का समाकलन, धारा 109 का समावेश

आई. पी. सी. ए1 और ए2 के खिलाफ भी–आई. पी. सी. की धारा 120बी के तहत ए3 से ए18 का अधिनियम 128. इस संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले पर करीब से नज़र डालना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष का मामला, सार में, इस प्रकार हैः

ओमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

पहला और दूसरा आरोपी करीबी सहयोगी थे। बारहवाँ अभियुक्त दूसरे अभियुक्त की पत्नी है। तीसरा।आरोपी ए. डी. एम. के. पार्टी का है। बारहवें अभियुक्त को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्त, तीसरे अभियुक्त के अनुचर थे। नवंबर 2001 के महीने के दौरान, पहले आरोपी के कहने पर, बारहवें आरोपी ने तीसरे आरोपी से फोन पर खुद को शशिकल (ए. डी. एम. के. पार्टी की नेता) बताकर बात की थी। बारहवें आरोपी ने तीसरे आरोपी को बताया कि उसने पहले आरोपी को एक काम सौंपा था जिसके लिए तीसरे आरोपी को उसी दिन शाम को उसकी मदद करनी थी। अल टू ए3 ने साजिश रची और योजना बनाई कि मृतक का अपहरण कैसे किया जाए और उससे पैसे कैसे लिए जाएं। 30.12.2001 पर उनकी योजना के अनुसार, मृतक का अपहरण किया जाना था (इसका अपहरण किया जाना चाहिए)। उन्हें पी. डब्ल्यू. 34 के स्वामित्व वाले कारखाने में ले जाया गया, अवैध रूप से हिरासत में लिया गया; एक खाट में रस्सी और लोहे की चेन से बंधा हुआ था। उन्होंने उसे रुपये देने की धमकी दी। 16 करोड़ और मृतक ने उसे देने से इनकार कर दिया। उसे यह बताने के लिए कहा गया कि उसकी संपत्ति क्या है, और उसके बाद 01.01.2002 पर, बारहवें आरोपी ने तीसरे आरोपी से शशिकल की आवाज़ में फोन पर बात की।

यह कहते हुए कि यदि धन प्राप्त करना या मामला समाप्त करना संभव है और पहले आरोपी के साथ उससे मिलना और बाकी मामले को पहले आरोपी द्वारा स्वयं सूचित किया जाएगा और

तदनुसार उनके द्वारा जो कहा गया था वह एक टेप में दर्ज किया गया था

रिकॉर्डर। उसी दिन शाम को लगभग 09 बजे आरोपी ने गला घोंटकर मृतक की हत्या कर दी और अपराध की जांच करने के लिए आरोपी ने शव को एक वाहन में ले गया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया जिसके लिए एक झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र लाया गया था।

पीडब्लू32। ए12 की इकाई (अभियुक्त No.12)

129. यह याद रखना चाहिए कि ए12 पर आई. पी. सी. की धारा 419,420 और 387 के साथ आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत आरोप लगाया गया था। उसके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120बी के तहत भी मामला दर्ज है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है। विचारण न्यायालय निम्नलिखित में ए–12 के विरुद्ध मामले पर चर्चा करता हैः

अन्य बातों के साथः

यह पाया गया है कि बारहवाँ अभियुक्त एक एंग्लो–इंडियन था।

महिला। पी65 के अवलोकन पर, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत उसके द्वारा दिया गया इकबालिया बयान है (इसके बाद संक्षेप में 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित), अदालत ने पाया कि कोई भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वह [2020] 10 एस. सी. आर. थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय संस्कृति के अनुसार जीना। वह जुड़वा बच्चों की माँ हैं और उन्हें अच्छी तरह से पाल रही हैं। दूसरा आरोपी उसका पति है। द.पी65 के बयान के अनुसार, दूसरा आरोपी नुकसान झेल रहा था और वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा था। दूसरा आरोपी पहले आरोपी के चालाक जाल में फंस गया। दूसरे अभियुक्त ने बारहवें अभियुक्त को पहले अभियुक्त के चालाक जाल में फंसने के लिए मजबूर किया। पहले और बारहवें आरोपी ने अपने प्रेम संबंध के कारण शादी कर ली। शादी हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार एक मंदिर में हुई थी। शुरू में, जब पहले आरोपी ने बारहवें आरोपी से इस तरह बात करने के लिए कहा

शशिकल, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद बारहवें आरोपी ने फोन पर बात नहीं की। पहले आरोपी ने दूसरे आरोपी को अपने चालाक जाल में धकेल दिया और इस वजह से बारहवें आरोपी को दूसरे आरोपी ने मना लिया और उसने तीसरे आरोपी से सेल फोन पर बात की जैसे कि शशिकल ने उससे बात की हो। पहले अभियुक्त द्वारा बारहवें अभियुक्त को धमकी दी गई थी। ए 2 ने अपनी पत्नी को कार्रवाई करने और चालाक जाल में फंसने के लिए मजबूर किया। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि आम तौर पर विदेशों में, यह आम तौर पर देखा जाएगा कि जब पति गलतियाँ और कुकर्म कर रहा होता है, तो पत्नी अपने पति को छोड़ देती है और हर दिन कपड़े बदलने के लिए अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुनती है। ट्रायल कोर्ट ने आगे पाया कि यह राज्य में नहीं है

हमारा देश। जब पति कोई गलत काम कर रहा होता है, तो पत्नी किसी न किसी तरह से अपने पति को सुधारती है और जब पत्नी अपने पति को सुधारने की कोशिश कर रही होती है और उसे अपने पति द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह वैसा ही करती है जैसा उसका पति उससे करने के लिए कह रहा है और वह सोचती है कि उसका पति भगवान के समान है और इस तरह वह ऐसी गलतियाँ कर रही है। ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि बारहवें आरोपी ने कहा कि अगर उसने अपने पति के बारे में कुछ भी बताया, तो उसे पुलिस द्वारा ले जाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप वह पीड़ित थी और इस तथ्य के कारण कि वह तमिल संस्कृति का पालन करती थी, उसने अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ए 12 ने धारा 34 के तहत अपराध को आकर्षित करने के इरादे से कुछ नहीं किया

या मकसद और यह कि उसे यह महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया है और वह केवल वही कर रही थी जो उसके पति ने कहा था और फिर उसे ए 12 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अदालत ने पाया कि उसे चौथे आरोप के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो आईपीसी की धारा 109 के साथ धारा 419,420 और 387 के तहत बनाया गया है। हालाँकि, न्यायालय सोमसुंदरम @सोमू बनाम का पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

अभियुक्त नं. 1 और 2 ने धाराओं के तहत अपराध किए थे

419 और आई. पी. सी. की धारा 420।

130. ए 12 किसी भी विकलांगता के तहत काम नहीं कर रहा था। हमें ए 12 को दोषमुक्त करने के बारे में इस तर्क पर अपनी आपत्ति हो सकती है कि जैसा कि यह था

भारतीय संस्कृति में पत्नी के कर्तव्य का हिस्सा माना जाता है

131. हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के संस्करण पर विश्वास नहीं किया है कि बारहवीं धारा आरोपी ने खुद को शशिकल बताते हुए फोन किया था।

132. यह सच है कि इस तर्क को संबोधित किया गया है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ए 12 को शशिकल की आवाज़ पता थी और ए 3 के धारा 313 सीआरपीसी बयान में यह तर्क उठाया गया है कि ए 3 को शशिकल की आवाज़ पता थी। अभियोजन पक्ष को नकारात्मक साबित करना होगा यदि यह साबित करने के लिए कहा जाता है कि ए 3 को शशिकल की आवाज नहीं पता थी। हालांकि

यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह मामले को साबित करे, यह अभिनिर्धारित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है कि एक मामला जिसे बचाव पक्ष द्वारा उसकी जानकारी में कुछ के रूप में साबित किया जा सकता है, आरोपी चुप रह सकता है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले का निर्णय, किसी भी तरह से, ए 3 और अन्य अभियुक्तों के कार्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिन्हें उसके गुर्गों के रूप में वर्णित किया गया है। सबूतों का खजाना, यहां तक कि ए 3 तक, पूरी तरह से गलत मृत्यु प्रमाण पत्र 'प्राप्त' करना, दुर्जेय है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहला आरोप अनिवार्य रूप से तैयार किया गया था कि अल से ए 3 ने साजिश रची थी। ए 1 और ए 2 ने फैसले को स्वीकार कर लिया है और हमें धारा 120 बी के तहत उनकी दोषसिद्धि की शुद्धता का न्याय करने के लिए नहीं कहा गया है। यह सच हो सकता है कि, हालांकि, आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप है, सिवाय इसके कि

ए 1 और ए 2, अन्य सभी अभियुक्त आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत बरी हो जाते हैं।

133. अतः सवाल यह उठेगा कि धारा 120 बी के तहत हमारे समक्ष अपीलार्थियों को बरी करने का क्या प्रभाव पड़ता है। हम हैं।

मुख्य रूप से आई. पी. सी. की धारा 387, 365 के अलावा आई. पी. सी. की धारा 109 और आई. पी. सी. की धारा 364 और 201 के तहत उनकी दोषसिद्धि से संबंधित है। तथ्य यह है कि अपीलार्थियों को बरी कर दिया गया है [2020] 10 एस. सी. आर.

धारा 120 बी के तहत, हमारे विचार में, उन्हें उनके कृत्यों के लिए आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा जो आईपीसी की धारा 302, 347 और 387 के तहत ठोस अपराध होंगे।

शुल्कों पर एक गहरी चमक; इसका प्रभाव

ए 12 की इकाई

134. पहला आरोप यह है कि ए 1, ए 2 और ए 3 ने नवंबर, 2001 में मृतक का अपहरण करने और पैसे निकालने की साजिश रची थी। यह था।

आगे अगर वह पैसे देने से इनकार करता है तो उसकी हत्या करने के लिए सहमत हो जाता है। उक्त साजिश के आधार पर, 30.12.2001 सुबह जल्दी, उसका अपहरण कर लिया गया, कारखाने में हिरासत में ले लिया गया और 01.01.2002 पर उसकी हत्या कर दी गई। इसके द्वारा आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत अल के खिलाफ ए 18 के तहत आरोप तय किया गया था। दूसरा आरोप वास्तविक अपहरण के बारे में है (इसे इस रूप में समझा जाना चाहिए)

अपहरण)। ए 4, ए 7, ए 10, ए 11, ए 14, ए 15, ए 16 और ए 17 द्वारा पंजीकरण संख्या वाली मारुति वैन में अपहरण किए जाने का आरोप है।टीएनए 7484। ए 15 मार्ग दिखाने के लिए हीरो होंडा मोटरसाइकिल में गया था। मृतक को पीडब्लू34 के कारखाने में रखा गया था। उपरोक्त अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 365 के तहत आरोप लगाए गए थे। उक्त अपराधों के लिए उकसाने के लिए, ए 1 से ए 3, ए 5, ए 6, ए 8, ए 9 और ए 13 से ए 18 पर आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत आरोप लगाया गया था, जिसे आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पढ़ा गया था। टीएन 10 एफ 5555। ए 12 और ए 13 को छोड़कर सभी अभियुक्तों पर मृतक को लोहे की चेन और रस्सी से एक खाट में बांधने के लिए धारा 387 के तहत आरोप लगाया गया था और उसे रुपये देने की धमकी दी गई थी। 16 या फिर उसकी संपत्तियों के संबंध में दस्तावेजों को निष्पादित करें। चौथा आरोप इस आशय का है कि इस तरह की साजिश को पूरा करने के लिए, और उसी के अनुसरण में, ए 1 के आग्रह और उकसावे पर और

ए 2, ए 12 ने शशिकल की आवाज़ में ए 3 से बात की, यदि संभव हो तो, राशि प्राप्त करने के लिए या फिर उसे बंद करने के लिए और अल के साथ आकर उससे मिलने के लिए–ए 12। तदनुसार ए 12 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 419, 420 और 387 के साथ आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत आरोप तय किए गए। पाँचवाँ आरोप उक्त साजिश के उद्देश्य को पूरा करने के लिए था, उक्त घटना के परिणामस्वरूप, 01.01.2002 पर, A3, A4, A6 से A8, A10, A11 और A14 से A18 ने मृतक की हत्या की। गर्दन के चारों ओर एक रस्सी बांधें और उसे कस लें। इसी तरह, ए 1, ए 2, ए 5, ए 9, ए 12 और ए 13 पर आई. पी. सी. की धारा302 के तहत आरोप लगाए गए।

हत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 109। ए 3 से सभी के अपहरण के लिए आई. पी. सी. की धारा 347 और 364 के तहत आरोप है और ए 13 से ए 18 और ए 1, ए 2 और ए 12 पर आई. पी. सी. की धारा 109 की सहायता से आई. पी. सी. की धारा 347 और 364 के तहत आरोप लगाया गया है।

आरोप सोमसुंदरम @सोमू बनाम था। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

ए8, ए10, ए11 और ए13 से ए18 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत शव का अंतिम संस्कार करने और झूठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी मामला दर्ज किया गया है जैसे कि किसी राजमणि चेट्टियार की हृदय रोग के कारण मृत्यु हो गई हो।

135. हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत अपीलार्थियों को बरी करने का प्रभाव होगा

कि आई. पी. सी. की धारा 302 और अन्य अपराधों के तहत उनकी दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि हमने नोट किया है, आई. पी. सी. की धारा 120बी के तहत आरोप अल से ए3 के बीच रची गई साजिश पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 120बी के तहत अल के खिलाफ ए18 के तहत आरोप लगाए गए हैं।आई. पी. सी., अनिवार्य रूप से ए1 से ए3 के बीच की साजिश पर आधारित है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 30 के तहत आरोप ए3, ए4, ए6 से ए8, ए10, ए11 और ए14 से ए18 के खिलाफ है। ए1, ए2, ए5, ए9, ए12 और ए13 पर आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप लगाए गए थे।

109 आईपीसी।

136. हम इस बात से सहमत हैं कि आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत आरोप के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। किसी भी संख्या में हो सकता हैअभियुक्त पर आई. पी. सी. की धारा 109 की सहायता से आरोप लगाया गया है। उकसाने के लिए, यह भी अपरिहार्य है कि एक व्यक्ति है जो दूसरे को उकसाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपनी बंदूक से गोली मारता है।

ऐसा करने में जानबूझकर किसी और द्वारा सहायता या उकसाया जाना। उत्तरार्द्ध आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत उस व्यक्ति के साथ दोषी होगा जिसने वास्तव में गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया था। इस प्रकार, एक प्रमुख खिलाड़ी और सहायक होता है। प्रमुख खिलाड़ी उन कृत्यों या चूक के लिए दोषी होगा जो कानून के तहत अपराध के बराबर हैं। हालांकि उत्प्रेरक बंदूक को ट्रिगर नहीं करता है, अगर हम अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, "इसके पीछे चलने वाली शक्ति है और इस तरह से उत्तरदायी हो जाता है"।

137. इस मामले में, निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं (ए5 को छोड़कर) को आई. पी. सी. की धारा302 के तहत पांचवें आरोप का दोषी पाया है, जबकि ए1 और ए2 को आई. पी. सी. की धारा302 के तहत पांचवें आरोप का दोषी पाया गया है।आईपीसी की धारा 120बी के तहत साजिश। दूसरे शब्दों में, अपराध करने का विचार अल और ए2 के दिमाग में आया। अन्य खिलाड़ियों को उनके कृत्यों के आधार पर शामिल किया गया है जो ए1 और ए2 द्वारा रची गई साजिश के अनुरूप था। ए12 को बरी करना, जिस पर आई. पी. सी. की धारा 120बी के तहत आरोप लगाया गया है और आई. पी. सी. की धारा 419,420 और 387 के तहत अपराधों के लिए आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पढ़ा गया है, कृत्यों की आपराधिकता को कम नहीं करेगा।

अन्य अभियुक्त द्वारा किया गया और इस मामले के तथ्यों में, हम सोचेंगे कि [2020] 10 एस. सी. आर. में अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में कोई अवैधता शामिल नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा302 के तहत किया गया तरीका। ट्रायल कोर्ट ने पाया है कि यह योजना अनिवार्य रूप से ए 1 और ए 2 के दिमाग की उपज थी

138. हमने देखा है कि निचली अदालत ने अनिवार्य रूप से कार्रवाई की है

इस आधार पर कि अपीलार्थी ए 5 को छोड़कर थे, जिन पर 5 वें आरोप के तहत धारा302 के तहत आरोप लगाया गया था, वे उक्त आरोप के दोषी थे (पैराग्राफ देखें)।

167 चर्चा के लिए)। हमने निचली अदालत के फैसले में पैराग्राफ का उल्लेख किया है जिसमें निचली अदालत ने ए 3, ए 4, ए 6, ए 7, ए 8, ए 9, ए 10, ए 11, ए 14, ए 15, ए 16 और ए 17 को आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दोषी पाया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह धारा 109 का आह्वान किए बिना है

आईपीसी. तथापि, ऐसा हुआ कि विचारण न्यायालय के निर्णय के प्रारंभिक भाग में यह उल्लेख किया गया है कि धारा 109 को भी धारा 302 के साथ लागू किया गया था जो उस वास्तविक आरोप के साथ असंगत है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा जोड़ा गया था और जो निष्कर्ष निकाला गया था। जाहिरा तौर पर इसी आधार पर उच्च न्यायालय और यह न्यायालय भी इस मामले में आगे बढ़े। इस विसंगति का समाधान, हमारे विचार में, यह अभिनिर्धारित करके किया जाना चाहिए कि निष्कर्ष को 5 वें आरोप के संदर्भ में एक के रूप में समझा जाना चाहिए जैसा कि विचारण न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 167 से चर्चा की गई है। हम करेंगे।

आगे यह कहना जारी रखें कि यदि इसे इस तरह से समझा जाता है तो यह आलोचना की जाती है कि ए 1 और ए 2 को भी धारा 109 की सहायता से दोषी ठहराया जाता है और कोई भी प्रमुख खिलाड़ी अच्छा नहीं होगा। हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि पहला आरोप यह है कि धारा 120 बी के अर्थ के भीतर आरोपी संख्या 1, 2 और 3 के बीच साजिश रची गई थी। यह निचली अदालत को स्वीकार्य नहीं पाया गया है और केवल ए 1 और ए 2 को आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत दोषी पाया गया है। जैसा कि हमने देखा है कि ए 12 का बरी होना, एएल और ए 2 के बीच साजिश के तथ्य से विचलित नहीं होगा। इसी तरह, इस संबंध में ए 3 को बरी कर दिया गया। हमने आई. पी. सी. की धारा 108 के स्पष्टीकरण 5 के प्रावधानों को भी छुआ है। हम.

आगे ध्यान दें कि अल और ए 2 को धारा 109 के साथ धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपी 1 और 2 को धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया है। धारा 120 बी पर ध्यान देना आवश्यक है।

" 120 बी. आपराधिक षड्यंत्र की सजा।

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(1) जो कोई भी आपराधिक साजिश में एक पक्ष है मृत्युदंड योग्य अपराध,

2 [आजीवन कारावास] या कठोर कारावास की अवधि के लिए

दो वर्ष या उससे अधिक, जहां कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है

इस संहिता में इस तरह की साजिश की सजा के लिए दंडित किया जाए

जिस तरह से उसने इस तरह के अपराध को बढ़ावा दिया था।

सोमसुंदरम @ सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

(2) जो कोई भी अपराधी के अलावा किसी आपराधिक साजिश में पक्षकार हो

उपरोक्त दंडनीय अपराध करने का षड्यंत्र होगा –

एक अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित नहीं

छह महीने से अधिक, या जुर्माने या दोनों के साथ।

(जोर दिया गया)

139. इसका मतलब है कि चूंकि आरोपी 1 और 2 को इसके तहत दोषी ठहराया जाता है।

मृतक की हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 120 बी, वे

2017 की आपराधिक अपील संख्या 2008 में) पर आरोप लगाया गया है और आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया गया है। ए 5 की भूमिका, विशेष रूप से, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयान को ध्यान में रखते हुए, जिससे वैन की बरामदगी होती है, अन्य साक्ष्यों के अलावा कारखाने के स्थल और श्मशान स्थल की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमें इस आधार पर अपीलार्थियों के तर्क को पलटने में कोई संकोच नहीं है। यह स्पष्ट है कि आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत उन्हें बरी करने से अन्य प्रावधानों के तहत उनकी दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ए 6 की प्रमाण सामग्री

140. पीडब्लू21 और पीडब्लू35 ने परीक्षण पहचान में ए 6 की पहचान की है।

परेड। यह तर्क कि इन गवाहों को परेड के सामने देखे जाने की संभावना होगी, हमें आकर्षित नहीं करता है। जिस तारीख को हत्या की गई थी, उसी तारीख को और दाह संस्कार स्थल के पास 3 अन्य लोगों के अलावा ओम्नी वैन और ए 6 की उपस्थिति और शव का दाह संस्कार किया जाना निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है और जैसा कि तर्क दिया गया है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि

पीडब्लू19 ने ए6 को याद रखना संभव नहीं पाया है, हालांकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने परीक्षण पहचान परेड में उसकी पहचान की है, जिससे 01.01.2002 पर दाह संस्कार से संबंधित साक्ष्य और वहां आने वाले लगभग 8 व्यक्तियों को मिटाया नहीं जा सकता है। यह तथ्य कि पीडब्लू 19 ने कहा है कि एमओ14 तस्वीर में पहचाने गए व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हमें इस सिद्धांत से भी अनजान नहीं रहना चाहिए कि [2020] 10 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकृति के मामले में, परिस्थितियों के कुल प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उपलब्ध अन्य सामग्रियों के आधार पर सहयोगी साक्ष्य पर विश्वास करना सुरक्षित होना चाहिए। हम पीडब्लू10 और पीडब्लू11 के साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हैं और ए6 की उपस्थिति और भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। 05.12.2001, 30.12.2001 पर सहयोगियों द्वारा ए6 की उपस्थिति और विशेष रूप से 01.01.2002 पर, जिस दिन वैन में शव ले जाने का अंतिम दिन था, जिसे बाद में पुलिस अधिकारी द्वारा श्मशान घाट के पास एक स्थान पर पहचाना जाता है, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अवैध कारावास में ए6 की भूमिका दिखाई देती है। स्थापित करने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एम. ओ. 8 की बरामदगी हुई है जो इस आधार पर की गई है कि पी. डब्ल्यू. 24 ने ए8 की पहचान ए6 के रूप में की है। हमने इसे कहीं और निपटा लिया है और इसके द्वारा हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

दुर्व्यवहार, अवैध समझौता, हत्या और

वास्तविक नाम में श्रेय

141. यह स्पष्ट है कि मृतक का अपहरण 30.12.2001 पर किया गया था। यह भी स्थापित किया गया है कि उन्हें ऊपर के हिस्से में अवैध रूप से रखा गया था।

पी. डब्ल्यू. 34 के स्वामित्व वाला मौदिहूर का कारखाना। साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि यह मृतक का शव था जिसका अंतिम संस्कार किया गया था और एक काल्पनिक नाम का उपयोग किया गया था और ए3 (पी27) के कहने पर जारी किया गया एक प्रमाण पत्र अभियोजन मामले को स्थापित करने में कौन सी परिस्थिति पकड़ रही है। जहाँ तक हत्या का सवाल है, कोई सीधा सबूत नहीं है। इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि मृतक की गला दबाकर हत्या की गई है। हालांकि यह

यह भी उतना ही सच है कि ए16 के कहने पर की गई बरामदगी के आधार पर एक नायलॉन की रस्सी और जंजीर बरामद की गई थी जो निस्संदेह अभियोजन मामले को मजबूत करती है। जिस मामले में शव का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां हत्या से संबंधित चिकित्सा साक्ष्य नहीं हो सकते हैं। हमें मृतक के शरीर के कुछ हिस्सों की बरामदगी से संबंधित सबूतों की अनदेखी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन यह आरोपी के लिए हमें अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक सावधानीपूर्वक सोची गई आपराधिक योजना ने बहुमूल्य जीवन को क्रूरता से छीन लिया है। खिलाड़ियों ने दाह संस्कार द्वारा शव को नष्ट

करके सावधानीपूर्वक सोचा।142. अपहरण के बाद उचित मामलों में हत्या एक अदालत को यह अनुमान लगाने में सक्षम बना सकती है कि अपहरणकर्ता हत्यारा है। अब सिद्धांत यह है कि अपहरण के बाद, अपहरणकर्ता यह समझाने की स्थिति में होगा कि उसके पीड़ित के साथ क्या हुआ और यदि वह ऐसा करने में विफल रहा, तो यह स्वाभाविक और तार्किक है कि एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने असहाय पीड़ित को समाप्त कर दिया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106

अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए आएगा।

इस संबंध में यह सोमसुंदरम @ सोमू बनाम है। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह देखने के लिए आवश्यक है कि इस न्यायालय ने क्या निर्धारित किया है। राज्य में डब्ल्यू. बी. वी. मीर मोहम्मद उमर 27 इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 13. आई. पी. सी. की धारा 364 में कहा गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण करता है "ताकि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जा सके या उसे इस तरह से निपटाया जा सके कि उसकी हत्या होने का खतरा हो" वह अपराध करता है।

धारा के तहत दंडनीय। इसलिए अभियोजन पक्ष का महत्वपूर्ण कार्य यह प्रदर्शित करना था कि महेश का अपहरण उसकी हत्या के लिए था। भले ही हत्या नहीं हुई हो, अपराध पूरा हो जाएगा यदि अपहरण उक्त उद्देश्य के साथ पूरा किया गया था। इसके विपरीत, यदि अपहरण के समय ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बाद में अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित की हत्या कर दी, तो आई. पी. सी. की धारा 364 आकर्षित नहीं होगी, हालांकि ऐसे मामले में अदालत को इस बात पर विचार करना पड़ सकता है कि क्या गैर इरादतन हत्या (हत्या के बराबर या नहीं) का अपराध है।

प्रतिबद्ध था "।

इस न्यायालय ने बाद के एक निर्णय में ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1436 सुच्चा सिंह बनाम. पंजाब राज्य ने डब्ल्यू. बी. वी. मीर मोहम्मद राज्य में निर्धारित अनुपात पर पुनर्विचार करने के अपीलार्थी के अनुरोध को ठुकरा दिया। उमर (ऊपर)। उक्त मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि दोषसिद्धि केवल आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पढ़े जाने पर धारा 242 के तहत की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस के माध्यम से क्या कहाः

लेकिन यह धारा उन मामलों में लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनके बारे में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कुछ अन्य तथ्यों का अस्तित्व, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के बारे में विशेष ज्ञान के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो जाए जो न्यायालय को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके।

27 (2000) 8 एससीसी 382 [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. हमने विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संबोधित तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है। हम केवल राज्य डब्ल्यू. बी. वी. में संकलित कानूनी सिद्धांत को दोहराते हैं। मीर मोहम्मद। उमर

[(2000) 8 एससीसी 382: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1516] कि जब एक से अधिक व्यक्तियों ने पीड़ित का अपहरण कर लिया है, जिसकी बाद में हत्या कर दी जाती है, तो यह है

न्यायसंगत रूप से आकर्षित करने के लिए न्यायालय के कानूनी प्रांत के भीतर

अपहरणकर्ता हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। आई. पी. सी. की धारा 34 को उस उद्देश्य के लिए सहायता के लिए लागू किया जा सकता है, जब तक कि कोई विशेष अपहरणकर्ता न हो। अदालत को अपने स्पष्टीकरण के साथ संतुष्ट करता है कि उसने बाद में पीड़ित के साथ और क्या किया, यानी कि क्या उसने अपने सहयोगियों को रास्ते में छोड़ दिया या क्या उसने दूसरों को चरम कृत्य करने से रोका

आदि।

21. हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन दिनों में अक्सर क्या हो रहा है। दूसरों की दृष्टि में व्यक्तियों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें जबरन अन्य सभी की दृष्टि से हटा दिया जाता है और बाद में अपहृत लोगों को मार दिया जाता है। यदि एक कानूनी सिद्धांत निर्धारित किया जाना है कि हत्या के लिए

इस तरह के अपहरण के लिए आवश्यक रूप से ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों के अलावा स्वतंत्र सबूत होना चाहिए, हम होंगे

ऐसे अपराधी की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित न्यायशास्त्र प्रदान करना।

गतिविधियाँ। भारत अब इस तरह का कोई कानूनी प्रावधान नहीं कर सकता है।

हत्यारों को उनकी हत्या की गतिविधियों से बचाने का सिद्धांत

दूसरों के केन के बाहर निर्दोषों का अपहरण कर लिया। "

143. हम सोचेंगे कि उपरोक्त सिद्धांत उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो अपहरण किए गए व्यक्ति को अवैध रूप से कैद करते हैं।

भले ही इस बात का कोई सबूत न हो कि उन्होंने खुद अपहरण को अंजाम दिया है। धारा 387 जबरन वसूली का उच्चतम रूप है जिसमें पीड़ित को मृत्यु या गंभीर चोट के डर में रखा जाता है। धारा 347 में जबरन वसूली के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करना शामिल है। अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 347 और 387 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह एक अक्षम्य नियम नहीं है, बल्कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर लागू किया जाना है। जहाँ अपहरण के बाद अवैध रूप से कैद किया जाता है

और फिर भी बाद में मृत्यु हो जाती है, वहाँ यह अनुमान भारी हो जाता है कि पीड़ित की मृत्यु उन लोगों के हाथों हुई जिन्होंने उसे अपहरण/कैद कर लिया था। किसी के पास यह मामला नहीं है कि मृतक की प्राकृतिक मृत्यु हुई है। राज्य में डब्ल्यू. बी. (उपर्युक्त) में, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 34. जब यह अदालत की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि महेश का अभियुक्त द्वारा अपहरण कर लिया गया था और वे उसे ओमसुंदरम @सोमू बनाम से बाहर ले गए।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस आयोग द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

उस क्षेत्र में, अकेले आरोपी को पता था कि उसके साथ क्या हुआ जब तक कि वह

उनके साथ था। अगर उसे थोड़े समय के भीतर हत्या कर दिया गया था

अपहरण के बाद अनुमत तर्क प्रक्रिया सक्षम करेगी

न्यायालय को यह अनुमान लगाने के लिए कि अभियुक्त ने उसकी हत्या की है। इस तरह के निष्कर्ष को बाधित किया जा सकता है अगर आरोपी अदालत को बताए कि महेश के साथ और क्या हुआ था, कम से कम जब तक कि वह अपने राज्य में नहीं था।

अभिरक्षा।

35. बहस के दौरान हम विद्वान वरिष्ठ से एक सवाल पूछते हैं

एक काल्पनिक चित्रण के आधार पर उत्तरदाताओं के लिए परामर्श। यदि किसी लड़के को उसके लोगों की दृष्टि में उसके अभिभावक की वैध अभिरक्षा से अपहरण कर लिया जाता है और अपहरणकर्ता शिकार के साथ गायब हो जाते हैं, तो सामान्य निष्कर्ष क्या होगा यदि लड़के का क्षत-विक्षत शव कुछ घंटों के भीतर बरामद कर लिया जाए।

कहीं और। यह सवाल किया गया था कि क्या उपरोक्त तथ्यों के प्रमाण पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपहरणकर्ताओं के पास होगा

लड़के को मार डाला। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अंततः स्वीकार किया कि

ऐसे मामले में निष्कर्ष यथोचित रूप से निश्चित है कि लड़का था

अपहरणकर्ताओं द्वारा मार दिया जाता है जब तक कि वे अन्यथा नहीं बताते।

36. इस संदर्भ में हम कानूनी सिद्धांत का लाभप्रद उपयोग कर सकते हैं।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सन्निहित जो इस प्रकार है – निम्नलिखित हैः " जब कोई तथ्य विशेष रूप से ज्ञान के भीतर हो

उस तथ्य को साबित करने का भार किसी भी व्यक्ति पर है।

37. इस धारा का उद्देश्य अभियोजन को राहत देना नहीं है

अभियुक्त के अपराध को उचित से परे साबित करने का बोझसन्देह हो रहा है। लेकिन यह धारा उन मामलों में लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष

तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि

अभियुक्त अपने विशेष ज्ञान के आधार पर

तथ्य, कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा जो अदालत को प्रेरित कर सकता है

एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए "।

144. मृतक को फोर्ड एस्कॉर्ट कार में लाया गया था। वह था।

हमने ए 6, ए 11 और ए 16 के खिलाफ साक्ष्य का उल्लेख किया है। पी. डब्ल्यू. 11 के निक्षेपण के अलावा अन्य महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि एन. पी. एल. आई. एस. विश्वसनीय गवाह हैं जब पूरी परिस्थितियाँ हैंई दिमाग में। उनके साक्ष्य चरित्र में बेदाग नहीं हो सकते हैं।

उनकी प्रकृति, जो कि सहयोगी है, इस तरह का कोई भी दावा असंगत होगा। लेकिन परीक्षण यह है कि क्या ऐसे गवाहों पर विश्वास करने वाले आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित है। हमारा विचार है कि अपराध और अभियुक्त के संबंध में, उनकी गवाही सच्चाई को सामने लाती है, जहाँ तक अभियुक्तों के संबंध में जो हमारे सामने अपीलकर्ता हैं। पीडब्लू10 का कोई मकसद नहीं है

और PW11 को गलत तरीके से फंसाने के लिए। हत्या का अनुमान सही निकला था।

145. ए 15 की भूमिका स्पष्ट है जिसे न केवल सहयोगी साक्ष्य में संदर्भित किया गया था, बल्कि अपहरण में उसके संबंध की पुष्टि करता है।उसके कहने पर मोटरसाइकिल की बरामदगी। इसने उसे आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया है। अवैध कारावास स्थल पर 30.12.2001 पर फोर्ड एस्कॉर्ट के अलावा दो कारें थीं। मारुति ज़ेन से तीन व्यक्ति पी. डब्ल्यू. 11 के गवाह के रूप में सामने आए। यह सच है कि पीडब्लू11 ने उनकी पहचान नहीं की है। इसके अलावा एक टाटा भी था

सुमो, पीडब्लू11 ने निस्संदेह ए 15 के अलावा ए 5 और ए 7 को व्यक्तियों के रूप में पहचानाजो कारखाने से निकलने के बाद टिफिन के साथ 30.12.2001 पर वापस आया।

146. निचली अदालत ने ए 4, ए 11, ए 15, ए 16 और ए 17 को धारा 365 के तहत दोषी ठहराया है जो हमारे विचार में इनके संबंध में अनुपलब्ध है। अभियुक्त जो हमारे समक्ष अपीलार्थी भी हैं। हम अदालत में यह अनुमान लगाने में कोई त्रुटि नहीं देखते हैं कि वे भी मृतक की हत्या के दोषी हैं।

147. पीडब्लू3, यह याद रखना चाहिए कि तीन लोगों ने 30.12.2001 पर एक दूसरे को वैन में धकेलने की बात कही है। वैन आगे बढ़ी और उसके पीछे एक मोटरसाइकिल आई। यह याद रखना चाहिए कि ए 15 ने एक बयान दिया जिससे एक मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई। साक्ष्य पर दोनों अदालतों द्वारा भरोसा किया जाता है और हम एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

148. जहाँ तक ए 3, ए 5, ए 6 और ए 8 का संबंध है, वे धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत दोषी ठहराए जाते हैं। प्रोत्साहन होना चाहिए

ए 1 और ए 2 के खिलाफ साबित हुई साजिश पर उनके कार्य के संदर्भ में समझा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उकसाना तब भी होता है जब उकसाना या जानबूझकर सहायता करना होता है। ए 3 की भूमिका बहुत बड़ी है। यह स्पष्ट है कि उसने पूरी बात को व्यवस्थित किया और यह एक उपयुक्त घर की खोज के साथ शुरू हुआ जहां अपहरण के बाद पीड़ित को कैद किया जा सकता था। अपहृत व्यक्ति के काल्पनिक नाम के तहत अंतिम संस्कार में अपराध को अंजाम देने में अपने आदमियों के साथ उसकी भूमिका स्पष्ट है। न केवल पीडब्लू10 और पीडब्लू11 के प्रमाण हैं बल्कि अन्य साक्ष्य भी हैं जिनमें पीडब्लू32, पीडब्लू33, पीडब्लू36 और पीडब्लू8 शामिल हैं।

सोमसुंदरम @सोमू वी। राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

149. जहां तक ए 7 और ए 14 का संबंध है, उन्हें धारा 365 और धारा 364 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। ए 7 की भागीदारी स्पष्ट है। वह साथी में अपनी पहली उपस्थिति बनाता है

05.12.2001 पर जितनी जल्दी हो सके सबूत। पीडब्लू10 ने उसे मृतक के बगल में कुछ अन्य अभियुक्तों के साथ खड़े देखा है जो उस समय स्पष्ट रूप से अवैध कारावास की स्थिति में था। वह तीन अन्य लोगों के साथ मृतक के शव को 01.01.2002 पर नीचे लाकर अपनी मिलीभुगत को स्थापित करता है। उनकी भूमिका की पुष्टि पी. डब्ल्यू. 21 और पी. डब्ल्यू. 35, पुलिस अधिकारियों की गवाही से भी होती है।

150. हम समझते हैं कि ए 7 और ए 14 को आईपीसी की धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए था। हम देखते हैं कि ए 3, ए 5, ए 6 और ए 8 को धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत दोषी ठहराया गया था। हालाँकि हम देखते हैं कि ए 7 और ए 14 के खिलाफ आरोप धारा 365 के तहत था। हम आगे ध्यान देते हैं कि ए 14 के खिलाफ आरोप है

संबंधित आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत भी है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि सभी अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत भी दोषी ठहराया गया है।

151. इस संबंध में जहां तक आरोप की कमी या दोष का संबंध है, यह वह है जो अनिवार्य रूप से इसके साथ जुड़ा हुआ है।

अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह का प्रश्न। इस संबंध में विली (विलियम) स्लेनी बनाम में इस न्यायालय के फैसले को देखें। मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 116. हमें नहीं लगता कि तथ्यों में इस संबंध में पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

153. ए 4, ए 7, ए 11, ए 14, ए 15, ए 16 और ए 17 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आईपीसी की धारा 365 के तहत दोषी पाया गया है। ए 3, ए 5, ए 6 और ए 8 आई. पी. सी. की धारा 109 की सहायता से आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत दोषी ठहराया जाता है। इन सभी को आईपीसी की धारा 364 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। इस संबंध में एक द्विभाजन शामिल है।

कानून [2020] 10 एस. सी. आर. संलग्न करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी व्यक्ति द्वारा कार्य या चूक के लिए आपराधिकता। एक अन्य व्यक्ति एक सहायक के रूप में उत्तरदायी हो सकता है, एक व्यक्ति जिसने साजिश रची है और इस प्रकार धारा 120 बी के तहत उत्तरदायी हो सकता है, एक व्यक्ति जिसने एक सामान्य उद्देश्य साझा किया है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकता है और यदि इसके तहत 5 या अधिक व्यक्ति हैं।

धारा 141 को धारा 149 के साथ पढ़ा जाता है या यदि आई. पी. सी. की धारा 34 में अंतर्निहित प्रत्यावर्ती दायित्व का सिद्धांत आकर्षित होता है। दूसरे शब्दों में, धारा 364 के तहत दोषसिद्धि के लिए वास्तविक अपहरण आवश्यक है। एक व्यक्ति

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के तहत या धारा 149 के साथ पठित धारा 364 के तहत या धारा 109 के साथ पठित धारा 364 के तहत या यदि वह धारा 120 बी के तहत दोषी पाया जाता है तो उत्तरदायी हो सकता है। इस मामले में 120 बी या 149 के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हालाँकि जिस तरह से उन्हें धारा 365 के तहत दोषी पाया गया है, हम उसी तरह से धारा 364 के तहत दोषसिद्धि का समर्थन करेंगे जैसे कि धारा 364 के अर्थ के भीतर अपहरण। आरोप है कि अपहरण 30.12.2001 पर किया गया था। यह याद रखें कि अपहरण का सार किसी भी स्थान से जबरन आवाजाही है। अपराध किया जाएगामार्ग के किसी भी या सभी बिंदुओं पर ऐसे अपहरण को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा। हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी मामले में, अपहरण धारा 364 और 365 दोनों को आकर्षित कर सकता है। दो प्रकार के अपहरण के बीच अंतर यह है कि अपहरण, अन्य बातों के साथ-साथ, जिस इरादे से किया जाता है (जैसा कि धारा 364 और 365 भी अपहरण से संबंधित है), उसमें अंतर है। लेकिन जहां तक किसी मामले में इरादा दोनों प्रावधानों को आकर्षित करता है, दोनों धाराओं के तहत दोषसिद्धि की अनुमति नहीं है। हालांकि, जब कुछ अपीलार्थियों को धारा 365 सरलीकरण के तहत दोषी ठहराया जाता है और अन्य को धारा 109 के साथ पठित धारा 365 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो धारा 364 के तहत दोषसिद्धि के संबंध में उन अभियुक्तों/अपीलार्थियों की स्थिति भी समान होनी चाहिए। हालाँकि, धारा 364 के तहत दोषसिद्धि के मामले में हमारे दृष्टिकोण में यह अंतर,

अपीलार्थियों के मामले को अपहरण के रूप में आगे नहीं बढ़ा सकता है, चाहे वह धारा 109 की सहायता से हो या जो धारा 364 सरलीकरण के तहत हो, न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अर्थ के भीतर दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में हत्या की धारणा को उठाने में सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में, जबकि हम धारा 364 के तहत ए4, ए11, ए15, ए16 और ए17 को दोषी पाएँगे, जो पहले से ही नीचे की अदालतों द्वारा पाया गया है, हम अन्य अपीलार्थियों की धारा 364 के तहत दोषसिद्धि का इस आधार पर समर्थन करेंगे कि उन्हें अपहरण में सक्रिय रूप से सहायता दी गई है। दूसरे शब्दों में वे आई. पी. सी. की धारा 109 के साथ पठित धारा 364 के तहत दोषी होंगे। इसके अलावा जहां तक ए5, ए6, ए7, ए8, ए11 और ए14 का संबंध है, पीडब्लू10 का प्रमाण है कि जब उसने मृतक को गलत तरीके से कैद किए जाने की स्पष्ट स्थिति में देखा, तो सोमसुंदरम @सोमू बनाम।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उपायुक्त द्वारा [के. एम. जोसेफ, जे.]

चूंकि वह कारखाने की पहली मंजिल पर बंधा हुआ पाया गया था, इसलिए ए5, ए6, ए7, ए8, ए11 और ए14 मौजूद थे। उन्हें धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया गया है।

347 और आई. पी. सी. की धारा 387। इसके अलावा, वास्तव में, हम पहले ही देख चुके हैं कि 30.12.2001 पर, पीडब्लू11 ने लगभग तीन कारों को अपदस्थ कर दिया है, जिनमें से मृतक उनमें से एक से निकला है, अर्थात। , फोर्ड एस्कॉर्ट। पीडब्लू 11 के साक्ष्य में ए4, ए11, ए16 और ए17 को मृतक के साथ कार से बाहर निकलने के रूप में संदर्भित किया गया है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ए4, ए11, ए16 और ए17 से अधिक व्यक्ति थे जो इसमें शामिल थे।अपहरण। इस संबंध में यह याद रखना लाभदायक है कि पीडब्लू3 ने तीन लोगों को सुबह-सुबह 30.12.2001 पर एक अन्य व्यक्ति को मारुति वैन में धकेलते देखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोटरसाइकिल पर एक आदमी भी है। घंटों के भीतर जब उसे कारखाने की इमारत में लाया जाता है, तो वह एक फोर्ड एस्कॉर्ट से बाहर आता है। उसके साथ दो और कारें थीं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 362 के तहत अपहरण को अन्य बातों के साथ-साथ किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान से जाने के लिए मजबूर करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें छल के माध्यम से प्राप्त ऐसी गतिविधि भी शामिल है। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए, यदि हम कथानक को उलझा हुआ देखते हैं, अर्थात। , अपहरण, अवैध कारावास, मृतक की मृत्यु और उसके बाद

दाह संस्कार, अपहरण में सहायता करने में ए3, ए5, ए6, ए7, ए8 और ए14 की भूमिका बनती प्रतीत होती है। यह भी स्पष्ट है कि ए5, ए6, ए7, ए8, ए11 और

ए14 मृतक को गलत तरीके से कैद करने में शामिल थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने देखा कि जहां तक ए14 का संबंध है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उससे कोई वसूली नहीं की गई है और अनिवार्य रूप से पी. डब्ल्यू. 10 का साक्ष्य है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। ए17 के बारे में भी यही स्थिति है, जिसकी भागीदारी का उल्लेख दूसरे सहयोगी पीडब्लू11 द्वारा किया गया है। हालाँकि, हम पाते हैं कि दो अदालतों द्वारा जिन सहयोगी गवाहों पर भरोसा किया गया है, उन्हें विश्वसनीय गवाहों के रूप में माना जाना चाहिए और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में भी, हम उस दोषसिद्धि को बाधित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। यदि ऐसा है, तो हत्या से संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में भी,

हमारे समक्ष अपीलार्थियों द्वारा की जा रही हत्या की धारणा लागू होगी। वास्तव में, नीचे दी गई अदालतों ने तैयार किया है

हत्या किए जाने का अनुमान। यह एक ऐसी धारणा है जिसे बिना किसी आधार के तैयार नहीं किया जा सकता है। हमारे सामने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अपीलार्थियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है।

71. 2017 की आपराधिक अपील No.2007/2017 और आपराधिक अपील No.2009 को वापस लेने के लिए आवेदनों की अनुमति है। आपराधिक अपीलें

2007 2017 के 2017 और 2009 को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया है। बाकी 134

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील खारिज कर दी जाती है। इस न्यायालय के आदेश के तहत जमानत पर रिहा किए गए अपीलार्थियों के जमानत बांड रद्द हो जाएंगे और वे अपनी सजा काटने के लिए तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण कर देंगे।

देविका गुजराल